


दिनांक 04 SEP 2015
विधान सभा को प्रस्तुत की गई।

भारत के
नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
(आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र)
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 3




विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
प्राक्कथन		v
संक्षिप्त अवलोकन		vii-x
अध्याय - 1		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का संक्षिप्त अवलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
लेखापरीक्षा अधिकार - पत्र	1.2	1
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश	1.3	1-2
बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/परिदान, गारंटियां एवं ऋण	1.4	3
वित्त लेखाओं का मिलान	1.5	3-4
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन	1.6	4
लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया	1.7	4-5
अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बन्द करना	1.8	6
लेखा टिप्पणियां और आन्तरिक लेखापरीक्षा	1.9	6-8
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां	1.10	8
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.11	8
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन	1.12	8
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री पर विभागों के उत्तर	1.13	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.14	9-10
इस प्रतिवेदन का कवरेज	1.15	10
अध्याय - 2		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
वित्तीय पुनर्गठन योजना	2.1	11-28
हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2.2	29-48

अध्याय – 3		
लेन – देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
अधिक व्यय	3.1	49-50
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
ब्याज की हानि	3.2	50-51
हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र		
हरियाणा में विद्युत का क्रय और विक्रय	3.3	52-60
हरियाणा भूमि सुधार तथा विकास निगम लिमिटेड		
अधिक भुगतान	3.4	60-61
हरियाणा राज्य सड़क तथा पुल विकास निगम लिमिटेड		
राजस्व की हानि	3.5	61-62
अवसूली	3.6	62-63
हरियाणा एगो उद्योग निगम लिमिटेड		
ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.7	63-64
हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड		
निधियों का प्रबंधन	3.8	64-67
हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड		
कंपनी द्वारा ऋणों की संस्वीकृति, सवितरण तथा वसूली	3.9	68-71

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1	परिशिष्ट 1	1.3	73-76
2	परिशिष्ट 2	1.6	77-81
3	परिशिष्ट 3	1.4	82-84
4	परिशिष्ट 4	1.7	85
5	परिशिष्ट 5	3.3.i	86-87
6	परिशिष्ट 6	3.3.iv	88
7	परिशिष्ट 7	3.3.vi	89
संकेताक्षरों की शब्दावली			91-93




यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संव्यवहार करता है।

सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनियों के रूप में मानी गई कंपनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों की पूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणियां देते हैं या उन्हें संपूरित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये कंपनियां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के भी अध्यधीन हैं।

सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के प्रावधानों के अंतर्गत, राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं, जो वर्ष 2013-14 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए और वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। जहां आवश्यक समझे गए वर्ष 2013-14 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, भी शामिल कर लिए गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा-मानकों के अनुसार ही लेखापरीक्षा की गई है।



संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में परिहार्य व्यय, नियमों, डायरेक्टिवज तथा प्रक्रियाओं का पालन न करने, वित्तीय हितों को सुरक्षित न करने इत्यादि से संबंधित ₹ 1,118.40 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित 'वित्तीय पुनर्गठन योजना' तथा 'हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित 11 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में

सा.क्षे.उ. में निवेश

हरियाणा राज्य में 24 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) (22 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम) और 4 अकार्यरत कंपनियां थी। 31 मार्च 2014 को 28 सा.क्षे.उ. में निवेश (पूँजीगत एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 39,383.18 करोड़ था। राज्य सा.क्षे.उ. के कुल निवेश का 99.70 प्रतिशत कार्यरत सा.क्षे.उ. में था तथा शेष 0.30 प्रतिशत अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। कुल निवेश में पूँजीगत का 21.95 प्रतिशत तथा दीर्घ अवधि ऋणों का 78.05 प्रतिशत शामिल था। इक्विटी 2009-10 में ₹ 6,867.94 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 8,643.43 करोड़ हो गई। राज्य सरकार ने 2013-14 के दौरान 13 सा.क्षे.उ. में इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों के लिए ₹ 10,748.50 करोड़ का अंशदान दिया।

(अनुच्छेद 1.3 तथा 1.4)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

24 कार्यरत सा.क्षे.उ., जिनके लेखे सितंबर 2014 तक प्राप्त किए गए थे, में से 15 सा.क्षे.उ. ने ₹ 118.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा आठ सा.क्षे.उ. ने ₹ 4,032.54 करोड़ की हानियां उठाई। एक कंपनी को अभी वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने हैं। ₹ 118.21 करोड़ का लाभ अर्जित करने वाले 15 सा.क्षे.उ. में से केवल दो सा.क्षे.उ. ने ₹ 0.26 करोड़ का लाभांश घोषित किया तथा 13 सा.क्षे.उ. ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

(अनुच्छेद 1.6)

लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

सितंबर 2014 को 19 कार्यरत सा.क्षे.उ. के 35 लेखे बकाया थे। लेखाओं तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किए गए निवेश और व्यय उचित रूप से परिगणित किए गए हैं तथा वह प्रयोजन जिसके लिए राशि निवेश की गई थी, प्राप्त किया गया है अथवा नहीं। इस प्रकार, ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है।

(अनुच्छेद 1.7)

2 सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 'वित्तीय पुनर्गठन योजना' और 'हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड' के कार्यचालन से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाएं की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 'वित्तीय पुनर्गठन योजना'

आदर्श राज्य विद्युत वितरण उत्तरदायिता बिल के अधिनियमन की अनिवार्य शर्तों को, वितरण नेटवर्क में प्राइवेट भागीदारी, कृषि उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा लेखाओं का समय पर फाइनल करना, डिस्कोम्ज तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्ण नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने, भाग लेने वाले उधारकर्ताओं के पक्ष में फेज्ड पद्धति में विशेष प्रतिभूतियां जारी करके बाण्ड लेने की उनकी योजना प्रक्षेपित नहीं की थी यद्यपि स्कीम में अस्थायी आधार पर यह इंगित किया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.6 तथा 2.1.7.1 से 2.1.7.4)

कार्यचालन पूंजीगत ऋण हेतु पंजाब एवं सिंध बैंक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (ग्रा.वि.नि.) से प्राप्त ₹ 641.16 करोड़ के एस.टी.एल. शामिल न करने के कारण डिस्कोम्ज पर ₹ 71.79 करोड़ के परिहार्य ब्याज का बोझ पड़ा।

(अनुच्छेद 2.1.7.11)

ए.सी.एस.-ए.आर.आर. तथा ए.टी. एंड सी. हानियों में कटौती से संबंधित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए तथा भारत सरकार द्वारा टी.एफ.एम. के अंतर्गत ₹ 199 करोड़ की सीमा तक उपलब्ध करवाए जा रहे लाभ से वंचित हुए।

(अनुच्छेद 2.1.8)

राज्य सरकार ने अपनी वचनबद्धताएं पूर्ण नहीं की जैसे कि-ए.पी. उपभोक्ताओं पर एफ.एस.ए. के कारण वसूलनीय ₹ 2,115.87 करोड़ की सबसिडी जारी करना, सरकारी विभागों के ₹ 500.42 करोड़ के बकाया विद्युत प्रभार जारी करना, डिस्कोम्ज को एस.टी.एल. पर ₹ 1,537.36 करोड़ के ब्याज की प्रतिपूर्ति करना तथा फेज्ड पद्धति में विशेष प्रतिभूतियां जारी करके बांड्स ग्रहण करना।

(अनुच्छेद 2.1.7.5, 2.1.9.1 तथा 2.1.9.2)

स्कीम के बावजूद 2011-14 के दौरान यू.एच.बी.वी.एन.एल. की संचित हानियां ₹ 12,423.61 करोड़ से ₹ 16,185.47 करोड़ तक (जुलाई 2013 में यू.एच.बी.वी.एन.एल. से डी.एच.बी.वी.एन.एल. को हस्तांतरित जी.डी. सर्कल की ₹ 2,291.68 करोड़ की संचित हानियों को छोड़कर) तथा द.ह.बि.वि.नि.लि की ₹ 7,285.53 करोड़ से ₹ 10,726.59 करोड़ तक बढ़ गई।

(अनुच्छेद 2.1.10)

हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड का कार्यचालन

कंपनी 2009-14 के दौरान प्रमाणित बीजों का लक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकी। 2009-14 के दौरान यह कमी 17.27 और 33.29 प्रतिशत के बीच थी।

(अनुच्छेद 2.2.7.6)

कंपनी ने 2012-13 में बिक्री के लिए गेहूं के बीज का 3.07 लाख क्विंटल उत्पादन किया लेकिन राज्य में केवल 1.86 क्विंटल ही बेच सकी और 0.34 लाख क्विंटल लागत से नीचे बेचा गया (राज्य से बाहर) परिणामतः ₹ 1.66 करोड़ की हानि हुई। शेष 0.87 लाख क्विंटल बीज 2013-14 के दौरान ₹ 1.63 करोड़ की हानि पर बेचा गया।

(अनुच्छेद 2.2.7.8)

कंपनी ने, बाजार दरों की तुलना में उच्चतर दरों पर सरकारी एजेंसियों से एक लाख क्विंटल गेहूं के बीज के क्रय (नवंबर 2010) पर ₹ 2.95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

(अनुच्छेद 2.2.8.1)

बीजों की लागत परिकलित करते हुए, कंपनी ने, 2009-13 के दौरान किसानों से ₹ 2.58 करोड़ और ₹ 5.52 करोड़ क्रमशः ब्याज और कमीशन के लिए अधिक वसूल किए तथा सह-उत्पादकों को अन्य सरकारी संगठनों से ₹ 2.84 करोड़ का अधिक दाम लेने की अनुमति देकर अनुचित लाभ दिया।

(अनुच्छेद 2.2.8.3 और 2.2.8.5)

2009-14 के दौरान सीड विलेज स्कीम के अंतर्गत 11.58 लाख किसानों को जोड़ने के लक्ष्य के विरुद्ध, कंपनी ने 4.03 लाख किसान ही जोड़े। कंपनी ने, स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण लागत पर किए गए वास्तविक व्यय के आधिक्य में ₹ 2.72 करोड़ का भारत सरकार से दावा किया।

(अनुच्छेद 2.2.9)

3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

प्रतिवेदन में शामिल लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां राज्य सरकार की कंपनियों के प्रबंधन में हुई त्रुटियों को रेखांकित करती हैं, जिनमें गंभीर वित्तीय इंपलीकेशनस थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार नीचे दिया गया है:

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र

एच.पी.पी.सी. ने एच.पी.जी.सी.एल. को ₹ 755.91 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया तथा साफ्ट पेनल्टी नार्मस, विद्युत क्रय अनुबंधों में दोषपूर्ण क्लाजिज तथा लघु अवधि विद्युत क्रय के अंतिमकरण में देरी के कारण ₹ 165.26 करोड़ की हानि हुई। विद्युत की उपलब्धता में कमियां एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से ऊंची दरों पर लघु अवधि तथा यू.आई. विद्युत खरीद कर पूरी की गई जिसने डिस्कोमस पर ₹ 2,095.27 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला।

(अनुच्छेद 3.3)

हरियाणा राज्य सड़क तथा पुल विकास निगम लिमिटेड

अनुबंधकर्ताओं के खाते में पैसों के गलत जमा तथा उनके अमिलान के कारण ₹ 1.34 करोड़ की अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.6)

हरियाणा एगो उद्योग निगम लिमिटेड

निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण एफ.सी.आई. से किसानों को दिए गए ₹ 10.46 करोड़ के बोनस की अदायगी अभी तक नहीं हुई है तथा बोनस भुगतान करने के लिए प्राप्त ऐसी सी.सी. लिमिट पर ₹ 4.79 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया था।

(अनुच्छेद 3.7)

हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड

अनुसूचित जाति लाभग्राहियों को सहायता अनुदान के 20 प्रतिशत का सवितरण सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। अधिशेष निधियों/साम्या का प्रबंधन अनुचित था। ब्याज सब्सिडी का सदेहास्पद गबन देखा गया जिसमें 47 भिन्न-भिन्न मामलों से संबंधित ₹ 10.90 लाख एक बैंक खाते में जमा करवाए गए थे।

(अनुच्छेद 3.8)

हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड

पांच जिलों में, अपात्र लाभग्राहियों को ₹ 50 लाख की ऋण राशि संस्वीकृत तथा सवितरित की गई। पिछड़े वर्गों के मामले में वसूली की प्रतिशतता 21 एवं 39 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के मामले में 14 एवं 25 प्रतिशत तथा विकलांग व्यक्तियों के मामले में 29 और 35 प्रतिशत के बीच रही थी।

(अनुच्छेद 3.9)

अध्याय ।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का
संक्षिप्त अवलोकन

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

अध्याय 1

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का संक्षिप्त अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार की कंपनियों एवं सांविधिक निगमों से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) बनते हैं। राज्य ने सा.क्षे.उ. में ₹ 39,383.18 करोड़ का निवेश किया-इक्विटी: ₹ 8,643.43 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹ 30,739.75 करोड़। राज्य सा.क्षे.उ. की मुख्य गतिविधियां विद्युत क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं। 31 मार्च 2014 को 26 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगमों सहित 28 सा.क्षे.उ. थे। 2013-14 के दौरान तीन अकार्यरत कंपनियां-हरियाणा राज्य हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम लिमिटेड तथा हरियाणा टेनरीज लिमिटेड बंद हो चुकी थी।

1.2 लेखापरीक्षा अधिकार - पत्र

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित है। सैक्शन 617 के अनुसार, सरकारी कंपनी वह है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकार द्वारा रखी जाती है। एक सरकारी कंपनी में उस सरकारी कंपनी की नियन्त्रित कंपनी शामिल होती है। पुनः, कंपनी अधिनियम के सैक्शन 619-बी के अनुसार, सरकार, सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों के किसी भी संयोजन का जिस कंपनी में 51 प्रतिशत की प्रदत्त पूंजी होती है वह सरकारी कंपनी के तुल्य (मानक सरकारी कंपनी) समझी जाती है।

राज्य सरकार की ऐसी कंपनियों के लेखे, कंपनी अधिनियम, 1956 के सैक्शन 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किये जाते हैं। ये लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा संचालित पूरक लेखापरीक्षा के अन्तर्गत भी आते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम तथा हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में लेखापरीक्षा चार्टर्ड लेखाकारों तथा पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा संचालित की जाती है।

1.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 28 सा.क्षे.उ. (एक 619-बी कंपनी सहित) में 31 मार्च 2014 को निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 39,383.18 करोड़ था।


तालिका 1.1

(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. की श्रेणी		संख्या	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	योग
कार्यरत	सरकारी कंपनियां	22	8,411.95	30,545.55	38,957.50
	साविधिक निगम	2	213.50	92.87	306.37
	योग	24	8,625.45	30,638.42	39,263.87
अकार्यरत	सरकारी कंपनियां	4	17.98	101.33	119.31
	साविधिक निगम	-	-	-	-
	योग	4	17.98	101.33	119.31
कुल योग		28	8,643.43	30,739.75	39,383.18

राज्य सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश का सार परिशिष्ट 1 में वर्णित है।

31 मार्च 2014 को, राज्य सा.क्षे.उ. में कुल निवेश का 99.70 प्रतिशत कार्यरत सा.क्षे.उ. में तथा शेष 0.30 प्रतिशत अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। यह कुल निवेश, 21.95 प्रतिशत पूंजी एवं 78.05 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों से बना था। निवेश 2009-10 में ₹ 24,307.45 करोड़ से 62.02 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹ 39,383.18 करोड़ हो गया था। उसी अवधि के दौरान, निवेश-वृद्धि में पूंजी, 2009-10 में ₹ 6867.94 करोड़ से 25.85 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹ 8,643.43 करोड़ हो गई तथा ऋण, ₹ 17,439.51 करोड़ से 76.26 प्रतिशत बढ़कर ₹ 30,739.75 करोड़ तक पहुंच गए। कुल निवेश में वृद्धि नीचे ग्राफ में दर्शाई गई है।



निवेश का मुख्य बल विद्युत क्षेत्र था। यह 2009-10 के दौरान ₹ 22,992.57 करोड़ से 2013-14 के दौरान ₹ 35,969.90 करोड़ तक बढ़ गया था। संपूर्ण निवेश में इसका भाग, तथापि, प्रतिशतता में 94.59 प्रतिशत से 91.33 प्रतिशत तक अल्प मात्रा में घट गई। मूलभूत संरचना क्षेत्र में भी निवेश 2009-10 में ₹ 437.39 करोड़ से 2013-14 में ₹ 2,752.10 करोड़ तक बढ़ गया।

1.4 बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/परिदान, गारंटियां एवं ऋण

राज्य सरकार द्वारा राज्य सा.क्षे.उ. के संबंध में इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/परिदानों, गारंटियों के जारी किये जाने, ऋणों के बट्टे खाते डालने, ऋणों के इक्विटी में परिवर्तन एवं ऋण माफी के लिये बजटीय बहिर्गमन का विवरण परिशिष्ट 3 में दिया गया है। 2013-14 को समाप्त तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
1.	बजट से इक्विटी पूंजी बहिर्गमन	9	726.80	7	199.65	6	102.92
2.	बजट से दिए गए ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	6.48
3.	प्राप्त अनुदान/परिदान	13	7,320.55	10	10,319.97	11	10,639.10
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	16	8,047.35	13 ¹	10,519.62	13 ¹	10,748.50
5.	जारी गारंटिया	6 ¹	1,654.25	5	15,908.95	5	10,425.04
6.	गारंटी वचनबद्धता	10	3,596.34	9	17,111.18	9	25,074.45

ऋण प्राप्त करने के लिए कार्यरत सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा जारी गारंटियां 2012-13 में ₹ 15,908.95 करोड़ से घटकर 2013-14 में ₹ 10,425.04 करोड़ हो गईं। 31 मार्च 2014 को गारंटी की बकाया राशि ₹ 25,074.45 करोड़ थी। 1 अगस्त 2001 से सा.क्षे.उ. के सभी उधारों पर राज्य सरकार ने दो प्रतिशत की दर से गारंटी फीस लगा दी। राज्य सा.क्षे.उ. द्वारा 2013-14 के दौरान देय गारंटी फीस ₹ 242.19 करोड़ थी जिसमें से ₹ 2.01 करोड़ का शेष छोड़ते हुए ₹ 240.18 करोड़ का भुगतान किया गया था। चूककर्ता हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम था।

1.5 वित्त लेखाओं का मिलान

राज्य सा.क्षे.उ. के रिकार्ड के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आंकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दर्शित आंकड़ों के समान होने चाहिए। आंकड़ों के समान न होने पर संबंधित सा.क्षे.उ. एवं वित्त विभाग को अन्तरो का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2014 को इस विषय में स्थिति नीचे बताई गई है।

तालिका 1.3

(₹ करोड़ में)

से संबंधित बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	7,015.18	7,456.55	441.37
ऋण	1,130.39	247.73	882.66
गारंटियां	25,658.30	25,074.45	583.85

¹ कंपनियों/निगमों की वास्तविक संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने संबंधित वर्षों के दौरान राज्य सरकार से इक्विटी, ऋणों, अनुदानों तथा परिदानों के रूप में बजटीय समर्थन प्राप्त किया।

ये अन्तर, 16 सा.क्षे.उ. के संबंध में घटित पाया गया था। सरकार तथा सा.क्षे.उ. को समयबद्ध ढंग से अंतरों के मिलान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

1.6 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के उस नवीनतम वर्ष, जिसके लेखे अंतिमकृत किए गए थे, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट 2** में दिए गए हैं। 24² कार्यरत सा.क्षे.उ. ने पूरक लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए, जिनमें से 15 सा.क्षे.उ. ने ₹ 118.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया, आठ सा.क्षे.उ. ने ₹ 4,032.54 करोड़ की हानि उठाई तथा एक सा.क्षे.उ. (हरियाणा कोयला कंपनी लिमिटेड) द्वारा अभी वाणिज्यिक गतिविधियां आरंभ करनी शेष है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 83.19 करोड़) मुख्य लाभ अर्जक था। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,296.85 करोड़), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,352.41 करोड़) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 175.14 करोड़), हरियाणा राज्य भंडारण निगम (₹ 138.51 करोड़), हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 44.13 करोड़) तथा हरियाणा पावर जेनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 25.50 करोड़) द्वारा भारी नुकसान उठाए गए थे। दो सा.क्षे.उ. ने ₹ 0.26 करोड़ का लाभांश घोषित किया तथा तेरह सा.क्षे.उ. ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि कार्यरत राज्य सा.क्षे.उ. ने ₹ 2,740.59 करोड़ की नियंत्रणयोग्य हानियां/परिहार्य व्यय किया तथा ₹ 38.39 करोड़ के निष्फल निवेश किया जिन्हें बेहतर प्रबन्धन से नियंत्रित किया जा सकता था। विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.4

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार नियंत्रणयोग्य हानियां/परिहार्य व्यय	1,497.16	126.45	1,116.98
निष्फल निवेश	36.97	--	1.42

1.7 लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

कंपनी अधिनियम, 1956 के सैक्शन 166, 210, 230, 619-ए और 619-बी के अधीन कंपनियों के प्रत्येक वर्ष के लेखे संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर अंतिमकृत किए जाने अपेक्षित हैं। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में, उनके लेखे उनके क्रमशः संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिमकृत, लेखापरीक्षित एवं विधानसभा को प्रस्तुत किए जाते हैं।

30 सितंबर 2014 तक कार्यरत सा.क्षे.उ. के द्वारा लेखाओं के अन्तिमकरण के लिए की गई प्रगति का विवरण निम्न तालिका प्रदान करती है।

² वर्ष 2009-10 के लिए (तीन सा.क्षे.उ.), 2010-11 (तीन सा.क्षे.उ.), 2011-12 (तीन सा.क्षे.उ.), 2012-13 (10 सा.क्षे.उ.) तथा 2013-14 (पांच सा.क्षे.उ.)।

तालिका 1.5

क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या	21	22	22	24 ³	24
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमकृत लेखाओं की संख्या	17	23	22	18	23
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	30	29	29	34	35
4.	औसत बकाया प्रति सा.क्षे.उ. (3/1)	1.38	1.32	1.32	1.41	1.46
5.	कार्यरत सा.क्षे.उ., जिनके लेखे बकाया हैं, की संख्या	16	17	17	19	19
6.	बकाया-अवधि (वर्षों में)	1 से 6	1 से 5	1 से 4	1 से 4	1 से 4

कंपनियों द्वारा बताया गया कि लेखाओं के अन्तिमकरण में देरी के मुख्य कारण, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी और लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण नहीं होना है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, अकार्यरत सा.क्षे.उ. द्वारा भी उनके लेखाओं के अन्तिमकरण बकाया थे।

परिसमापनाधीन अकार्यरत सा.क्षे.उ. को छोड़ने के बाद चार अकार्यरत सा.क्षे.उ. में से एक सा.क्षे.उ. के लेखे दो⁴ वर्ष के लिए बकाया थे तथा दूसरे के लेखे एक वर्ष के लिए बकाया थे।

उन वर्षों के दौरान जिनके लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ है, राज्य सरकार ने 12 सा.क्षे.उ. में ₹ 5,527.35 करोड़ (इक्विटी: ₹ 11.96 करोड़, ऋण: ₹ 6.48 करोड़, अनुदान: ₹ 116.97 करोड़ और सबसिडी: ₹ 5,391.94 करोड़) का निवेश किया था, जैसा कि परिशिष्ट 4 में वर्णित है। लेखाओं के अन्तिमकरण तथा उनके अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि किए गए निवेश तथा व्यय उचित रूप से लेखाओं में लिए गए हैं या नहीं तथा वह उद्देश्य प्राप्त किया गया है या नहीं जिसके लिए राशि निवेश की गई थी। इस प्रकार, ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है।

प्रशासनिक विभागों के पास इन उपक्रमों की गतिविधियां देखने एवं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन सा.क्षे.उ. द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जाए एवं अपनाया जाए। प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले.) द्वारा लेखा के बकायों की स्थिति संबंधित प्रशासनिक विभागों के संज्ञान में लाई गई। फिर भी, इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2014 को इन सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका। लेखाओं के पुराने बकाया को समयबद्ध ढंग से शीघ्र निपटाने का मामला प्र.म.ले. ने मुख्य सचिव के साथ भी उठाया (जुलाई 2014) किंतु सुधार नहीं किया जा सका।

बकाया की उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत यह सिफारिश की जाती है कि:

- बकाया के निपटान के निरीक्षण हेतु सरकार एक सैल बना सकती है और प्रत्येक कंपनी के लिए लक्ष्य निश्चित कर सकती है, जिसकी मॉनीटरिंग की जायेगी।
- सरकार आवश्यक निपुणता वाली एजेंसियों की सेवाएं लेने पर विचार कर सकती है।

³ हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड को 24 जनवरी 2013 को निगमित किया गया, अतः इसके लेखे देय नहीं थे।

⁴ हरियाणा राज्य आवासीय वित्त निगम लिमिटेड तथा हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड।

1.8 अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बन्द करना

31 मार्च 2014 को चार अकार्यरत सा.क्षे.उ. (सभी कंपनियों) थे। इनमें से, दो सा.क्षे.उ.⁵ परिसमापन प्रक्रिया के अधीन थे। तथापि, परिसमापन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई थी।

अकार्यरत सा.क्षे.उ. को बन्द कर देने की जरूरत है क्योंकि उनके अस्तित्व से कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। 2013-14 के दौरान, एक अकार्यरत सा.क्षे.उ. ने स्थापना पर ₹ 26.40 लाख का व्यय किया। यह व्यय, परिसम्पत्तियों/निवेश के निपटान (₹ 35.68 लाख) के माध्यम से वहन किया गया था। सरकार बची हुई अकार्यरत कंपनियों को बन्द करने के कार्य को तीव्र करने के लिए एक सैल बनाने के बारे में विचार कर सकती है।

1.9 लेखा टिप्पणियां और आन्तरिक लेखापरीक्षा

1 अक्टूबर 2013 से 30 सितम्बर 2014 तक की अवधि के दौरान अठारह कार्यरत कंपनियों ने अपने 21 लेखापरीक्षित लेखे प्र.म.ले. को अग्रेषित किए। 13 लेखाओं के संबंध में पूरक लेखापरीक्षा की गई तथा आठ लेखाओं के लिए असमीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया गया। इसी प्रकार, दोनों सांविधिक निगमों अर्थात् एच.डब्ल्यू.सी. (हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन) ने अपने वर्ष 2012-13 के लेखे तथा एच.एफ.सी. (हरियाणा वित्तीय निगम) ने अपने 2013-14 के लेखे भेजे। दो सांविधिक निगमों अर्थात् एच.डब्ल्यू.सी. तथा एच.एफ.सी. (पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त 2012-13 के लेखे) की टिप्पणियां अंतिमकृत की गईं। नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को काफी सुधारने की जरूरत थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य के विवरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 1.6

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	कंपनियां				निगम			
		2012-13		2013-14		2012-13		2013-14	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	11.48	10	29.51	1	3.98	1	3.78
2.	हानि का बढ़ना	4	6,018.96	2	1,081.47	-	-	1	4.55
3.	आर्थिक तथ्यों का खुलासा न करना	4	234.35	6	254.86	1	29.76	1	40.81
4.	वर्गीकरण की त्रुटियां	4	68.15	3	667.14	-	-	-	-
	योग		6,332.94		2,032.98		33.74		49.14

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 14 लेखाओं को परिमित प्रमाण-पत्र प्रदान किये। हमने यह देखा कि कंपनियों की लेखा मानकों (ले.मा.) की अनुपालना हल्की रही। वर्ष के दौरान तेरह लेखाओं में ले.मा. से अनुपालना न करने के 44 उदाहरण मिले।

कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के लेखाओं के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से कुछेक को नीचे दिया गया है।

⁵ हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड तथा हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड।

तालिका 1.7

कंपनी का नाम	लेखा वर्ष	टिप्पणी का सार
हरियाणा राज्य औद्योगिकी तथा मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2012-13	समूह उपदान स्कीम तथा अवकाश नकदीकरण स्कीम के बारे में एल.आई.सी. को देय ₹ 2.64 करोड़ की देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.64 करोड़ का लाभ अतिकथित हुआ।
हरियाणा राज्य सड़कें एवं पुल विकास निगम	2011-12	<ul style="list-style-type: none"> • छः प्रतिशत वार्षिक की बजाय एक प्रतिशत ब्याज के प्रावधान जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया गया (मार्च 2011) के परिणामस्वरूप ₹ 7.79 करोड़ के वित्त लागत के अवकथन तथा लाभ के अतिकथन हुए। • वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक गलत प्रावधान करने अथवा प्रावधान न करने से ₹ 172.67 करोड़ की वित्त लागत का अवकथन तथा रिजर्व एवं सरप्लस का अतिकथन हुआ। • कंपनी द्वारा किए गए कार्यों (₹ 193.75 करोड़) पर सेवा कर के प्रावधान न करने के परिणामतः ऋण और अग्रिम के साथ-साथ वर्तमान देयता तथा प्रावधान (देय सेवाकर) का ₹ 7.98 लाख का अवकथन हुआ।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2012-13	<ul style="list-style-type: none"> • 2012-13 (₹ 15.27 करोड़) तथा पहले के वर्षों (₹ 6.07 करोड़) से संबंधित ₹ 21.34 करोड़ के विद्युत क्रय बिलों को शामिल न करने के कारण ₹ 21.34 करोड़ की ट्रेड क्रेडिट्स तथा संचित हानि का अवकथन हुआ। • एन.एच.पी.सी. को देय जल प्रभारों के ₹ 40.74 करोड़ शामिल न करने के कारण ₹ 40.74 करोड़ की ट्रेड देयताओं तथा हानि का अवकथन हुआ। • वर्ष 2012-13 के दौरान विद्युत आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता को देय ₹ 19.41 करोड़ शामिल न करने के कारण ₹ 19.41 करोड़ की हानि का अवकथन हुआ। • पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) हेतु कोयले के कार्य-संपादन प्रोत्साहन के बारे में एच.पी.जी.सी.एल. को देय ₹ 1.99 करोड़ शामिल न करने के कारण ₹ 1.99 करोड़ की हानि अतिकथित हुई। • एच.वी.पी.एन.एल. को व्हीलिंग प्रभारों हेतु संशोधित दरों के प्रावधान न करने के कारण ₹ 19.74 करोड़ की हानि अतिकथित हुई।
सांविधिक निगम का नाम	लेखा वर्ष	टिप्पणी का सार
हरियाणा राज्य भंडारण निगम	2012-13	2007-08 से 2011-12 के दौरान गन्नी बेल्स की प्राप्ति में कमी का प्रावधान न करने के कारण ₹ 4.15 करोड़ का वसूली योग्य का अतिकथन तथा वर्ष की हानि का अवकथन हुआ।

सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड लेखाकारों) को कंपनी अधिनियम, 1956 के सैक्शन 619(3)(ए) के अन्तर्गत नि.म.ले.प. द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षित कंपनियों में आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना अपेक्षित है जहां सुधार की

जरूरत है। वर्ष 2013-14 के लिए, कंपनियों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियों का व्याख्यात्मक सार नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.8

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कंपनियों की संख्या जहां सिफारिशें की गई थी	परिशिष्ट-2 के अनुसार कंपनी के क्रमांक का संदर्भ
1.	स्टोर एवं स्पेयरज की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	5	ए4, ए6, ए8, ए11, ए14
2.	कंपनी के व्यापार की प्रकृति एवं आकार के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति का अभाव	7	ए4, ए5, ए6, ए7, ए11, ए13, ए14
3.	मात्रा विवरण, पहचान संख्या, प्राप्ति की तिथि, परिसम्पतियों की मूल्य ह्रास के बाद कीमत एवं उनकी स्थिति आदि को शामिल करते हुए उनके पूरे विवरण को दिखाने वाले उचित रिकार्ड का अनुरक्षण न करना	5	ए4, ए5, ए6, ए7, ए8,
4.	माल के क्रय पर आन्तरिक नियंत्रण की कमी	3	ए4, ए13, ए14
5.	आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति का अपर्याप्त/अविद्यमान होना	6	ए4, ए6, ए7, ए11, ए13, ए14
6.	कंप्यूटर प्रणाली (ई.डी.पी.) का प्रयोग न होना	6	ए4, ए5, ए6, ए11, ए13, ए14

1.10 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

2013-14 में लेखापरीक्षा के दौरान, ₹ 5.74 करोड़ की वसूलियां उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबन्धन को बताई गई, जो सा.क्षे.उ. द्वारा स्वीकार कर ली गई थी एवं वर्ष 2013-14 के दौरान वसूल भी कर ली गई थी।

1.11 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

दो सांविधिक निगमों में से, हरियाणा वित्तीय निगम की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प.) वर्ष 2012-13 तक के लिए राज्य विधानसभा को प्रस्तुत की गई थी तथा कोई बकाया नहीं था। हरियाणा राज्य भंडारण निगम के मामले में, वर्ष 2009-10 तक की पृ.ले.प. विधान सभा में प्रस्तुत की गई थी तथा 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों हेतु अनुमोदित पृ.ले.प. प्रस्तुति हेतु प्रतीक्षित थे।

1.12 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन

राज्य सरकार ने 2013-14 के दौरान अपने किसी भी सा.क्षे.उ. के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन का कार्य नहीं किया।

1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री पर विभागों के उत्तर

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु ₹ 173.50 करोड़ से आवेष्टित दो निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 944.90 करोड़ से आवेष्टित नौ लेखापरीक्षा अनुच्छेद, छः सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को जारी किए गए थे। तथापि, ₹ 940.78 करोड़ के धन मूल्य से आवेष्टित एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा सात संपादन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के संबंध में राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

1.14.1 लंबित उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों तथा विभागों में अनुरक्षित लेखाओं और अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण के साथ प्रारंभ हुए संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा को निरूपित करता है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से समुचित तथा सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए हैं (जुलाई 1996) कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुति के तीन महीनों की अवधि के अंदर उसमें शामिल अनुच्छेदों/समीक्षाओं के उत्तर पी.ए.सी./कोपु से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना निर्धारित फॉर्मेट में प्रस्तुत करें।

यद्यपि, 2011-12 वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा को मार्च 2013 में प्रस्तुत किए गए थे, फिर भी पांच विभागों ने, जिन पर टिप्पणियां की गई थी, 31 मार्च 2015 तक 15 अनुच्छेदों में से 3 के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए। विद्युत विभाग से उत्तर प्रतीक्षित थे। वर्ष 2013 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मार्च 2015 में विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था।

1.14.2 लोक उपक्रम समिति (कोपु) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

फरवरी 2009 तथा मार्च 2014 के बीच राज्य विधानसभा को प्रस्तुत कोपु के पांच प्रतिवेदनों से संबंधित 15 अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसंबर 2014) जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

तालिका 1.9

कोपु रिपोर्ट का वर्ष	आवेष्टित रिपोर्टों की कुल संख्या	कोपु रिपोर्टों में पैरों की संख्या	पैरों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2008-09	1	14	1 (पैरा सं. 14)
2010-11	1	10	1 (पैरा सं. 8)
2011-12	1	8	2 (पैरा सं. 3 और 5)
2012-13	1	16	3 (पैरा सं. 4, 5 और 7)
2013-14	1	10	8 (पैरा सं. 2 से 8 और 10)
योग	5	58	15

कोपु के इन प्रतिवेदनों में आठ विभागों से संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें सम्मिलित हैं, जो 1999-2000 से 2010-11 के वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में प्रकट हुई थीं।

1.14.3 कोपु की लंबित सिफारिशें

1976-77 से 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 180 सिफारिशों से समायुक्त समिति के सत्ताईस प्रतिवेदन, 31 मार्च 2015 तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। विभागों द्वारा इन सिफारिशों के अकार्यान्वयन के कारण, कोपु द्वारा वांछित सुधार प्राप्त नहीं हो सके।

1.14.4 निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रारूप अनुच्छेद और निष्पादन लेखापरीक्षा को उत्तर

लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा दृष्टिगत और स्थल पर समायोजित न की गई अभ्युक्तियां पी.एस.यूज के संबंधित अध्यक्षों और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आरज) के माध्यम से संप्रेषित की जाती हैं। पी.एस.यूज. के अध्यक्षों को आई.आरज के उत्तर संबंधित विभागाध्यक्षों के माध्यम से चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं। मार्च 2014 तक जारी आई.आरज की समीक्षा ने प्रकट किया कि 12 विभागों से संबंधित 286 आई.आरज के 1,054 अनुच्छेद 31 मार्च 2015 तक लंबित रहे।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार सुनिश्चित करे कि: (क) निर्धारित समय सीमा के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट/ड्राफ्ट पैराग्राफ/निष्पादन लेखापरीक्षा और कोपु की सिफारिशों पर ए.टी.एन. का जवाब भेजा जाएगा; (ख) निर्धारित अवधि के भीतर हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी; तथा (ग) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया की प्रणाली तैयार होगी।

1.15 इस प्रतिवेदन का कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,118.40 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित “वित्तीय पुर्नगठन योजना” तथा “हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड” पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं और 9 अनुच्छेद शामिल हैं।

अध्याय 2

सा.क्षे.उ. से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा -
सरकारी कंपनियां

अध्याय 2

2 सा.क्षे.उ. से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा – सरकारी कंपनियां

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

2.1 वित्तीय पुनर्गठन योजना

भारत सरकार (भा.स.), विद्युत मंत्रालय (वि.मं.) ने, राज्य द्वारा स्वामित्वप्राप्त विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कोम्ज) के वित्तीय पुनर्गठन की एक स्कीम, उनके हानि से लाभ में परिवर्तन हेतु समर्थ बनाने तथा दीर्घावधि वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए आरंभ की (अक्टूबर 2012)। राज्य सरकार सैद्धांतिक रूप में स्कीम से अक्टूबर 2012 में सहमत हो गई तथा उसने वित्तीय पुनर्गठन योजना (वि.पु.यो.) अनुमोदित की (29 मार्च 2013)। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए मुख्य महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

मुख्य अंश

आदर्श राज्य विद्युत वितरण उत्तरदायिता बिल के अधिनियमन की अनिवार्य शर्तों को, वितरण नेटवर्क में प्राइवेट भागीदारी, कृषि उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा लेखाओं का समय पर फाइनल करना, डिस्कोम्ज तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्ण नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने, भाग लेने वाले उधारकर्ताओं के पक्ष में फेज्ड पद्धति में विशेष प्रतिभूतियां जारी करके बाण्ड लेने की उनकी योजना प्रक्षेपित नहीं की थी यद्यपि स्कीम में अस्थायी आधार पर यह इंगित किया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.6, 2.1.7.1 से 2.1.7.4)

कार्यचालन पूंजीगत ऋण हेतु पंजाब एवं सिंध बैंक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (ग्रा.वि.नि.) से प्राप्त ₹ 641.16 करोड़ के एस.टी.एल. शामिल न करने के कारण डिस्कोम्ज पर ₹ 71.79 करोड़ के परिहार्य ब्याज का बोझ पड़ा।

(अनुच्छेद 2.1.7.11)

ए.सी.एस. – ए.आर.आर. तथा ए.टी. एंड सी. हानियों में कटौती से संबंधित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए तथा भारत सरकार द्वारा टी.एफ.एम. के अंतर्गत ₹ 199 करोड़ की सीमा तक उपलब्ध करवाए जा रहे लाभ से वंचित हुए।

(अनुच्छेद 2.1.8)

राज्य सरकार ने अपनी वचनबद्धताएं पूर्ण नहीं की जैसे कि – ए.पी. उपभोक्ताओं पर एफ.एस.ए. के कारण वसूलनीय ₹ 2,115.87 करोड़ की सबसिडी जारी करना, सरकारी विभागों के ₹ 500.42 करोड़ के बकाया विद्युत प्रभार जारी करना, डिस्कोम्ज को एस.टी.एल. पर

₹ 1,537.36 करोड़ के ब्याज की प्रतिपूर्ति करना तथा फेज्ड पद्धति में विशेष प्रतिभूतियां जारी करके बांड्स ग्रहण करना।

(अनुच्छेद 2.1.7.5, 2.1.9.1 तथा 2.1.9.2)

स्कीम के बावजूद 2011-14 के दौरान यू.एच.बी.वी.एन.एल. की संचित हानियां ₹ 12,423.61 करोड़ से ₹ 16,185.47 करोड़ तक (जुलाई 2013 में यू.एच.बी.वी.एन.एल. से डी.एच.बी.वी.एन.एल. को हस्तांतरित जींद सर्कल की ₹ 2,291.68 करोड़ की संचित हानियों को छोड़कर) तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. की ₹ 7,285.53 करोड़ से ₹ 10,726.59 करोड़ तक बढ़ गई।

(अनुच्छेद 2.1.10)

2.1.1 प्रस्तावना

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) राज्य की दो विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कोम्ज) हैं। यू.एच.बी.वी.एन.एल. राज्य के उत्तरी जोन¹ में तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. दक्षिणी जोन² में, प्रत्येक नौ परिचालन सर्कलों के माध्यम से बिजली वितरित करता है। 31 मार्च 2012 तक डिस्कोम्ज ने ₹ 19,709.14 करोड़ (यू.एच.बी.वी.एन.एल. ₹ 12,423.61 करोड़ तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. ₹ 7,285.53 करोड़) की हानियां संचित की थी। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य द्वारा स्वामित्व प्राप्त डिस्कोम्ज का, उनको हानि से लाभ में लाने तथा उनकी दीर्घ अवधि व्यवहार्यता सुनिश्चित करने हेतु, वित्तीय पुनर्गठन के लिए एक स्कीम बनाई तथा अनुमोदित की (अक्टूबर 2012)। स्कीम में, परिवर्ती वित्तीय यंत्रावली (टी.एफ.एम.) के माध्यम से केंद्रीय सरकार की सहायता द्वारा ऋणों का पुनर्गठन करके, वित्तीय हानि से लाभ में परिवर्तन की उपलब्धि हेतु राज्य डिस्कोम्ज तथा राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले उपाय शामिल हैं। स्कीम ने अन्य के साथ-साथ यह प्रावधान किया कि राज्य सरकार, 31 मार्च 2012 तक की डिस्कोम्ज की बकाया लघु अवधि देयताओं (एस.टी.एलस)³ का पचास प्रतिशत ग्रहण करेगी जो बाण्ड्स में परिवर्तित की जाएगी। सरकारी गारंटी द्वारा विधिवत समर्थित ये बाण्ड डिस्कोम्ज द्वारा संकाय सदस्य बैंकों (भागीदार ऋणदाता) को जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार, ब्याज तथा मूल राशि का पुनर्भुगतान करने हेतु डिस्कोम्ज को पूर्ण सहायता प्रदान करने के साथ-साथ फेज्ड पद्धति में, संकाय बैंकों के पक्ष में विशेष प्रतिभूतियां जारी करके अगले दो से पांच वर्षों के दौरान देयता ग्रहण करेगी। 31 मार्च 2012 को बकाया एस.टी.एल. का शेष पचास प्रतिशत, तीन वर्षों की स्थगन अवधि के साथ ऋणदाताओं द्वारा पुनः री-शैड्यूल किया जाएगा। मूल तथा ब्याज राशि का पुनर्भुगतान राज्य सरकार की गारंटी द्वारा पूर्णतः सुरक्षित होगा। पुनः, टी.एफ.एम. के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (पु.त्व.वि.वि.सु.का.) में वर्णित हानि-अनुमानों से अधिक तकनीकी तथा वाणिज्यिक

¹ उत्तरी जोन: अंबाला, झज्जर, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर।

² दक्षिणी जोन: भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, नारनौल, पलवल, रेवाड़ी तथा सिरसा।

³ एस.टी.एलस- लघु अवधि ऋण, कार्यचालन पूंजीगत ऋण, विद्युत आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान योग्य राशि को सूचित करते हैं तथा पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण हेतु लिए गए ऋणों को छोड़कर अन्य ऋण इसमें शामिल होते हैं।

(ए.टी. एंड सी.) हानि को कम करके बचाई गई अतिरिक्त विद्युत के मूल्य के बराबर का अनुदान प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा, स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ग्रहण की गई देयताओं के 25 प्रतिशत की पूंजीगत प्रतिपूर्ति भी प्रोत्साहन के रूप में दिया जाना था। प्रथम तीन वर्षों के लिए द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद एक पृथक व्यवस्था पोषण के लिए, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के लिए अनुमानों की उपलब्धि नहीं होती है, तो राज्य सरकार बनाई जानी है। यदि वि.पु.यो. में वार्षिक अनुमानों की उपलब्धि नहीं होती है, तो राज्य सरकार द्वारा इस कमी को वास्तविक आधार पर साम्या के रूप में अथवा ब्याजमुक्त ऋण के रूप में स्वीकार करना है और कमी को वार्षिक तौर पर उपलब्ध कराना है।

हानि से लाभ में परिवर्तित करने की रणनीति तथा इस संबंध में डिस्कोमज द्वारा की गई प्रगति मानीटर करने के लिए एक केंद्र स्तरीय मानीटरिंग कमेटी (के.स्त.मा.क.)⁴ तथा राज्य स्तरीय मानीटरिंग कमेटी (रा.स्त.मा.क.)⁵ गठित की जानी थी। सरकार सैद्धांतिक रूप से अक्टूबर 2012 में स्कीम से सहमत हुई तथा वित्तीय पुनर्गठन योजना (वि.पु.यो.) को अनुमोदित किया (29 मार्च 2013)।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

इन कंपनियों का प्रबंधन, प्रबंध निदेशक (प्र.नि.), कंपनी के मुख्य कार्यकारी तथा तीन पूर्णकालिक निदेशकों, एक कंपनी सचिव के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सलाहकार (तकनीकी) से समायुक्त एक निदेशक मंडल (नि.मं.) के पास निहित है।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

- वि.पु.यो., भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य डिस्कोमज के वित्तीय पुनर्गठन की स्कीम के अनुसार तैयार की गई है;
- वि.पु.यो. की अनिवार्य तथा अनुशासनात्मक शर्तों की अनुपालना की गई थी;
- ए.टी. एंड सी. हानियों में कटौती, ए.सी.एस. तथा ए.आर.आर. के बीच अंतराल इत्यादि संबंधी लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे; तथा
- कड़ी मानीटरिंग प्रणाली विद्यमान है।

⁴ योजना आयोग का सदस्य (विद्युत), सचिव (विद्युत वित्त सेवाएं), सचिव (आर्थिक मामले), पी.एफ.सी. तथा आर.ई.सी. का सी.एम.डी., चेरमैन (सी.ई.ए.) सदस्य सचिव के रूप में।

⁵ मुख्य सचिव अथवा वित्त सचिव, विद्युत सचिव, डिस्कोमज का मुखिया तथा डिस्कोमज के तीन मुख्य ऋणदाताओं के प्रतिनिधि।

2.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा जारी वित्तीय पुनर्गठन योजना (वि.पु.यो.) की स्कीम के उद्देश्य के निबंधन में इस स्कीम तथा इसके कार्यान्वयन को आकलित करने हेतु वर्तमान लेखापरीक्षा की गई थी (जनवरी से जुलाई 2014)।

“पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड में विद्युत क्षेत्र सुधार एवं पुनर्गठन” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)-हरियाणा सरकार में शामिल की गई थी। प्रतिवेदन पर, राज्य विधान सभा की लोक उपक्रम समिति (कोपु) द्वारा इसकी 52वीं रिपोर्ट में चर्चा की गई थी। कोपु ने सिफारिश की (मार्च 2006) कि लाइन हानियां कम करने तथा संग्रहण निपुणता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। तथापि, डिस्कोम्ज, लाइन हानियां कम करने तथा संग्रहण निपुणता बढ़ाने में विफल रहे।

लेखापरीक्षा परिणाम, राज्य सरकार तथा प्रबंधन को सूचित किए गए थे (अगस्त 2014 तथा मार्च 2015)। प्रबंधन ने अपना उत्तर दिया था (सितंबर 2014 तथा मार्च 2015)। फिर भी, राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मार्च 2015) परंतु इस पर एग्जिट काफ्रेंस में (सितंबर 2014) प्रबंधन तथा प्रधान सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा चर्चा की गई थी। एग्जिट काफ्रेंस में उनके द्वारा प्रकट किए गए विचार तथा प्रबंधन के उत्तर (सितंबर 2014 तथा मार्च 2015) निष्पादन लेखापरीक्षा फाइनल करते समय ध्यान में रखे गए हैं।

2.1.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत निम्नलिखित थे:

- स्कीम से संबंधित भारत सरकार के निर्देश/दिशानिर्देश, परिवर्ती वित्त यंत्रावली इत्यादि;
- ऋणों के पुनर्गठन के लिए संकाय⁶ सदस्य बैंकों के साथ किए गए अनुबंधों की निबंधन एवं शर्तें;
- विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान; तथा
- भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशानिर्देश/निर्देश/आदेश तथा हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (ह.वि.नि.आ.) द्वारा निर्धारित तकनीकी तथा गैर तकनीकी हानियों के मानक।

⁶ एस.टी.एलस के पुनर्गठन हेतु गठित 17 बैंकों का समूह।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा के दौरान हमने निम्नलिखित अवलोकित किया:

2.1.6 एफ.आर.पी. तथा इसकी मूल धारणाएं

31 मार्च 2012 को, डिस्कोम्ज की वित्तीय स्थिति नाजुक थी। दोनों डिस्कोम्ज की संचित हानियां ₹ 19,709.14 करोड़ थी, निवल मूल्य (-) ₹ 1,6,167.25 करोड़ था, बकाया एस.टी.एल. ₹ 16,169.26 करोड़ थे तथा ए.टी. एंड सी. हानियां उ.ह.बि.वि.नि. में 27.46 प्रतिशत और द.ह.बि.वि.नि. में 24.12 प्रतिशत थीं। ए.सी.एस. तथा ए.आर.आर. के बीच अंतराल उ.ह.बि.वि.नि. के लिए ₹ 2.97 तथा द.ह.बि.वि.नि. के लिए ₹ 1.15 प्रति यूनिट था। टैरिफ वृद्धि, नौ वर्षों के अंतराल के बाद सितंबर 2010 में प्रभावित की गई थी।

भारत सरकार की डिस्कोम्ज के वित्तीय पुनर्गठन की स्कीम से राज्य सरकार 11 अक्टूबर 2012 को मुख्य रूप से सहमत हुई थी। तदनुसार, वित्तीय पुनर्गठन योजना के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार तथा हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया (29 मार्च 2013) जो एस.एल.एम.सी. तथा एच.ई.आर.सी. द्वारा क्रमशः 25 जुलाई 2013 तथा 12 नवंबर 2013 को अनुमोदित किया गया। राज्य एफ.आर.पी. के अनुसार, मार्च 2012 को स्कीम के अंतर्गत योग्य राशि ₹ 14,763.06 करोड़ थी (बकाया लघु अवधि ऋण- ₹ 10,269.06 करोड़ तथा 60 दिनों से अधिक भुगतान योग्य विद्युत क्रय- ₹ 4,494 करोड़) जो मार्च 2012 को ₹ 19,709.14 करोड़ की संचित हानियों से कम थी। ₹ 7,381.53 करोड़ अर्थात् एस.टी.एल.ज का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किया गया था (मार्च 2013)। डिस्कोम्ज ने 9.80 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कूपन दर पर संकाय बैंकों को ₹ 7,366.60 करोड़ के बाण्ड जारी किए (22 नवंबर 2013)। ₹ 14.93 करोड़ की शेष राशि के बाण्ड जारी नहीं किए जा सके क्योंकि संकाय बैंकों का एक सदस्य बैंक (आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड) सहमत नहीं हुआ। एस.टी.एल. की राशि का शेष 50 प्रतिशत, बैंकों द्वारा पुनर्गठित किया गया। एफ.आर.पी. अपनाते के दौरान डिस्कोम्ज द्वारा निम्नलिखित धारणाएं ध्यान में रखी गई थीं:

- **ए.सी.एस. तथा ए.आर.आर. के बीच अंतराल का समापन:** स्कीम के पैरा 2 (डी) के अनुसार, ए.सी.एस. तथा ए.आर.आर. के बीच अंतराल, वर्ष 2010-11 को बैंचमार्क के रूप में रखते हुए प्रतिवर्ष कम से कम 25 प्रतिशत तक कम की जानी चाहिए तथा यह अंतराल 2012-13 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। ए.सी.एस. तथा ए.आर.आर. के मध्य अंतराल को समाप्त करने के लिए तीन वर्षों की निर्धारित अवधि के विरुद्ध उ.ह.बि.वि.नि. द्वारा 2012-13 से आरंभ करके पांच वर्षों में, 2012-13 के आधार वर्ष के साथ ₹ 3.11, ₹ 1.85, ₹ 1.09, ₹ 0.93 तथा ₹ 0.41 प्रति इकाई की कटौती के साथ, ए.सी.एस. तथा ए.आर.आर. अंतराल को दूर करना विचारित था। इसी प्रकार, द.ह.बि.वि.नि. ने 2011-12 के आधार वर्ष के साथ ₹ 1.34, ₹ 0.31 तथा ₹ 0.54 प्रति इकाई की कटौती के साथ 2012-13 से आरंभ करके तीन वर्षों में अंतराल को दूर करना प्रक्षेपित किया था। यह अंतराल टैरिफ वृद्धि, एफ.एस.ए. का 100 प्रतिशत पास-थ्रू तथा ए.टी. एंड सी. हानियों की कटौती इत्यादि द्वारा दूर किया जाना था। ए.सी. एस. तथा ए.आर.आर. अंतराल दूर करने के संबंध में प्रक्षेपण के विरुद्ध हुई उपलब्धियों पर अनुच्छेद 2.1.8-क में चर्चा की गई है।

● **ए.टी. एंड सी. हानियों में कटौती:** ए.टी. एंड सी. हानि कटौती के लक्ष्य, आर-ए.पी.डी.आर.पी. स्कीम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्षेप से परे की गई अतिरिक्त विद्युत के बचत के आधार पर विचारित थे। जिसमें 2010-11 को आधार वर्ष मानते हुए 30 प्रतिशत से अधिक ए.टी. एंड सी. हानि वाली कंपनियों द्वारा प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत तक तथा ए.टी. एंड सी. हानि के 30 प्रतिशत से कम होने के मामले में प्रतिवर्ष 1.5 प्रतिशत तक, ये हानियां कम की जानी थीं। यू.एच.बी.वी.एन.एल. की ए.टी. एंड सी. हानियां 2011-12 के दौरान 27.46 प्रतिशत थीं। यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने अपने फीडर, घरेलू एवं कृषीय उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग कर लिए थे। इस कदम के परिणाम में, इसने 2011-12 के दौरान कृषीय श्रेणी को अपनी बिक्री संशोधित कर दी और अपनी हानियों की पुनः गणना की। अब यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने 2012-13 से 2016-17 के दौरान ए.टी. एंड सी. हानियों को 34.68, 31.53, 28.4, 25.7 तथा 23.3 प्रतिशत तक लाने की योजना बनाई थी। डी.एच.बी.वी.एन.एल. की 2011-12 के दौरान हानियां 24.18 प्रतिशत थी तथा इसने 2012-13 से 2015-16 के दौरान इन्हें 25, 22.34, 20.6 तथा 19 प्रतिशत तक लाने की योजना बनाई थी। ए.टी. एंड सी. हानियों की प्रक्षेपित हानि के विरुद्ध उपलब्धियों पर अनुच्छेद 2.1.8-ए में चर्चा की गई है।

● **विद्युत की अन्तर्राज्यीय बिक्री से आय:** डिस्कोम्ज ने प्रक्षेपित किया कि 2017-18 तक उपलब्ध अधिशेष विद्युत की बिक्री के कारण वे वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान ₹ 1,137 करोड़, ₹ 2,044 करोड़, ₹ 1,573 करोड़, ₹ 691 करोड़, ₹ 1,657 करोड़ तथा ₹ 531 करोड़ अर्जित करेंगे। अन्तर्राज्यीय बिक्री से हुई आय से संबंधित प्रक्षेपण के विरुद्ध हुई उपलब्धि पर अनुच्छेद 2.1.8-बी में चर्चा की गई है।

● **विद्युत बिक्री:** गैर-घरेलू, मीटर रहित, कृषि लघु सिंचाई, सार्वजनिक जल कार्यों, रेलवे, बल्क सप्लाय तथा स्ट्रीट लाइट के लिए विद्युत बिक्री प्रोजेक्शन, विशिष्ट स्वपत प्रणाली पर आधारित थे। इन श्रेणियों के लिए, उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, प्रति उपभोक्ता संयोजित भार में वृद्धि तथा विशिष्ट स्वपत, भावी बिक्रियां निर्धारित करती थीं। अन्य श्रेणियों जैसे घरेलू (ग्रामीण एंड शहरी), एल.टी. औद्योगिक, एच.टी. औद्योगिक तथा मीटर वाले कृषि आदि हेतु यूनिट बिक्रियां, उस विशिष्ट श्रेणी के लिए अनुमानित परिचालित घंटों के आधार पर प्रक्षेपित थीं। ये प्रक्षेपण, ए.पी. उपभोक्ताओं जिनके लिए 2013-14 में तथा इसके पश्चात् 8 घंटे की आपूर्ति का लक्ष्य था, उनको छोड़कर सभी श्रेणियों को 20-24 घंटे विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लक्ष्य पर आधारित थे। विद्युत बिक्री संबंधी प्रोजेक्शन के विरुद्ध हुई उपलब्धि पर अनुच्छेद 2.1.8 सी. में चर्चा की गई है।

● **टैरिफ दर में वृद्धि:** एफ.आर.पी. इस धारणा के साथ अपनाया गया था कि 2012-13 में यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. में क्रमशः 15 एवं 17 प्रतिशत तथा 2015-16 तथा 2016-17 में दोनों डिस्कोम्ज के लिए 15 एवं 10 प्रतिशत तक टैरिफ में वृद्धि होगी।

● **स्कीम तैयार करने में त्रुटियां:** स्कीम के पैरा 2.2.5 में निर्धारित किया गया था कि स्कीम के कार्यान्वयन के अगले दो से पांच वर्षों में राज्य सरकार द्वारा फेज्ड मैनर में विशेष प्रतिभूतियों को जारी करके ₹ 7,381.53 करोड़ की देयताएं ग्रहण करनी थीं। राज्य सरकार ने आदेशों के अनुसार यह दायिता लेने की अपनी योजना प्रक्षेपित नहीं की थी यद्यपि यह स्कीम में अस्थाई आधार पर इंगित किया गया था।

2.1.7 स्कीम की शर्तें तथा उनकी अनुपालना

स्कीम दिशानिर्देशों में, संकाय सदस्य बैंकों द्वारा दडित ब्याज माफ करने, राज्य सरकार की ओर से डिस्कोमज द्वारा बाण्डस जारी करने तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई वचनबद्धता पूर्ण करने के लिए प्रावधान था। अनिवार्य शर्तों में, सरकारी विभागों से बकाया विद्युत प्रभारों की वसूली, विद्युत आपूर्ति के वितरण में प्राइवेट सैक्टर की भागीदारी, आदर्श राज्य विद्युत वितरण उत्तरदायिता बिल का अधिनियमन तथा कृषि उपभोक्ताओं की मीटरिंग शामिल थे। अनुशंसक शर्तों में, कार्यचालन पूंजी को क्रय तक सीमित करना, शुंगलु कमेटी की अनुशंसाओं के अनुरूप बिलों की डिस्काउंटिंग तथा क्रास सबसिडी में कटौती के लिए रोडमैप शामिल थे। डिस्कोमज का परिचालनात्मक संपादन बढ़ाने के लिए इन दिशानिर्देशों की डिस्कोमज तथा राज्य सरकार द्वारा अनुपालना की जानी थी।

अनिवार्य शर्तों की अनुपालना

2.1.7.1 आदर्श राज्य विद्युत वितरण उत्तरदायिता बिल का अधिनियम न होना

स्कीम के पैरा 3.6 के अनुसार, विद्युत मंत्रालय द्वारा आदर्श विधेयक के प्रसारण से बारह माह के अंदर एफ.आर.पी. के प्रावधानों की अनुपालना के शासनदेश हेतु राज्यों द्वारा यह विधेयक पारित किया जाना था। इस बिल का उद्देश्य था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि एफ.आर.पी. में निर्धारित परिचालनात्मक एवं वित्तीय पैरामीटरों के प्रक्षेपण प्राप्त कर लिए गए थे, राज्य सरकार उचित उपाय करेगी।

हमने देखा (जून 2014) कि बारह माह के भीतर पारित किए जाने हेतु वि.मं., भारत सरकार द्वारा आदर्श राज्य विद्युत वितरण उत्तरदायिता बिल, प्रसारित (अप्रैल 2013) किया गया था। फिर भी, डिस्कोमज ने इसका अभी तक प्रारूप नहीं बनाया था (जून 2014)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि बिल समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा इसको राज्य सरकार के अनुमोदन तथा अधिनियमन के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

2.1.7.2 राज्य सवितरण नेटवर्क में प्राइवेट सैक्टर को शामिल न करना

स्कीम के पैरा 3.1 में, फ्रेंचाइज व्यवस्था अथवा प्राइवेट भागीदारी के किसी अन्य तरीके के माध्यम से डिस्कोमज में प्राइवेट सैक्टर को शामिल करना विचारित था, जिसे डिस्कोमज द्वारा एक वर्ष के भीतर तैयार किया जाना था तथा अनुमोदन के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) को प्रस्तुत करना था।

राज्य सरकार ने शर्त की अनुपालना में एक स्कीम अनुमोदित की परंतु सी.ई.ए. को अनुमोदन के लिए नहीं भेजा। फिर भी, डिस्कोमज ने पायलट परियोजना आधार पर फीडर वितरण एसोशियेट स्कीमों के लिए अभिव्यक्ति पत्र जारी किया (8 अक्टूबर 2012)। स्कीम के अनुसार, प्रत्येक सर्कल में, बिजली बिलों का वितरण, 11 के.वी. फीडरज की मरम्मत एवं अनुरक्षण, मीटरों का प्रतिस्थापन तथा रीडिंग और दो 11 के.वी. फीडरों (या तो ग्रामीण अथवा शहरी/मिश्रित शहरी श्रेणी) के मामले में विद्युत बिलों के नकद संग्रहण से संबंधित कार्य, बोली प्रक्रिया द्वारा चयनित प्राइवेट पार्टियों द्वारा किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (मई 2014) कि डिस्कोम्ज द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि फ्रैंचाइजी नियुक्त करने के लिए जारी अभिव्यक्ति पत्र को अपेक्षित अनुक्रिया प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि एच.ई.आर.सी. ने भी एक फ्रैंचाइजी माडल प्रस्तावित किया था जो विचार एवं अन्तिमकरण अधीन है। तथापि, तथ्य रहता है कि एफ.आर.पी. की एक अनिवार्य शर्त की अभी अनुपालना की जानी शेष है (दिसंबर 2014)।

2.1.7.3 कृषि संयोजनों पर मीटरों का अप्रतिस्थापन

स्कीम के पैरा 3.4 के अनुसार उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों की मीटरिंग के लिए एक समयबद्ध योजना बनाई जानी थी तथा एस.एल.एम.सी. के माध्यम से सी.एल.एम.सी. को प्रस्तुत की जानी थी। मीटरिंग का लक्ष्य वास्तविक खपत आधार पर बिलिंग सुनिश्चित तथा ए.टी. एंड सी. हानियों को कम करना था। डिस्कोम्ज द्वारा छः मासिक प्रगति रिपोर्टें सी.ई.ए. को प्रस्तुत की जानी थी। नीचे तालिका, मीटर युक्त कनैक्शनों से मीटर रहित कृषि कनैक्शनों की कटौती में, प्रक्षेपणों तथा उनके विरुद्ध उपलब्धि को इंगित करती है।

तालिका 2.1.1

वर्ष	मीटर रहित कनैक्शन (प्रक्षेपित)		मीटर रहित कनैक्शन (वास्तविक)		कटौती की प्रतिशतता (प्रक्षेपित)		कटौती की प्रतिशतता (वास्तविक)	
	यू.एच.बी.वी. एन.एल.	डी.एच.बी.वी. एन.एल.	यू.एच.बी.वी. एन.एल.	डी.एच.बी.वी. एन.एल.	यू.एच.बी.वी. एन.एल.	डी.एच.बी.वी. एन.एल.	यू.एच.बी.वी. एन.एल.	डी.एच.बी.वी. एन.एल.
2012-13	1,60,000	78,800	1,63,252	79,689	3.29	1.95	1.33	0.85
2013-14 ⁷	1,55,000	77,300	1,47,180	93,379	3.13	1.90	-	-

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2012-13 के दौरान यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के मीटर रहित कनैक्शनों की संख्या में 3.29 तथा 1.95 प्रतिशत तक प्रक्षेपित कटौती के विरुद्ध उन्होंने 1.33 तथा 0.85 प्रतिशत की कटौती उपलब्ध की। यद्यपि, यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने 2013-14 के दौरान मीटर रहित कनैक्शनों की कटौती का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, किंतु यह जींद सर्कल के 37,703 कृषि कनैक्शनों के साथ यू.एच.बी.वी.एन.एल. से डी.एच.बी.वी.एन.एल. को अगस्त 2013 में हस्तांतरित करने के कारण था।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने सूचित किया कि 2002 के बाद कोई मीटर रहित फ्लैट रेट कनैक्शन कृषकों को जारी नहीं किए जा रहे थे। मौजूदा कनैक्शन भी निरंतर रूप से मीटर युक्त में परिवर्तित किए जा रहे थे। पुनः, कृषि फीडर पृथक किए जा चुके थे तथा उनकी खपत फीडर स्तर पर मानीटर की जा रही थी। तथापि, तथ्य रहा कि एफ.आर.पी. के अंतर्गत प्रक्षेपित मीटर लगाने के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे।

⁷ जींद सर्कल, 37,703 कृषि कनैक्शन सहित उ.ह.बि.वि.नि.लि. से द.ह.बि.वि.नि.लि. को अगस्त 2013 में हस्तांतरित किया गया।

2.1.7.4 लेखापरीक्षा एवं लेखे

स्कीम के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार, डिस्कोम्ज को अपने लेखे 30 नवंबर, 2012 तथा 31 जनवरी 2012 तक क्रमशः वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 हेतु अंतिमकरण करने थे तथा इसके बाद की अवधि हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत करने थे। यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने अपने लेखे वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 हेतु क्रमशः 28 सितंबर 2011, 18 दिसंबर 2012, 25 अक्टूबर 2013 तथा 23 दिसंबर 2014 को अंतिमकृत किए। डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने अपने लेखे वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 हेतु क्रमशः 17 जनवरी 2012, 11 अक्टूबर 2012 तथा 12 सितंबर 2013 को अंतिमकृत किए। डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने अपने लेखे वर्ष 2013-14 हेतु 8 दिसंबर 2014 को देरी से अंतिमकृत किए। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार, यू.एच.बी.वी.एन.एल. वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 हेतु अपने लेखे समय पर अंतिमकृत न कर सके।

2.1.7.5 डिस्कोम्ज द्वारा अन्य अनिवार्य शर्तों का पूरा करना

डिस्कोम्ज ने बकाया ग्रामीण विद्युतिकरण (ग्रा.वि.) सबसिडी तथा देय ऊर्जा बिलों और वित्त वर्ष 2013-14 के लिए ह.बि.वि.आ. के आदेशानुसार समयबद्ध पद्धति में विनियामक परिसंपत्तियों के परिसमापन के नैटिंग आफ के पश्चात् अपने एस.टी.एल.ज का पुनः गठन किया तथा लघु अवधि विद्युत क्रय कम कर दिया। डिस्कोम्ज ने 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के लिए ₹ 3,974 करोड़, ₹ 4,366 करोड़ तथा ₹ 5,053 करोड़ की ग्रा.वि. सबसिडी के लिए प्रोजेक्शन बनाया था। सरकार ने प्रोजेक्शनों के अनुसार ग्रा.वि. सबसिडी समयानुसार जारी कर दी। इसके अतिरिक्त, ह.बि.वि.आ. द्वारा समय-समय पर अनुमोदित (जुलाई 2012) ए.पी. उपभोगताओं पर ईंधन अधिभार समायोजन (ई.अ.स.) से संबंधित सबसिडी भी सरकार से वसूलनीय थी। राज्य सरकार से मार्च 2014 को ई.अ.स. के कारण कुल वसूलनीय सबसिडी ₹ 2,115.87 करोड़⁸ थी।

अनुशांसात्मक शर्तों का अनुपालन

2.1.7.6 वर्किंग कैपिटल सुविधा पर शुंगलु कमेटी की सिफारिशें

योजना आयोग ने श्री वी.के. शुंगलु की अध्यक्षता में राज्य बिजली बोर्डों (एस.ई.बी.एस) की वित्तीय स्थिति की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय पैनल नियुक्त किया (जुलाई, 2010)। शुंगलु कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, वर्किंग कैपिटल सुविधा को क्रय तथा बिलों की छूट तक सीमित किया जाना था। हमने देखा कि यह सिफारिश डी.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा नहीं मानी गई थी तथा इसने वर्किंग कैपिटल ऋण को पूंजीगत व्यय में विपथित कर दिया था जैसा कि अनुच्छेद 2.1.7.11 में नीचे वर्णित किया गया है।

⁸ ई.अ.स. वि.वर्ष 2009-10 के लिए (ह.बि.वि.आ. का आदेश दिनांक 14.6.2010) ₹ 30.15 करोड़ + ई.अ.स. वि.वर्ष 2010-11 के लिए (ह.बि.वि.आ. का आदेश दिनांक 26.6.2012) ₹ 380.78 करोड़ + ई.अ.स. वि.वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 790.22 करोड़ + ई.अ.स. वि.वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 731.58 करोड़ + ग्रा.वि. सबसिडी जनवरी से मार्च 2014 तक की तिमाही के लिए ₹ 180.00 करोड़ = ₹ 2,115.87 करोड़।

2.1.7.7 क्रास सबसिडी में कमी हेतु रोडमैप

स्कीम के अनुसार, डिस्कोम्ज द्वारा स्कीम के अनुमोदन से छः मास के भीतर क्रास सबसिडी कम करने हेतु एक रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए था। राज्य सरकार ने रोड मैप तैयार नहीं किया। तथापि, एच.ई.आर.सी. ने 2013-14 के टैरिफ आदेश के अनुसार क्रास सबसिडी स्तर स्कीम के आरंभ (2012-13) में 60 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक कम कर दिया था।

अन्य मामले

2.1.7.8 संघ सदस्य बैंकों द्वारा दंडित ब्याज का माफ न करना

स्कीम का अनुच्छेद 2.4 प्रावधान करता है कि ऋण के पुनर्गठन के दौरान, मार्च 2012 की कट ऑफ तिथि तक बैंकों द्वारा लगाए गए दंडित ब्याज, यदि कोई हो, माफ किए जाएंगे तथा ऋण के पुनर्गठन अथवा बाण्ड्स जारी करने के प्रति परिगणित बकाया राशि में शामिल नहीं किए जाएंगे। तत्पश्चात् संघ सदस्य बैंकों के साथ डिस्कोम्ज द्वारा 16 मई 2013 को आयोजित मीटिंग में यह निर्णय किया गया कि बैंकों द्वारा लगाया गया दंडित ब्याज जनवरी 2012 से बैंकों द्वारा ऋण के पुनर्गठन की संयुक्त दस्तावेजकरण (जुलाई-सितंबर 2013) की तिथि तक माफ किया जाएगा।

जनवरी 2012 से सितंबर 2013 (संयुक्त दस्तावेजकरण की तिथि) तक बैंकों द्वारा लगाया गया कुल दंडित ब्याज ₹ 6.06 करोड़ था (यू.एच.बी.वी.एन.एल.: ₹ 3.39 करोड़ तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल.: ₹ 2.67 करोड़)। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 0.62 करोड़ (यू.एच.बी.वी.एन.एल.: ₹ 0.50 करोड़ तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल.: ₹ 0.12 करोड़) अभी तक (सितंबर 2014) दो वर्षों के बीत जाने के बाद भी बैंकों द्वारा माफ नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी ₹ 0.30 करोड़ (यू.एच.बी.वी.एन.एल.: ₹ 0.18 करोड़ डी.एच.बी.वी.एन.एल.: ₹ 0.12 करोड़) बैंकों द्वारा माफ नहीं किए गए थे।

2.1.7.9 ब्याज की उच्च दर पर बाण्ड्स जारी करना

डिस्कोम्ज द्वारा ₹ 7,366.60 करोड़ (यू.एच.बी.वी.एन.एल.: ₹ 5,164.23 करोड़ एवं डी.एच.बी.वी.एन.एल.: ₹ 2,202.37 करोड़) मूल्य के बाण्ड्स, जो एस.टी.एलज के 50 प्रतिशत होते थे, जारी किए जाने थे। भारत सरकार के द्वारा बाण्ड्स जारी करने के दिशानिर्देशों पर ब्याज की गणना करने का एक फार्मूला दिया गया था। बैंकों के साथ संयुक्त दस्तावेजकरण तथा विभिन्न प्राधिकारियों से दूसरे आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद डिस्कोम्ज द्वारा एक मीटिंग की गई (अक्टूबर 2013)। इन दिशानिर्देशों के अनुसार डिस्कोम्ज ने बाण्ड्स जारी करने के लिए 9.64 प्रतिशत ब्याज दर की गणना की और वित्त विभाग, हरियाणा सरकार (एफ.डी.) को अनुमोदन हेतु (अक्टूबर 2013) भेजा। तथापि, जब तक एफ.डी. ने प्रस्ताव को अनुमोदित किया तब तक इन दिशा-निर्देशों के अनुसार बाण्ड्स पर ब्याज दर 9.80 प्रतिशत बढ़ गया था। बाण्ड्स, आबंटन की तिथि से पांच वर्षों के लिए अथवा राज्य सरकार द्वारा उनके ग्रहण करने तक, 9.80 प्रतिशत देय छःमाही नियत ब्याज दर पर आबंटित किए गए (22 नवंबर 2013)। इस प्रकार बाण्ड्स जारी करने के मामले में निर्णय लेने में विलंब के परिणामस्वरूप राज्य सरकार

को ₹ 11.79⁹ करोड़ प्रतिवर्ष की अतिरिक्त देयता के साथ 0.16 प्रतिशत से बढ़ी हुई ब्याज दर पर बांड्स जारी करने पड़े।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2014) कि एफ.डी. के साथ आयोजित मीटिंग में (11 अक्टूबर 2013), डिस्कोम्ज ने एफ.डी. के ध्यान में लाया कि उत्तर प्रदेश की 9.68 प्रतिशत तथा राजस्थान की प्रत्याशित 9.90 प्रतिशत दर के विरुद्ध हरियाणा के लिए बांड्स की वर्तमान ब्याज दर 9.64 प्रतिशत गणित की गई थी। तथापि, एफ.डी. ने मीटिंग में ब्याज की दर पर निर्णय नहीं लिया था।

इस प्रकार, एफ.डी. द्वारा देरी से निर्णय लेने के कारण हरियाणा सरकार को ₹ 11.79 करोड़ प्रतिवर्ष की अतिरिक्त ब्याज की देयता को वहन करना पड़ा।

2.1.7.10 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा फण्डिंग का जारी न करना

स्कीम के अनुसार, राज्य सरकार को मूलधन तथा ब्याज राशि के पुनर्भुगतान हेतु संघ सदस्य बैंकों को गारंटी प्रदान करनी थी। संघ के सदस्य बैंकों में से एक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड, जिसे डिस्कोम्ज फण्डिंग के ऋणों को पुनर्गठित करना था, उसके द्वारा परिचालन हानियों तथा विद्युत खरीद देयताओं के लिए ₹ 78.43 करोड़ (यू.एच.बी.वी.एन.एल: ₹ 47.89 करोड़, डी.एच.बी.वी.एन.एल: ₹ 30.54 करोड़) की फण्डिंग प्रदान करनी थी। बैंक ने कोई फण्डिंग प्रदान नहीं की थी जैसा कि स्कीम में दर्शाया गया था क्योंकि राज्य सरकार, ऋण स्वीकृति से पहले गारंटी प्रदान करने में असफल हुई थी।

हमने देखा कि जब आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने डिस्कोम्ज को निधियां देने से मना कर दिया था तब उन्होंने संघ के दूसरे सदस्य बैंकों से भी फण्डिंग पाने की कोशिश नहीं की।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मार्च 2015) की संघ की बैठक में मामले पर चर्चा की गई थी (04 फरवरी 2015) तथा इसने एफ.आर.पी. के अंतर्गत वचनबद्ध नई फण्डिंग को संस्वीकृत करने हेतु उनको अनुरोध किया था।

2.1.7.11 ब्याज का परिहार्य भुगतान

एम.ओ.पी., भारत सरकार ने स्पष्ट किया (दिसंबर 2012) कि 31 मार्च 2012 को बकाया पड़े, समयावधि को ध्यान रखे बिना सभी एस.टी.एलज/ऋण, उन ऋणों को छोड़कर जो विशेषतया पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए बढ़ाए गए थे, स्कीम में लघु अवधि देयताओं के रूप में वर्गीकरण हेतु योग्य थे।

वर्किंग कैपिटल आवश्यकता के भुगतान हेतु पंजाब एवं सिंध बैंक (पी.एस.बी.) ने डी.एच.बी.वी.एन.एल. को 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर ₹ 200 करोड़ का सावधिक ऋण स्वीकृत किया (अगस्त 2010) तथा ग्रामीण विद्युतीय निगम (आर.ई.सी.) ने डी.एच.बी.वी.एन.एल. तथा यू.एच.बी.वी.एन.एल. को क्रमशः 12.50 प्रतिशत वार्षिक तथा 12.75 प्रतिशत वार्षिक दर पर प्रत्येक को ₹ 250 करोड़ का ऋण विद्युत क्रय के प्रति तथा वर्किंग कैपिटल आवश्यकता के

⁹ ₹ 7,366.60 x 0.16 प्रतिशत (9.80-9.64)।

भुगतान हेतु स्वीकृत किया। निश्चित तिथि (31 मार्च 2012) को, इन ऋणों के संबंध में ₹ 641.16¹⁰ करोड़ बकाया थे तथा इस प्रकार एस.टी.एलज में शामिल किए जाने योग्य थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कोम्ज ने पुनर्गठन हेतु इस राशि को शामिल नहीं किया था तथा एस.टी.एलज, इस कारण ₹ 641.16 करोड़ कम आंकी गई थी। यदि यह ऋण एस.टी.एलज में शामिल किया गया होता, तो राज्य सरकार द्वारा लिए गए 50 प्रतिशत एस.टी.एलज से संबंधित एक वर्ष के लिए ₹ 71.79 करोड़ (पी.एस.बी., डी.एच.बी.वी.एन.एल. के लिए ₹ 19.12 करोड़¹¹, आर.ई.सी., यू.एच.बी.वी.एन.एल.¹² के लिए ₹ 26.19 करोड़ तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के लिए ₹ 26.48¹³ करोड़) का ब्याज-भार बचाया जा सकता था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने कहा कि पंजाब एवं सिंध बैंक से लिए गए ऋण का कुछ भाग आकस्मिक कारणों से पूंजीगत व्यय हेतु विपथित कर दिया गया था। पुनः, आर.ई.सी. के ऋण के बारे में, यह मामला भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया था, जहां यह निर्णय लिया गया कि डिस्कोम्ज कार्यचालन हानियों के लिए फंडिंग की व्यवस्था, आर.ई.सी. तथा पी.एफ.सी. से करेगा क्योंकि संघीय बैंकों को नई फंडिंग वर्ष 2012 से 2015 के लिए घटते हुए क्रम में अर्थात् 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत के दर पर लगातार कम करनी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डिस्कोम्ज एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित कैपेक्स खर्च नहीं कर सके बल्कि इसकी बजाय कैपेक्स हेतु वर्किंग कैपिटल ऋण विपथित किए। पुनः, इस दलील पर कि आर.ई.सी. द्वारा नई फंडिंग घटते क्रम में प्रदान की जानी थी, आर.ई.सी. ऋणों को स्कीम के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर रखने का प्रबंधन का निर्णय न्यायसंगत नहीं था। डिस्कोम्ज ने योजना बनाई थी कि शेष फंडिंग ए.टी. एवं सी. हानियों में कटौती करके तथा टी.एफ.एम. प्राप्त करके सृजित की जाएगी।

प्रबंधन ने आगे उत्तर दिया (मार्च 2015) कि कैपेक्स ऋण पर पूर्ण ब्याज डिस्कोम्ज को ए.आर.आर. में प्रतिवर्ष अनुमत है। यदि पंजाब एवं सिंध बैंक से ऋण, जो वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पहले से कैपेक्स ऋण के रूप में वर्णित था, एफ.आर.पी. के प्रयोजन हेतु लघु अवधि कार्यचालन पूंजीगत ऋण में शामिल किया गया तो इससे एफ.आर.पी. के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा लिए जाने वाले बाण्ड्स के रूप में सरकार पर अतिरिक्त भार होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्कीम मुख्यता: सभी एस.टी.एल. के पुनर्गठन हेतु तैयार की गई थी ताकि राज्य सरकार की सहायता से डिस्कोम्ज की वित्तीय स्थिति का सुधार किया जा सके।

¹⁰ पी.एस.बी.: ₹ 171.46 करोड़ (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) + आर.ई.सी.: ₹ 234.85 करोड़ यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल., प्रत्येक के लिए।

¹¹ ₹ 85.73 करोड़ X 12.50 प्रतिशत + ₹ 85.73 करोड़ X 9.80 प्रतिशत (बांड को जारी करने की दर पर)।

¹² ₹ 117.43 करोड़ X 12.50 प्रतिशत + ₹ 117.43 करोड़ X 9.80 प्रतिशत।

¹³ ₹ 117.43 करोड़ X 12.75 प्रतिशत + ₹ 117.43 करोड़ X 9.85 प्रतिशत।

2.1.8 एफ.आर.पी. में किए गए प्रक्षेपों की तुलना में उपलब्धियां

ए) ए.सी.एस. तथा ए.आर.आर. के बीच अंतराल कम करना तथा ए.टी. एंड सी. हानियों में कमी

ए.सी.एस. तथा ए.आर.आर. के बीच अंतराल कम करने तथा ए.टी. एंड सी. हानियों में कमी के लिए डिसकोम्ज द्वारा एफ.आर.पी. में किए गए प्रक्षेपों की तुलना में उपलब्धियां नीचे दी गई हैं।

तालिका 2.1.2

विवरण		वर्ष	प्रक्षेपित	वास्तविक	कमी / प्राप्ति	तुल्य हानि (₹ करोड़)
ए.सी.एस. तथा ए.आर.आर. (₹ प्रति यूनिट) के बीच अंतराल	यू.एच.बी.वी.एन.एल.	2012-13	1.85	1.89	(0.04)	48.53
		2013-14	1.09	1.20	(0.11)	131.77
	डी.एच.बी.वी.एन.एल.	2012-13	1.34	0.95	0.39	-
		2013-14	0.31	0.98	(0.67)	1,139.54
कुल						1,319.84
ए.टी. एंड सी. हानियां (प्रतिशत में)	यू.एच.बी.वी.एन.एल.	2012-13	34.68	35.60	(0.92)	68.52
		2013-14	31.53	34.30	(2.77)	227.75
	डी.एच.बी.वी.एन.एल.	2012-13	25.00	23.51	1.49	-
		2013-14	22.34	24.28	(1.94)	198.55
कुल						494.82

जैसा कि देखा जा सकता है, यू.एच.बी.वी.एन.एल. चार पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 2012-13 के दौरान ए.सी.एस. तथा ए.आर.आर. के बीच का अंतराल कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा जबकि डी.एच.बी.वी.एन. ने 39 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लक्ष्य से अधिक प्रदर्शन किया। डी.एच.बी.वी.एन.एल. 2012-13 के दौरान ₹ 17 करोड़ के प्रोत्साहन प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि ए.टी. एंड सी. हानियों में कमी के बावजूद ए.सी.एस.-ए.आर.आर. अंतराल में वास्तविक कमियां 25 प्रतिशत से कम थीं। 2013-14 के दौरान, इस तथ्य के बावजूद कि, एच.ई.आर.सी. ने वर्ष 2013-14 के लिए 13 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ा दी थी, दोनों डिसकोम्ज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे। ए.सी.एस.-ए.आर.आर. अंतराल की कमी के लिए लक्ष्य प्राप्त न करने के मुख्य कारण ए.टी. एंड सी. हानियों में कमी न होना, वित्त लागत तथा कर्मचारी लागत की वृद्धि थे। इस प्रकार, ए.सी.एस.-ए.आर.आर. अंतराल में कमी न होने के कारण, डिसकोम्ज ₹ 1,319.84 करोड़¹⁴ की अतिरिक्त देयता से बोझिल थे।

ए.टी. एंड सी. हानियों में कमी के लक्ष्य डी.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा वर्ष 2012-13 में प्राप्त कर लिए गए थे लेकिन 2013-14 में यह डगमगा गए। यू.एच.बी.वी.एन.एल., स्कीम के परिचालन के दोनों ही वर्षों में लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही। इसीलिए डिसकोम्ज ₹ 494.82 करोड़ की अतिरिक्त देयता से बोझिल थे तथा टी.एफ.एम. के अंतर्गत, आर.ए.पी.डी.आर.पी. में निर्धारित

¹⁴ 12,131.74 एम.यूज (बिल की गई यूनिट) x ₹ 0.04 अंतर प्रति यूनिट + 11,979.05 एम.यूज (बिल की गई यूनिट) x ₹ 0.11 अंतर प्रति यूनिट + 17,008.01 एम.यूज (बिल की गई यूनिट) x ₹ 0.67 अंतर प्रति यूनिट।

ए.टी. एंड सी. कमी के लक्ष्यों से अधिक की उपलब्धि पर, बचाई गई विद्युत की अतिरिक्त युनिट्स की राशि के रूप में, कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं कर सके।

स्कीम के पैरा 2.6 तथा भारत सरकार, एम.ओ.पी. निर्देशों (2 अप्रैल 2013) के पैरा-2, के अनुसार, भारत सरकार द्वारा टी.एफ.एम. के रूप में प्रोत्साहन, आर.ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत निर्धारित हानि ट्रेजैक्टरी से अधिक ए.टी. एंड सी. हानि की कमी (आधार वर्ष 2010-11) द्वारा, बचाई गई अतिरिक्त ऊर्जा की कीमत के बराबर की सहायता अनुदान के तौर पर दिया जाना था जो इस शर्त के साथ था कि ए.आर.आर. तथा ए.सी.एस. के बीच अंतराल 2010-11 के आधार वर्ष के विरुद्ध कम से कम 25 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था। अनुवर्ती वर्षों के लिए ए.आर.आर. तथा ए.सी.एस. का अंतराल, पिछले वर्षों के अंतराल के विरुद्ध 25 प्रतिशत तक कम करना था। प्रोत्साहन की ग्रांट 1 अप्रैल 2012 से शुरू होकर तीन वर्षों के लिए स्वीकार्य होगी।

इस प्रकार, 2012-14 के दौरान एफ.आर.पी. के अंतर्गत प्रक्षेपित लक्ष्यों को प्राप्त करने में डिस्कोम्ज असफल रहे तथा आवश्यक शर्तों के पूरा न करने के कारण, वे टी.एफ.एम. के अंतर्गत ₹ 199 करोड़ (डी.एच.बी.वी.एन.एल.: ₹ 184 करोड़ तथा यू.एच.बी.वी.एन.ए.: ₹ 15 करोड़) के प्रोत्साहन प्राप्त नहीं कर सके।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि एग्रीकल्चर फीडर्स के कार्य पृथक्करण के बाद, एच.ई.आर.सी. ने डिस्कोम्ज की हानियां संशोधित की थी। डिस्कोम्ज, एफ.आर.पी. में दी गई हानि ट्रेजैक्टरी को प्राप्त करने के लिए कई कोशिशें तथा उपक्रम कर रही थीं।

बी) सरप्लस विद्युत की बिक्री में हानि

हमने अवलोकित किया कि 2012-14 के दौरान डिस्कोम्ज ने ₹ 3,181 करोड़ के प्रक्षेपित राजस्व के विरुद्ध सरप्लस विद्युत की बिक्री द्वारा ₹ 2,276.92 करोड़ ही कमाए।

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान प्राप्त विद्युत की औसत लागत क्रमशः ₹ 3.86 तथा ₹ 4.08 प्रति यूनिट थी। इसके विरुद्ध वसूली गई विद्युत की औसत अंतर्राज्यीय बिक्री दर दो वर्षों में ₹ 2.46 तथा ₹ 3 प्रति यूनिट थी। 7,989.34 एम.यूज की सरप्लस विद्युत बेचने में डिस्कोम्ज को 2012-14 के दौरान ₹ 935.90¹⁵ करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

सी) ऊर्जा बिक्री

2013-14 के दौरान बिना टैरिफ बढ़ोतरी के विद्युत (32,683 एम.यूज) की बिक्री से ₹ 10,370 करोड़ के प्रक्षेपित राजस्व के विरुद्ध डिस्कोम्ज ने, टैरिफ में 13 प्रतिशत की वृद्धि के कारण, 28,817.35 एम.यूज की बिक्री से ₹ 11,362.94 करोड़ का राजस्व कमाया। हमने अवलोकित किया कि 13 प्रतिशत की टैरिफ बढ़ोतरी की उपेक्षा करते हुए, सृजित राजस्व ₹ 10,057 करोड़ होता अर्थात् अर्जित राजस्व प्रक्षेपण की तुलना में ₹ 313 करोड़ कम था।

¹⁵ 2,252.18 एम.यूज (बेची गई यूनिट) x 2012-13 में ₹ 1.40 प्रति यूनिट (स्वरीदी गई ₹ 3.86 प्रति यूनिट तथा बेची गई ₹ 2.46 प्रति यूनिट विद्युत की दर में अंतर) + 5,746.16 एम.यूज (बेची गई यूनिट) x 2013-14 में ₹ 1.08 प्रति यूनिट (स्वरीदी गई ₹ 4.08 प्रति यूनिट तथा बेची गई ₹ 3 प्रति यूनिट विद्युत की दर में अंतर)।

2.1.9 प्रक्षेपणों के पूरा न किए जाने के कारण राज्य सरकार देयता

स्कीम के पैरा-6 के अनुसार, अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार डिस्कोम्ज को सहायता पहुंचाती। राज्य सरकार ने निम्नलिखित मामलों में अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं की:

2.1.9.1 सरकारी विभागों से बकाया विद्युत प्रभारों की वसूली न होना

स्कीम के पैरा-6 (ए) (डी) के अनुसार, राज्य सरकार के सभी विभागों को 30 नवंबर 2012 तक, उनके 31 मार्च 2012 तक के बकाया विद्युत प्रभारों को चुकाना था तथा डिस्कोम्ज को 31 दिसंबर 2012 तक इस संबंध में एक सर्टिफिकेट भी जारी करना था। लंबित बिजली बिलों के निपटान के संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया (25 जुलाई 2013) कि इसकी प्रतिबद्धता की अनुपालना हेतु एफ.डी. तुरंत ही 31 मार्च 2013 तक के बकाया विद्युत देयों का भुगतान कर देगा तथा वित्त वर्ष 2013-14 से, बजट से सीधे ही विद्युत देयों के त्रैमासिक भुगतान के लिए एक स्कीम लागू की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि राज्य सरकार ने अपने निर्णय (जून 2014) को लागू नहीं किया था तथा 31 मार्च, 2014 तक डिस्कोम्ज से संबंधित सरकारी विभागों के विद्युत देय ₹ 500.42 करोड़ (यू.एच.बी.वी.एन.एल.- ₹ 99.69 करोड़¹⁶ तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. ₹ 400.73 करोड़¹⁷) थे।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने सूचित किया कि चालू वित्त वर्ष (2014-15) देयों के लिए आवश्यक प्रावधान राज्य बजट में कर दिए गए थे तथा पिछले एरियर के लिए, समायोजन प्रक्रिया प्रगति पर थी।

2.1.9.2 बाण्ड्स के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धता को पूरा न किया जाना

स्कीम का पैरा 2.5.3 प्रावधान करता है कि राज्य सरकार ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए डिस्कोम्ज को पूरा सहयोग देगी जब तक कि 50 प्रतिशत एस.टी.एलज के अनुरूप, समग्र बाण्ड्स राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण में नहीं कर लिए जाते। स्कीम के परिशिष्ट-1 के अनुसार 2012-2015 की अवधि के दौरान अस्थाई आंकड़ों पर आधारित फेज्ड पद्धति में यह देयता लेने हेतु विशेष प्रतिभूतियों का निर्गम ₹ 2,518 करोड़, ₹ 2,496 करोड़ तथा ₹ 2,845 करोड़ सूचित किया गया था। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा उसके लिए एफ.आर.पी. के हिस्से के रूप में निश्चित योजना दी जानी थी।

हमने अवलोकित किया कि एस.टी.एलज पर ब्याज, जिसके लिए बाण्ड्स जारी किए गए थे, मार्च 2014 तक दो वर्षों के लिए ₹ 1,777.36 करोड़ परिकलित किया जाना था, इसमें से ₹ 1,520.24 करोड़ मार्च 2012 से 21 नवंबर 2013 तक अर्थात् स्कीम की कट ऑफ डेट से

¹⁶ सिंचाई विभाग (₹ 29.34 करोड़), नगर निगम (₹ 11.47 करोड़), पंचायतें (₹ 0.72 करोड़), सार्वजनिक जल निर्माण कार्य (₹ 46.37 करोड़) तथा अन्य सरकारी विभाग (₹ 11.79 करोड़)।

¹⁷ सिंचाई विभाग (₹ 210.54 करोड़), नगर निगम (₹ 74.97 करोड़), पंचायतें (₹ 9.25 करोड़), सार्वजनिक जल निर्माण कार्य (₹ 91 करोड़), एम.आई.टी.सी. (₹ 0.27 करोड़) तथा अन्य सरकारी विभाग (₹ 28.76 करोड़)।

बाण्ड्स के निर्गम से पूर्व की तिथि तक तथा ₹ 257.12 करोड़ 22 नवंबर 2013 से मार्च 2014 तक से संबंधित थे। स्कीम के अनुसार यह ब्याज राज्य सरकार द्वारा डिस्कोम्ज को प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित था। तथापि, राज्य सरकार ने ₹ 1,537.36 करोड़ का शेष छोड़ते हुए ₹ 240 करोड़ की प्रतिपूर्ति की थी। राज्य सरकार, जिसने उनके द्वारा जारी बाण्ड्स के संबंध में फेज्ड मैनुअल में जैसा कि ऊपर उल्लिखित है विशेष प्रतिभूतियां जारी करनी थी, ने न तो कोई योजना तैयार की और न ही अब तक (मार्च 2015) कोई विशेष प्रतिभूतियां जारी की थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि, एस.टी.एल.ज पर शेष ब्याज को जारी करने के लिए मामला राज्य सरकार के पास उठाया जा रहा है। पुनः, राज्य सरकार को अपनी वित्तीय गुंजाइश को देखते हुए, बाण्ड्स को टेक ओवर/फेज आउट करने के लिए एक निश्चित योजना बनाने के लिए अनुरोध किया गया था।

2.1.10 एफ.आर.पी. के प्रभाव

एफ.आर.पी. के कार्यान्वयन के बाद (अक्टूबर 2012) की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम ने प्रकट किया कि:

- 2012-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इक्विटी इनपयूजन ₹ 205.87 करोड़ (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) तथा ₹ 178.64 करोड़ (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) था लेकिन डिस्कोम्ज परिचालन गतिविधियों से सरप्लस सृजित करने में विफल रही।
- 2011-14 के दौरान यू.एच.बी.वी.एन.एल. की संचित हानियां ₹ 12,423.61 करोड़ से ₹ 16,185.47 करोड़ अर्थात् 1.30 गुणा बढ़ गई थी (जुलाई 2013 में यू.एच.बी.वी.एन.एल. से डी.एच.बी.वी.एन.एल. को हस्तांतरित जींद सर्कल की ₹ 2,291.68 करोड़ की संचित हानियों को छोड़कर)। उसी अवधि के दौरान डी.एच.बी.वी.एन.एल. में, वे ₹ 7,285.53 करोड़ से ₹ 10,726.59 करोड़ अर्थात् 1.47 गुणा बढ़ गई थी।
- 2011-14 के दौरान यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. में ऋण-इक्विटी अनुपात क्रमशः 6.69 से 11.01 तथा 3.80 से 7.47 तक बढ़ गया।
- 2011-14 के दौरान, यू.एच.बी.वी.एन.एल. का निवल मूल्य (-) ₹ 1,956.57 करोड़ से (-) ₹ 14,033.88 करोड़ तक तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. का (-) ₹ 1,398.39 करोड़ से (-) ₹ 9,260.25 करोड़ तक कम हो गए थे।
- यू.एच.बी.वी.एन.एल. में राजस्व अंतराल¹⁸ (राजस्व सबसिडी तथा अन्य आय पर विचार करने के बाद) 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹ 1,442.19 करोड़ तथा ₹ 3,931.15 करोड़ के बीच स्थित रहा। इसी प्रकार डी.एच.बी.वी.एन.एल. में राजस्व

¹⁸ यह राजस्व अंतराल की राशि है जिसके लिए एच.ई.आर.सी. द्वारा कोई टैरिफ वृद्धि अनुमत नहीं की गई है किंतु राशि को अगले वर्ष की कुल राजस्व आवश्यकता में आगे ले जाया जाना अनुमत किया गया है।

अंतराल 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹ 1,570.24 करोड़ से ₹ 1,648.41 करोड़ के बीच स्थित रहे।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान, सरकार ने डिस्कोम्ज की खराब वित्तीय स्थिति, संचित हानियां तथा बढ़े हुए ऋण को इस तथ्य से संबंधित बताया कि उपभोक्ता टैरिफ में वृद्धि, विद्युत क्रय की लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं था। वास्तव में, विद्युत क्रय तथा अन्य कीमतों में वृद्धि के बावजूद, उपभोक्ता टैरिफ में सितंबर 2001 से अक्टूबर 2010 तक कोई वृद्धि नहीं हुई थी। तथापि, भारत सरकार की एफ.आर.पी. स्कीम, राज्य कैबिनेट के अनुमोदन से राज्य में लागू की गई थी तथा एफ.आर.पी. प्रक्षेपणों के अनुसार डिस्कोम्ज तीन वर्षों में वित्तीय टर्नराउंड प्राप्त करते हुए प्रोजेक्ट किए गए थे।

सरकार का यह कथन कि डिस्कोम्ज तीन वर्षों में वित्तीय टर्नराउंड प्राप्त करते हुए प्रोजेक्ट किए थे, स्वीकार्य नहीं है तथा डिस्कोम्ज के ऐसे गिरते हुए पैरामीटरों को देखते हुए यह प्राप्त भी नहीं किए जा सकते। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने तथा उनका स्कीम को पर्याप्त सहायता न देने के कारण, स्कीम के कार्यचालन के पहले दो वर्षों में यह टर्नराउंड प्राप्त नहीं किए जा सके।

2.1.11 मानीटरिंग

पैरा-3.6 के अनुसार स्कीम के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए एक केंद्रीय/राज्य स्तरीय मानीटरिंग कमेटी स्थापित की जानी थी। इन कमेटियों द्वारा, डिस्कोम्ज का हानि से लाभ में परिवर्तन तक, त्रैमासिक आधार पर एफ.आर.पी. की प्रगति की समीक्षा की जानी थी तथा तत्पश्चात् उनकी बैठकें प्रत्येक छःमाही में आयोजित की जाएंगी। स्कीम के पैरा 4.4 के अनुसार, राज्य डिस्कोम्ज की निष्पादन उपलब्धियों की एक वार्षिक जांच सी.ई.ए. द्वारा नियुक्त थर्ड पार्टी द्वारा की जाएगी। हमने देखा कि एस.एल.एम.सी., अप्रैल 2013 में गठित की गई थी तथा दिसंबर 2014 तक की जाने वाली सात बैठकों के विरुद्ध केवल चार बैठकें आयोजित की गई थी। सी.ई.ए. द्वारा जांच के लिए थर्ड पार्टी, अभी तक नियुक्त नहीं की गई थी (मार्च 2015)।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि बैंकों ने एफ.आर.पी. की प्रगति की मानीटरिंग के लिए स्वतंत्र आडिटरज पहले ही नियुक्त किए थे तथा वि.मं., भारत सरकार के अतिरिक्त एस.एल.एम.सी. तथा सी.एल.एम.सी. के स्तर पर भी प्रगति मानीटर की जा रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्कीम के अनुसार सी.ई.ए. द्वारा नियुक्त थर्ड पार्टी के माध्यम से, राज्य डिस्कोम्ज की निष्पादन उपलब्धियां जांच की जानी चाहिए थी।

निष्कर्ष

डिस्कोम्ज तथा राज्य सरकार ने, एफ.आर.पी. की अनिवार्य तथा अनुशासनात्मक शर्तों अर्थात् वितरण नेटवर्क में प्राइवेट भागीदारी, ए.पी. कनेक्शनों पर मीटरों का प्रतिस्थापन, कार्यचालन पूंजी सुविधा का क्रय तक सीमित किया जाना और बिलों पर डिस्काउंट देना तथा क्रास सबसिडी में कटौती के लिए रोडमैप का आहरण, का पालन नहीं किया गया। ए.सी.एस.-ए.आर.आर. और ए.टी. एंड सी. हानियों में कटौती संबंधी लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे जिसने डिस्कोम्ज पर

अतिरिक्त भार डाला तथा टी.एफ.एम. के अंतर्गत उपलब्ध लाभों से वंचित रहना पड़ा। राज्य सरकार ने, सरकारी विभागों के बकाया विद्युत देय जारी न करके, डिस्कोम्ज को ब्याज की प्रतिपूर्ति न करके, फेज पद्धति में विशेष प्रतिभूतियां जारी कर बांड ग्रहण न करके, स्कीम के लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए अपनी वचनबद्धताएं पूर्ण नहीं कीं। यू.एच.बी.वी.एन.एल. की संचित हानियां, स्कीम के बावजूद, 2011-14 के दौरान बढ़ गई थी।

सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- i. डिस्कोम्ज की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए स्कीम की शर्तों का अनुपालन करना तात्पर्य आदर्श राज्य विद्युत वितरण उत्तरदायिता बिल का अधिनियमन करना, वितरण नेटवर्क में प्राइवेट सैक्टर का शामिल करना, कृषिय कनेक्शनों पर मीटरों का प्रतिस्थापन, सरकारी विभागों के बकाया देयों का जारी करना;
- ii. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के लिए स्कीम में यथा प्रक्षेपित ए.टी. एंड सी. हानियां कम करने के लिए कदम उठाना; तथा
- iii. फेज पद्धति में विशेष प्रतिभूतियां जारी करके डिस्कोम्ज द्वारा जारी बाण्डस ग्रहण करना।

2.2 हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड

हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सितंबर 1974 में निगमित किया गया था। कंपनी के मुख्य उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, कमर्शियल लाइनों पर प्रमाणित बीजों का उत्पादन, संग्रहण और वितरण तथा हरियाणा में किसानों को उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करने के लिए बीज व्यापारियों के रूप में व्यवसाय जारी रखना, सम्मिलित है। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्न अनुसार हैं:

मुख्य अंश

कंपनी 2009-14 के दौरान प्रमाणित बीजों का लक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकी। 2009-14 के दौरान यह कमी 17.27 और 33.29 प्रतिशत के बीच थी।

(अनुच्छेद 2.2.7.6)

कंपनी ने 2012-13 में बिक्री के लिए गेहूं के बीज का 3.07 लाख क्विंटल उत्पादन किया लेकिन राज्य में केवल 1.86 क्विंटल ही बेच सकी और 0.34 लाख क्विंटल लागत से नीचे बेचा गया (राज्य से बाहर) परिणामतः ₹ 1.66 करोड़ की हानि हुई। शेष 0.87 लाख क्विंटल बीज 2013-14 के दौरान ₹ 1.63 करोड़ की हानि पर बेचा गया।

(अनुच्छेद 2.2.7.8)

कंपनी ने, बाजार दरों की तुलना में उच्चतर दरों पर सरकारी एजेंसियों से एक लाख क्विंटल गेहूं के बीज के क्रय (नवंबर 2010) पर ₹ 2.95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

(अनुच्छेद 2.2.8.1)

बीजों की लागत परिकल्पित करते हुए, कंपनी ने, 2009-13 के दौरान किसानों से ₹ 2.58 करोड़ और ₹ 5.52 करोड़ क्रमशः ब्याज और कमीशन के लिए अधिक वसूल किए तथा सह-उत्पादकों को अन्य सरकारी संगठनों से ₹ 2.84 करोड़ का अधिक दाम लेने की अनुमति देकर अनुचित लाभ दिया।

(अनुच्छेद 2.2.8.3 और 2.2.8.5)

2009-14 के दौरान सीड विलेज स्कीम के अंतर्गत 11.58 लाख किसानों को जोड़ने के लक्ष्य के विरुद्ध, कंपनी ने 4.03 लाख किसान ही जोड़े। कंपनी ने, स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण लागत पर किए गए वास्तविक व्यय के आधिक्य में ₹ 2.72 करोड़ का भारत सरकार से दावा किया।

(अनुच्छेद 2.2.9)

2.2.1 प्रस्तावना

हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड (कंपनी), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सितंबर 1974 में निगमित की गई थी। कंपनी के मुख्य उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, कमर्शियल लाइनों पर प्रमाणित बीजों का उत्पादन, स्टोरेज और वितरण तथा हरियाणा में किसानों को उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करने के लिए बीज व्यापारियों के रूप में व्यवसाय जारी रखना, सम्मिलित है।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

कंपनी का प्रबंधन एक बोर्ड आफ डायरेक्टरस (बी.ओ.डी.) में निहित है, जिसमें एक चेयरमैन और एक मैनेजिंग डायरेक्टर (एम.डी.) सहित न्यूनतम पांच और अधिकतम 11 निदेशक सम्मिलित होते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 31 मार्च 2014 को, चेयरमैन और एम.डी. सहित 10 निदेशक थे। एम.डी. कंपनी का मुख्य कार्यकारी था और कंपनी के दैनिक मामलों में, अधिकारियों की एक टीम द्वारा उसकी सहायता की जाती थी।

सभी 21 जिलों को आवृत करने के लिए 74 नियमित विक्रय केन्द्रों के नेटवर्क के साथ राज्य में सात¹ क्षेत्रीय कार्यालय (आर.ओ.) हैं। कंपनी की उमरी में एक बीज जांच प्रयोगशाला है।

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- वित्तीय प्रबंधन पर्याप्त था;
- मूल बीज की पर्याप्त मात्रा उचित कीमत पर प्राप्त की गई थी और प्रमाणित बीज के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे;
- प्रमाणित बीज का क्रय और विक्रय निर्धारित मानकों/विधियों/समय-सीमा के अनुसार दक्ष, प्रभावी और मितव्ययी ढंग से किया गया था;
- कंपनी ने सीडस विलेज स्कीम भारत सरकार (भा.स.) के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की थी; तथा
- कंपनी की एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली थी।

2.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

कंपनी के कार्यप्रणाली की, 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), हरियाणा सरकार, में पिछली बार समीक्षा की गई थी। रिपोर्ट पर लोक उपक्रम समिति (लो.उ.स.) द्वारा चर्चा की गई थी और, इसकी

¹ भिवानी, हिसार, पटौदी, सिरसा, टोहाना, उमरी तथा यमुनानगर।

सिफारिशें लो.उ.स. की 53वीं रिपोर्ट में शामिल हैं जिसे राज्य विधान सभा में 22 मार्च 2007 को प्रस्तुत किया गया था। इस समय तीन सिफारिशें लंबित हैं जिसके लिए कंपनी द्वारा लो.उ.स. को ए.टी.एन. प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2009 से मार्च 2014 तक पांच वर्षों के दौरान कंपनी की कार्यप्रणाली की जांच की। लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के मुख्यालय सहित तीन आर.ओ.ज² और 15 नियमित बिक्री काउंटरो³ के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई थी। यूनियों का चुनाव सिंपल रेंडम सैंपलिंग विदआउट रिप्लेसमेंट विधि अपनाकर किया गया था।

हमने एक एंटी कांफ्रेंस (मार्च 2014) के दौरान कंपनी को लेखापरीक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए। लेखापरीक्षा परिणाम, राज्य सरकार/प्रबंधन (अगस्त 2014) को रिपोर्ट किए गए थे और एग्जिट कांफ्रेंस (अक्टूबर 2014) में चर्चित किए गए थे जिसमें अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग और कंपनी के एम.डी. उपस्थित थे। सरकार के उत्तर प्राप्त हो गए थे (सितंबर 2014)। इस निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देते समय प्रबंधन और सरकार के विचार यथोचित सम्मिलित कर लिए गए हैं।

2.2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के निम्नलिखित स्रोत थे:

- भा.स./राज्य सरकार/कंपनी के अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बीज एवं अन्य मदों जैसे घासपातनाशी, इत्यादि की प्राप्ति, उत्पादन, प्रोसेसिंग और बिक्री से संबंधित कंपनी की वार्षिक योजनाएं, बिलों का प्रस्तुतिकरण, बीज प्रोसेसिंग सयंत्रों और स्टोरेज स्थलों का निर्माण एवं रख-रखाव, बिक्री दरों का निर्धारण और कार्यान्वयन तथा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सबसिडी का दावा करना;
- मानक शर्तों सहित, यदि कोई हो, बीज उगाने वालों और सह-उत्पादकों के साथ किए गए एग्रीमेंट्स की शर्तें;
- सब्सिडाइज्ड बीज की बिक्री एवं अदायगी की प्राप्ति, सबसिडीज का दावा करने इत्यादि बारे में कंपनी/राज्य सरकार की नीति और दिशानिर्देश; तथा
- आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रबंधन द्वारा अपनाए गए अन्य नियंत्रण उपाय।

² हिसार, टोहाना तथा उमरी।

³ आदमपुर, असंध, भूना, घरौडा, हांसी, जींद, कैथल, करनाल, नारनौद, नरवाना, पानीपत, पुंडरी, सफीदों, शाहबाद तथा टोहाना - II.

2.2.6 वित्तीय निष्पादन

2.2.6.1 वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

निम्न तालिका 2009-14 के दौरान कंपनी के वित्तीय परिणाम संक्षेपित करती है:

तालिका 2.2.1

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
देयताएं					
प्रदत्त पूंजी	4.98	5.01	5.00	5.00	5.00
आरक्षण एवं आधिक्य	18.32	21.68	22.35	23.33	23.25
उधार (कैश क्रेडिट सहित)	1.46	1.21	26.94	3.64	0.21
चालू देयताएं एवं प्रावधान	24.33	46.48	39.20	44.24	39.55
आस्थगित कर देयता	0.17	0.07	--	--	--
कुल योग	49.26	74.45	93.49	76.21	68.01
परिसंपत्तियां					
निवल स्थाई परिसंपत्तियां	8.58	11.38	14.67	13.91	12.84
पूंजीगत कार्य प्रगति में	1.60	0.37	--	--	--
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	39.04	62.70	78.78	62.03	54.72
उस सीमा तक विविध व्यय जहां तक वे बट्टे स्वाते में नहीं डाले गए	0.04	--	--	--	--
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			0.04	0.27	0.45
कुल योग	49.26	74.45	93.49	76.21	68.01
नियोजित पूंजी	23.29	27.96	27.99	28.33	28.01
निवल मूल्य	11.47	12.43	13.55	15.31	15.90
आय	109.40	152.78	177.45	155.48	119.62
व्यय	108.83	151.25	175.95	153.36	118.63
वर्ष के लिए लाभ (+)/हानि (-)	0.57	1.53	1.50	2.12	0.99
पूर्व अवधि समायोजन	(-) 0.03	0.05	0.04	0.13	--
आयकर के लिए कम प्रावधान	(-) 0.04	0.55	0.33	0.23	0.40
निवल लाभ (+)/हानि (-)	0.64	0.93	1.13	1.76	0.59

वित्तीय स्थिति की समीक्षा ने प्रकट किया कि:

- 2009-14 की अवधि के दौरान, कंपनी की प्रदत्त पूंजी ₹ 4.98 करोड़ से ₹ 5 करोड़ तक बढ़ गई। इसमें किसानों द्वारा रखी पूंजी सम्मिलित है, जो कि इस अवधि के दौरान ₹ 0.97 लाख से ₹ 1.13 लाख तक बढ़ गई।
- अवधि के दौरान नियोजित पूंजी ₹ 23.29 करोड़ और ₹ 28.33 करोड़ के बीच थी जबकि कंपनी का निवल मूल्य 2009-10 में ₹ 11.47 करोड़ से 2013-14 में ₹ 15.90 करोड़ तक बढ़ गया।

- 2009-14 के दौरान कंपनी की वार्षिक आय ₹ 109.40 करोड़ और ₹ 177.45 करोड़ के बीच थी।
- कंपनी का निवल लाभ 2009-10 में ₹ 0.64 करोड़ से 2012-13 में ₹ 1.76 करोड़ तक बढ़ गया। तथापि, पूर्वावशिष्ट गेहूँ के बीजों की बिक्री में हानि उठाए जाने (₹ 1.75 करोड़) के कारण 2013-14 में लाभ ₹ 0.59 करोड़ तक घट गए जैसा कि अनुच्छेद 2.2.7.8 में चर्चा की गई है।

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी के लेखे प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक फाइनल किए जाने अपेक्षित थे। कंपनी ने वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए अपने लेखे क्रमशः 27 अगस्त 2010, 24 अक्टूबर 2011, 25 सितंबर 2012, 13 नवंबर 2013 और 5 नवंबर 2014 को फाइनल किए। इस प्रकार, वर्ष 2010-11, 2012-13 और 2013-14 के लिए लेखाओं को फाइनल करने में विलंब हुआ था।

2.2.6.2 निधियों का अनियमित स्थापन

हमने देखा कि कंपनी ने “बीजों का क्रय और वितरण के लिए” के उद्देश्य का गलत निरूपण करके दो बैंको से ₹ 25 करोड़ उधार लिया (मार्च 2012)। इसने इन निधियों को सावधि जमा प्राप्तियों (सा.ज.प्रा.) में रख दिया और इसकी परिपक्वता पर (अप्रैल 2012 और जून 2012) ऋण राशि लौटा दी। तथापि, इसने बैंक को प्रमाण-पत्र जारी कर दिया (जून 2012) कि जिस उद्देश्य के लिए ऋण दिया गया था यानि बीज के क्रय और वितरण के लिए, उसी के लिए ऋण राशि उपयोग की गई थी।

इस प्रकार, कंपनी ने तथ्यों का अयथार्थ विवरण देकर ऋण प्राप्त किए और मानकों को धोखा देने के लिए इन निधियों को बैंको के लाभ हेतु सा.ज.प्रा. में रख दिए। परिणामस्वरूप, सरकार को प्राथमिक सैक्टर को क्रेडिट देने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अ.मु.स. ने बताया कि सी.सी. लिमिट की तुलना में ऋण सस्ती दर पर उपलब्ध था इसलिए इसे बीज उत्पादकों को भुगतान हेतु कंपनी द्वारा उठाया गया था, और इनके अप्रयुक्त रहने पर, उचित उपयोग के लिए इनको अल्पावधि सा.ज.प्रा. में रखा गया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने, सा.ज.प्रा. में रखने के लिए ये निधियां उठाने का निर्णय किया था। पुनः, इसने ₹ पांच करोड़ कैश क्रेडिट लेखा से आहरित करके सा.ज.प्रा. में रख दिए थे।

2.2.7 उत्पादन निष्पादन

बीज विकास प्रक्रिया

भा.स. द्वारा आबंटित स्रोतों से प्राप्त प्रजनक बीज कंपनी द्वारा हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड के सरकारी सीड फार्म, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा उत्पादकों को, मूल बीज के उत्पादन के लिए, उनको एक उत्पादन कार्यक्रम देकर आपूर्ति किया जाता है। इस प्रकार

उत्पादित मूल बीज, व्यक्तिगत शेयरहोल्डर किसानों⁴ और अन्य किसानों के मध्य उनके भू-क्षेत्रों पर कच्चे बीज के गुणक उत्पादन के लिए वितरित किया जाता है। कच्चा बीज भा.स. द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रीमियम जोड़कर, प्रत्येक वर्ष कंपनी द्वारा नियत की गई दरों पर इन किसानों से प्राप्त किया जाता है। कच्चा बीज तत्पश्चात् कंपनी के प्रौसेसिंग संयंत्रों में संसाधित किया जाता है। संसाधित बीज, हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेसी (एच.एस.एस.सी.ए.) द्वारा अपनी बीज जांच प्रयोगशाला में परीक्षित किया जाता है और इस प्रकार प्रमाणित बीज किसानों को बेच दिया जाता है।

2.2.7.1 सीड उत्पादन कार्यक्रम – लक्ष्य एवं प्राप्ति

राज्य सरकार ने एक स्टेट सीड प्रोडक्शन कमेटी (एस.एस.पी.सी.) का गठन किया (मई 1997), जिसमें राज्य/केंद्रीय सरकार और तकनीकी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 सदस्य शामिल थे। समिति, प्रत्येक मौसम (रबी और खरीफ) के लिए राज्य में बीजों की प्रत्याशित मांग और आपूर्ति की समग्र स्थिति की समीक्षा करती है और कंपनी के बीज उत्पादन लक्ष्यों का अनुमोदन करती है। कंपनी ने सामान्य किसानों और अपने शेयरहोल्डर किसानों को बीज उत्पादन कार्यक्रम प्रदान किए। इसने शेयरहोल्डर किसानों को ₹ 12 प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन भी दिया। तथापि, संस्था के नियमों की शर्तों के अनुसार, यदि शेयरहोल्डर किसानों ने, बीज उत्पादन कार्यक्रम में एक वर्ष से अधिक समय से भाग नहीं लिया था तो कंपनी उन्हें उनके शेयरों को किसी दूसरे इच्छुक किसानों को हस्तान्तरित करने के लिए कह सकती थी। बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग लेने वाले शेयरहोल्डर किसानों की आवधिक समीक्षा नहीं की जाती है।

नीचे दी गई तालिका 2013-14 तक गत पांच वर्षों के लिए प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए लक्षित क्षेत्र और उनके विरुद्ध उपलब्धि को दर्शाती है:

तालिका 2.2.2

(क्षेत्र एकड़ में)

वर्ष	लक्षित क्षेत्र	प्राप्त क्षेत्र	कमी	कमी की प्रतिशतता
रबी				
2009-10	31,790	20,668	11,112	34.99
2010-11	31,380	24,818	6,562	20.91
2011-12	32,803	27,684	5,119	15.61
2012-13	20,660	19,663	997	4.83
2013-14	22,741	18,103	4,638	20.39
खरीफ				
2009-10	2,446	2,099	347	14.19
2010-11	2,026	1,856	170	8.39
2011-12	2,052	2,289	(+)237	--
2012-13	4,222	3,211	1,011	23.95
2013-14	2,867	2,541	326	11.37

उपर्युक्त तालिका का विश्लेषण प्रकट करेगा कि 2009-14 के दौरान, दोनों मौसमों यानी रबी एवं खरीफ के मामले में, 2011-12 में खरीफ को छोड़कर लक्ष्य के विरुद्ध बीज के उत्पादन

⁴ एक किसान, जो कंपनी के बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग लेता है तथा बीज के उत्पादन हेतु उपयुक्त भूमि का स्वामित्व रखता है, कंपनी के शेयरों के फेस मूल्य पर इन्हें खरीद कर शेयरहोल्डर किसान बन सकता है।

हेतु वास्तव में प्रयुक्त क्षेत्र कम था। इस अवधि के दौरान रबी मौसम के मामले में इस कमी की प्रतिशतता 4.83 प्रतिशत और 34.99 प्रतिशत के बीच थी और खरीफ मौसम के मामले में यह ₹ 8.39 प्रतिशत और 23.95 प्रतिशत के बीच थी।

हमने देखा कि यद्यपि कंपनी बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए अपने लक्षित क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर रही थी फिर भी इसने शेयर होल्डर किसानों जो किसी उत्पादन कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे थे, उनकी पहचान नहीं की और उन्हें, उनके शेयरों को इच्छुक किसानों को हस्तान्तरण करने के लिए नहीं कहा तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन का प्रयोग नहीं किया। तीन आर.ओ.ज⁵ में 18,883 शेयर रखने वाले 681 शेयरहोल्डर किसान थे जिन्होंने 2009-14 के दौरान कोई बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया था। इस प्रकार, कंपनी प्रगतिशील किसानों की पहचान करने और अपने उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देकर उन्हें शेयरहोल्डर के रूप में सदस्य बनाने में भी विफल रही।

एग्रीजट कांफ्रेंस के दौरान, अपर मुख्य सचिव (अ.मु.स.), कृषि विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया कि कृषि क्षेत्र अत्यन्त अस्थिर क्षेत्र था और मौसम के दुष्प्रभावों सहित विभिन्न कारणों से लक्ष्यों को प्राप्त करना हमेशा संभव नहीं था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि एस.एस.पी.सी., कंपनी की सलाह से विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लक्षित क्षेत्र का अनुमोदन करती है। इसके अतिरिक्त, निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में, 2011-12 के दौरान खरीफ को छोड़ते हुए, कंपनी अपने लक्षित क्षेत्र को कभी प्राप्त नहीं कर सकी।

2.2.7.2 उत्पादित बीजों का कम वितरण

2013-14 तक पांच वर्षों के दौरान, प्रजनक और मूल बीज के प्रयोग, एच.एस.एस.सी.ए. द्वारा निर्धारित कटाई के समय उनकी प्रत्याशित पैदावार और इसके विरुद्ध वास्तविक कच्चे बीज के उपज के बारे में वर्षवार ब्यौरे निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 2.2.3

(मात्रा क्विंटल में)

2009-10 से 2013-14 के दौरान प्रजनक तथा मूल बीज से उपज					
वर्ष	प्रयुक्त बीज	प्रत्याशित उपज	वास्तविक उपज	उपज की कमी	प्रत्याशित उपज से वास्तविक उपज की प्रतिशतता
प्रजनक बीज					
2009-10	185.51	5,259.00	4,613.30	645.70	87.72
2010-11	223.06	6,553.90	5,060.19	1,493.71	77.21
2011-12	271.13	9,064.15	7,766.10	1,298.05	85.68
2012-13	517.05	6,957.00	5,463.72	1,493.28	78.54
2013-14	365.77	9,960.00	8,841.67	1,118.33	88.77
कुल	1,562.52	37,794.05	31,744.98	6,049.07	83.99
मूल बीज					
2009-10	5,551.69	3,41,866.20	2,61,792.73	80,073.47	76.58
2010-11	5,471.27	4,51,726.80	3,16,812.01	1,34,914.79	70.13
2011-12	5,500.55	5,27,275.20	3,82,510.76	1,44,764.44	72.54
2012-13	6,439.90	3,88,412.00	2,31,497.22	1,56,914.78	59.60
2013-14	3,758.62	3,35,003.00	2,36,829.95	98,173.05	70.69
कुल	26,722.03	20,44,283.20	14,29,442.67	6,14,840.53	69.92

⁵ हिसार, टोहाना तथा उमरी।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2009-14 के दौरान प्रजनक बीज से 37,794.05 क्विंटल की प्रत्याशित उपज के विरुद्ध वास्तविक उपज 31,744.98 क्विंटल थी। इस प्रकार, ₹ 1.23 करोड़⁶ की कीमत की 6,049.07 क्विंटल (16.01 प्रतिशत) की कमी हुई थी। इसी प्रकार, मूल बीज से 20.44 लाख क्विंटल की प्रत्याशित उपज के विरुद्ध वास्तविक उपज 14.29 लाख क्विंटल थी। इस प्रकार ₹ 117.30 करोड़ मूल्य की 6.15 लाख क्विंटल (30.31 प्रतिशत) की कमी हुई थी।

हमने देखा कि पैदावार में कमी, किसानों द्वारा बीजों की डिलीवरी न करना/कम डिलीवरी के कारण थी। कंपनी के पास प्रत्याशित पैदावार की नॉन डिलीवरी को मानीटर करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। पुनः, कंपनी के बीज उत्पादकों के साथ हुए एग्रीमेंट के अनुसार, कंपनी बीज उत्पादकों से पूरी प्रत्याशित उपज लेने की हकदार थी। तथापि, कंपनी ने बीज की प्रत्याशित मात्रा से कम डिलीवरी होने पर एग्रीमेंट में कोई पेनल क्लॉज शामिल नहीं की थी तथा जिससे यह उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त कंपनी ने न तो उन किसानों को जो अनुमानित उपज डिलीवर करने में विफल रहे, समझा सकी और न ही भविष्य में बीज उत्पादन प्रोग्राम लेने के लिए उनको बहिष्कृत किया क्योंकि इसके पास कोई डाटा नहीं था।

एग्रीजट कांफ्रेंस के दौरान, कंपनी के एम.डी. ने सूचित किया कि बीजों के संसाधन के लिए, उत्पादकों से, कच्चे बीज स्वीकार करने के मानक पैरामीटर थे तथा कंपनी ने उन बीजों, जिन्होंने निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं किया, को स्वीकार नहीं किया था। इंगित किए जाने पर कि पैदावार में कमी, हारवेस्टिंग स्टेज पर एच.एस.एस.सी.ए. द्वारा अनुमानित उपज तथा गुणवत्ता के आधार पर परिकलित की गई थी, सरकार/प्रबंधन ने बताया (नवंबर 2014) कि खड़ी गेहूं फसल में करनाल बंट जैसी बीमारी/जंतु बाधा अनुमानित नहीं किए जा सकते तथा केवल लैबोरेट्री में बीज सैंपल के विश्लेषण के बाद ही पता लगाए जा सकते हैं। बीमारी से ग्रस्त ऐसे बीजों को अस्वीकार करने से एच.एस.एस.सी.ए. के अनुमान के विरुद्ध हुई पैदावार कम हो जाती है। फिर भी, इस कथन के समर्थन में कि उपज की कम सुपुर्दगी करनाल बंट के प्रभाव अथवा पीड़ित गेहूं बीज के कारण थी, कोई डाटा नहीं दिया गया था।

हमने आगे देखा कि 2009-14 के दौरान 88.05 क्विंटल प्रजनक बीज को कंपनी, मूल बीज के गुणक के लिए प्रयोग नहीं कर सकी और ये बीज प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए कृषकों को सीधे दे दिए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 58.24 करोड़ मूल्य के 2.16 लाख क्विंटल⁷ प्रमाणित बीज के उत्पादन की हानि हुई क्योंकि प्रजनक बीज को, मूल बीज के उत्पादन के लिए, गुणक नहीं किया गया था।

सरकार/प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2014) कि इन बीजों की कोई आवश्यकता नहीं थी। पूछे जाने पर कि कंपनी ने सरप्लस प्रजनक बीजों के बारे में सहायक आयुक्त (बीज), भारत सरकार को सूचित क्यों नहीं किया ताकि यह अन्य सरकारी एजेंसियों, जो इन प्रजनक बीजों की जरूरत में हो सकती थी, द्वारा प्रयोग किया जा सके। सरकार ने बताया (नवंबर 2014) कि कंपनी ने प्रजनक बीज की ऐसी अधिक मात्रा भारत सरकार को सूचित कर दी थी। फिर भी, हमने देखा कि कंपनी ने केवल 2014 के दौरान प्रजनक बीज की अधिक मात्रा सूचित की थी

⁶ प्रमाणित बीज की साधारण बिक्री दर परिकलित की गई।

⁷ उत्पादन की हानि वस्तुतः प्राप्त औसत उपज के आधार पर परिकलित की गई है तथा कंपनी की सामान्य बिक्री दर पर मूल्यांकित की गई है।

तथा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार 2009-13 के दौरान ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई थी।

2.2.7.3 हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को अधिक भुगतान

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने, 2009-13 के दौरान हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एच.ए.यू.), हिसार से ₹ 1.75 करोड़ मूल्य के 7,054.80 क्विंटल गेहूं के मूल बीज ₹ 2,250 तथा ₹ 2,800 प्रति क्विंटल के बीच स्थित दर पर खरीदे, यद्यपि कंपनी ने, स्वयं के उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से ₹ 1,466 तथा ₹ 1,832 प्रति क्विंटल के बीच स्थित दरों पर मूल बीज प्राप्त किए थे (उत्पादकों तथा सरकारी बीज फार्मों से)। इसके परिणामस्वरूप उत्पादकों तथा सरकारी बीज फार्मों को भुगतान की गई दरों की तुलना में एच.ए.यू., हिसार को ₹ 0.57 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, कंपनी के एम.डी. ने सूचित किया कि एच.ए.यू. से क्रय किए गए बीज, बीज उत्पादकों द्वारा उत्पादित बीजों की तुलना में बहुत बेहतर थे क्योंकि एच.ए.यू. द्वारा बीज, अपने वैज्ञानिकों के प्रत्यक्ष देख-रेख में उत्पादित किए जाते हैं। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि अभिलेख में यह सूचित करने के लिए कुछ नहीं था कि इसके उत्पादकों तथा अन्य सरकारी सीड फार्मों द्वारा उत्पादित बीज घटिया क्वालिटी के थे अथवा कृषकों द्वारा एच.ए.यू. उत्पादित बीज की ही मांग की गई थी।

2.2.7.4 बीजों का संसाधन

किसानों से प्राप्त कच्चा बीज कंपनी के छः संसाधन संयंत्रों⁸ में संसाधित किया जाता है। कंपनी ने अपने संयंत्रों की बीज संसाधन क्षमता 2009-13 में 2.90 लाख प्रति क्विंटल प्रति सीजन से बढ़ाकर 2012-13 में 3.80 लाख प्रति क्विंटल प्रति सीजन कर दी।

यह देखा गया कि 2009-14 के रबी सीजन के दौरान संयंत्र उपयोगिता 48.69 प्रतिशत तथा 93.84 प्रतिशत के बीच थी जबकि 2009-14 खरीफ सीजन के दौरान यह 1.75 प्रतिशत तथा 3.71 प्रतिशत के मध्य थी। संयंत्रों की कम उपयोगिता का कारण बीज का कम उत्पादन था। फिर भी, इन संयंत्रों का, इनकी क्षमता तक प्रयोग करने हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, कंपनी के एम.डी. ने बताया कि रबी सीजन की तुलना में खरीफ सीजन के दौरान मुख्य फसलों की, प्रति एकड़ बीज आवश्यकता कम थी। अ.मु.स. ने बताया कि बीज संसाधन संयंत्रों की 80 प्रतिशत उपयोगिता गेहूं के बीजों पर आधारित थी क्योंकि एच.एस.डी.सी. के टर्न-ओवर का 80 प्रतिशत गेहूं के बीजों से आता है। इंगित किए जाने पर कि कंपनी 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान रबी सीजन के लिए भी उत्पादन क्षमता उपयोग नहीं कर सकी, सरकार/प्रबंधन ने बताया (नवंबर 2014) कि 2012-13 के दौरान संयंत्र की कम उपयोगिता, 87,117 क्विंटल गेहूं के बीज के कैरी-ओवर के कारण थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कैरी-ओवर बीजों को परिगणना में लेने के बाद भी कंपनी द्वारा 2012-13 में 2.93 लाख क्विंटल (कुल क्षमता 3.80 लाख क्विंटल- स्थगित किए गए

⁸ हिसार, पटौदी, सिरसा, टोहाना, उमरी तथा यमुनानगर।

बीज 0.87 क्विंटल) की क्षमता उपयोग की जानी थी जबकि वास्तविक संयंत्र उपयोगिता 1.85 क्विंटल ही थी।

2.2.7.5 निष्फल व्यय

आर.ओ. उमरी, एक वनस्पति बीज संसाधन संयंत्र उपयोग कर रहा था। कंपनी ने, आर.ओ. उमरी से आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना ₹ 38.96 लाख का दूसरा वनस्पति बीज संसाधन संयंत्र तथा बीज टेस्टिंग लैबोरेट्री हेतु ₹ 30.74 लाख के लैब उपकरण खरीदे (2009)।

हमने अवलोकित किया कि ये उपकरण अब तक अप्रयुक्त पड़े थे (मार्च 2014)। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, अ.मु.स. लेखापरीक्षा कथन से सहमत हुए तथा स्पष्ट किया कि जब बीज संसाधन संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया था तो यह प्रस्ताव था कि कंपनी, संसाधित वनस्पति बीज, बागवानी कृषकों को भी बेचेगी परंतु हाइब्रिड बीजों के लिए कृषकों की अभिरूचि के कारण यह नहीं हो पाया। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कंपनी के पास एक वनस्पति बीज संसाधन संयंत्र पहले से था। अ.मु.स. ने आश्वासन दिया कि वनस्पति बीज संयंत्र तथा लैब उपकरण सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग किए जाएंगे। बाद में सरकार/प्रबंधन ने बताया (नवंबर 2014) कि दोनों संसाधन संयंत्र सही ढंग से उपयोग किए जा रहे हैं। तथापि, सत्यापन (जनवरी 2015) के दौरान यह पाया गया कि 2009 में खरीदा गया वनस्पति बीज संसाधन संयंत्र अभी तक हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी से पंजीकृत नहीं करवाया गया था तथा अब भी अप्रयुक्त पड़ा था।

2.2.7.6 प्रमाणित बीज के उत्पादन का लक्ष्य तथा उपलब्धि

संसाधित बीज की, एच.एस.एस.सी.ए. द्वारा, इसकी बीज टेस्टिंग लैबोरेटरी में जांच की जाती है तथा इस प्रकार एच.एस.एस.सी.ए. द्वारा प्रमाणित किया गया बीज किसानों को बेचा जाता है। 2009-14 अवधि के लिए प्रमाणित बीज के उत्पादन के लक्ष्य एवं उपलब्धि के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका: 2.2.4

(मात्रा क्विंटल में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	कमी की प्रतिशतता
2009-10	2,72,470	2,25,424	47,046	17.27
2010-11	3,98,985	2,76,713	1,22,272	30.65
2011-12	4,23,780	3,29,942	93,838	22.14
2012-13	2,61,500	1,95,230	66,270	25.34
2013-14	2,97,400	1,98,392	99,008	33.29
कुल	16,54,135	12,25,701	4,28,434	25.90

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2009-14 के दौरान उत्पादन में कमी थी जो 17.27 प्रतिशत और 33.29 प्रतिशत के बीच रही थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कंपनी ने उत्पादन में कमी से संबंधित मामले को कभी कृषि विभाग के साथ नहीं उठाया ताकि राज्य में बीज उपलब्धता का समग्ररूप से निर्धारण करने के पश्चात्, किसी आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए, समय पर उपचारात्मक कार्यवाही शुरू की जा सके।

इंगित किए जाने पर सरकार/प्रबंधन ने बताया (नवंबर 2014) कि यदि कंपनी कृषि विभाग को सूचित कर देती तो भी सुधारात्मक कार्यवाही संभव नहीं थी क्योंकि विभाग मूल बीज का भंडारण नहीं करता है। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभाग, किसी आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए, बीजों के क्रय सहित, वैकल्पिक स्रोत समयपूर्व ढूंढ सकता था।

2.2.7.7 किसानों को सबसिडी का लाभ हस्तांतरित न करना

कंपनी 'करनाल बंट' बيمारी के नियंत्रण हेतु गेहूं के बीज को फंगीसाईड 'थिरम' से उपचारित कर रही थी और किसानों से लिए जाने वाले मूल्य को निर्धारित करते समय फंगीसाईड की लागत को बीज की लागत में शामिल कर रही थी। रबी मौसम 2010-11 के लिए लागत ₹ 24 प्रति क्विंटल थी।

कृषि विभाग ने निर्णय लिया (6 अक्टूबर 2010) कि राज्य में बेचे गए समस्त प्रमाणित बीज को तीन बिमारियों यानि करनाल बंट, लूज स्मूत और फ्लैग स्मूत के लिए फंगीसाईड 'रेक्सील' के साथ उपचारित किया जाएगा। विभाग ने यह भी निर्णय लिया कि वे बीज उपचार के लिए प्रयुक्त ऐसे फंगीसाईड पर 100 प्रतिशत सबसिडी प्रदान करेंगे और जो बीज पहले ही थिरम के साथ उपचारित किए जा चुके थे, वे लूज स्मूत एवं फ्लैग स्मूत के नियंत्रण के लिए फंगीसाईड 'वीटावैक्स' से उपचारित किए जाएंगे।

हमने देखा कि यद्यपि कंपनी ने बीज उपचार की लागत सबसिडी के रूप में, कृषि विभाग से वसूल कर ली थी (अप्रैल 2011) लेकिन इसने इस सबसिडी के लाभ को (₹ 74 लाख की राशि) रबी मौसम 2010-11 में, विक्रय मूल्य के संशोधन द्वारा किसानों को हस्तांतरित नहीं किया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अ.मु.स. ने बताया कि कंपनी ने अपने द्वारा वहन की गई लागतों के आधार पर बीज की दरें प्रस्तावित की थी लेकिन सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, विक्रय दर हमेशा ही निर्धारित की थी। दूसरी तरफ, सरकार ने उसके द्वारा मूल्य में की गई इस कमी के लिए कंपनी की क्षतिपूर्ति नहीं की। इस प्रकार, किसानों से अधिक वसूली नहीं की गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि सरकार द्वारा दर में की गई कटौती, कंपनी के लाभ में से की जानी थी जबकि बीज उपचार के लिए सबसिडी सभी बीज उत्पादकों को दिया गया था ताकि बीजों के उपचार के लिए किसानों पर कोई बोझ न पड़े।

2.2.7.8 गेहूं के बीज की अनुचित उत्पादन योजना

कंपनी ने 3.08 लाख क्विंटल और 2.50 लाख क्विंटल गेहूं बीज का विक्रय क्रमशः 2010-11 और 2011-12 के दौरान किया। 2011-12 में विक्रय में कमी, कंपनी के अपने विक्रय काउंटर्स (2010-11 में 2.45 लाख क्विंटल से 2011-12 में 1.40 लाख क्विंटल) से विक्रय में कमी के कारण थी और इस तथ्य के कारण भी थी कि हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) ने भी वर्ष 2011-12 से राज्य में बिक्री के लिए गेहूं बीज का उत्पादन शुरू कर दिया था। कंपनी ने वर्ष 2012-13 में विक्रय हेतु 3.68 लाख क्विंटल गेहूं बीज के उत्पादन का लक्ष्य रखा जिसके विरुद्ध इसने 3.07 लाख क्विंटल का उत्पादन किया। इसमें से

बेचे गए 3,08,353 क्विंटल गेहूं बीज पर ₹ 24 प्रति क्विंटल।

कंपनी ने राज्य में 1.90 लाख¹⁰ क्विंटल बीज बेचा। स्टॉक को समाप्त करने के लिए कंपनी ने 0.34 लाख क्विंटल गेहूं बीज को इसकी लागत ₹ 2,354.34 प्रति क्विंटल के विरुद्ध ₹ 2,003.14 प्रति क्विंटल (परिवहन लागत को छोड़ते हुए) की औसत शुद्ध दर पर राज्य से बाहर भी बेचा। लागत से कम दर पर विक्रय के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 1.66 करोड़¹¹ की हानि हुई। 0.87 लाख क्विंटल गेहूं के स्टॉक की शेष प्रमात्रा को अग्रणीत किया गया और वर्ष 2013-14 में ₹ 1.63¹² करोड़ की हानि पर बेचा गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बीजों के कम अंकुरण पर ₹ 12.17 लाख का मुआवजा दिया।

हमने देखा कि 2011-12 में विक्रय काउंटों के माध्यम से विक्रय में कमी के दृष्टिगत कंपनी को 2012-13 के लिए अपनी उत्पादन एवं विक्रय योजना को संशोधित करना चाहिए था। तथापि, कंपनी ने वर्ष 2012-13 के लिए न तो अपने उत्पादन लक्ष्य संशोधित किए और न ही उन बीजों, जिसके उत्पादन की यह योजना बना चुकी थी, को बेचने की कोई नीति बनाई थी। इस प्रकार, बुद्धिसंगत उत्पादन और उत्पादन स्तर पर ही विपणन योजना बनाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.29 करोड़; (₹ 1.66 करोड़ + ₹ 1.63 करोड़) की हानि हुई और किसानों को ₹ 12.17 लाख के मुआवजे का भुगतान करना पड़ा।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अ.मु.स. ने माना कि रबी विक्रय मौसम 2012-13 के दौरान कंपनी की ओर से शिथिलता थी और सभी स्तरों पर मानीटरिंग कम थी। पुनः बीजों को अगले वर्ष में अग्रणीत करने के कारण कंपनी को भारी हानि उठानी पड़ी थी।

2.2.7.9 निधियों का विपथन

'गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए आधारभूत संरचना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढीकरण' की केंद्रीय स्कीम के अंतर्गत कंपनी ने चार आर.ओज¹³ पर बीज भंडारण क्षमता की वृद्धि के लिए ₹ 2.75 करोड़ की कुल लागत पर 1,1000 एम.टी. के गोदामों के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा (4 नवंबर 2010)। परियोजना लागत भारत सरकार के अनुदान से पूरी की जानी थी। भारत सरकार ने प्रस्ताव अनुमोदित किया और ₹ 137.50 लाख की प्रथम किश्त कुछ शर्तों, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि निधियां केवल अभिप्रेत उद्देश्य हेतु उपयोग की जाएं, के साथ निर्मुक्त की (14 मार्च 2011)। शेष ₹ 1.375 करोड़ की राशि, प्रथम किश्त के उपयोग करने और इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही निर्मुक्त की जानी थी।

हमने देखा कि यद्यपि कंपनी ने 1,700 एम.टी. गोदाम के निर्माण पर केवल ₹ 65.80 लाख व्यय किए परंतु कंपनी के मुख्य प्रबंधक (उत्पादन) ने ₹ 1.375 करोड़ के अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्रस्तुत किया था (नवंबर 2012) और दूसरी किश्त को निर्मुक्त

¹⁰ 2011-12 के 0.04 लाख क्विंटल बीज सहित।

¹¹ ₹ 2,354.34 - ₹ 2,003.14 = ₹ 351.20 x 0.34 लाख क्विंटल = ₹ 1.19 करोड़ प्लस कृषि विभाग द्वारा रेक्सल फंगीसाईड की लागत की प्रतिपूर्ति न करने के कारण ₹ 0.47 करोड़ क्योंकि यह राज्य से बाहर विक्रय था।

¹² अग्रणीत बीज का सामान्य विक्रय मूल्य ₹ 22.62 करोड़ घटा बिक्री से उगाही गई ₹ 20.99 करोड़ की राशि।

¹³ हिसार, सिरसा, टोहाना और उमरी।

करने के लिए अनुरोध किया। कंपनी ने, अनुदान की स्वीकृति की शर्तों की उल्लंघना में ₹ 71.70 लाख (₹ 137.50 लाख - ₹ 65.80 लाख) अपने कौश क्रेडिट खाते की बकाया राशि के समाशोधन के लिए उपयोग किए थे। बाद में, कंपनी ने भारत सरकार को सूचित किया (20 मार्च 2014) कि वह ₹ 71.70 लाख उपयोग नहीं कर सकी। भारत सरकार ने कंपनी से कहा (1 अप्रैल 2014) कि क्योंकि वह पहले ही प्रथम किश्त के लिए उ.प्र.प. प्रस्तुत कर चुकी थी अतः अप्रयुक्त राशि भारत सरकार को वापस की जानी चाहिए थी। राशि को अभी तक वापस नहीं किया गया था (सितंबर 2014)।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्र.नि. लेखापरीक्षा तथ्यों से सहमत हुए और बताया कि यदि अनुदान की दूसरी किश्त निर्मुक्त नहीं की गई होती तो कंपनी प्रथम किश्त की अव्ययित राशि भारत सरकार को वापस कर देती। तथापि, तथ्य यह रहता है कि कंपनी ने गलत उ.प्र.प. जारी करके ₹ 71.70 लाख का विपथन किया।

2.2.8 प्रमाणित बीजों का क्रय एवं विक्रय

2.2.8.1 गेहूं बीज के क्रय पर अतिरिक्त व्यय

कंपनी बीज उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से बीज उत्पादन करती है और उसे किसानों को विक्रय हेतु अपने संयंत्रों में संसाधित करती है। बाजार मांग की तुलना में उत्पादन में कमी की स्थिति में कंपनी बाजार से अर्थात् या तो अन्य सरकारी एजेंसियों से कोटेशनज आमंत्रित करके या खुली निविदा के माध्यम से, बीज प्राप्त करती है।

रबी मौसम 2010-11 में विक्रय के लिए कंपनी ने गेहूं के बीज का 2.34 लाख क्विंटल उत्पादन प्रस्तावित किया। तथापि, एस.एस.पी.सी. ने कंपनी के लिए 3.73 लाख क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित किया (25 नवंबर 2009)। कंपनी ने वृद्धित प्रमात्रा के लिए किसानों को न तो उत्पादन कार्यक्रम दिया और न ही बीज की वृद्धित प्रमात्रा की व्यवस्था के लिए तुरंत कार्यवाही की। रबी 2010-11 में बीज की बिक्री आरंभ होने के पश्चात्, गेहूं के बीज की किसी कमी से बचने के लिए अन्य राज्य बीज निगमों एवं सरकारी एजेंसियों से एक लाख क्विंटल गेहूं बीज की तुरंत व्यवस्था करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु कंपनी ने विभाग को प्रस्ताव किया (29 अक्टूबर 2010)। विभाग ने कंपनी को बीज क्रय करने के लिए अनुमति दे दी (2 नवंबर 2010)। इसी बीच, कंपनी ने अन्य राज्यों के बीज निगमों और सरकारी एजेंसियों से कोटेशन आमंत्रित की और मोल-भाव के पश्चात् राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ इंडिया लिमिटेड (नैफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ इंडिया लिमिटेड (एन.सी.सी.एफ.) की दर ₹ 2,050 प्रति क्विंटल निम्नतम पाई गई। तदनुसार, कंपनी ने प्रमाणित गेहूं के बीज हेतु 90,000 क्विंटल (एन.सी.सी.एफ.) और 10,000 क्विंटल (नैफेड) के लिए आदेश दिए (4 नवंबर 2010 और 15 नवंबर 2010)। चूंकि कंपनी और विभाग को पता था कि नैफेड और एन.सी.सी.एफ. बीजों को प्राइवेट पार्टियों से प्राप्त करने के पश्चात् आपूरित करेंगे, उन्होंने (एच.एस.एस.सी.ए.) से ऐसी प्राइवेट पार्टियों को बीज के प्रमाणीकरण हेतु टैग जारी करने का अनुरोध किया (8 नवंबर 2010)। कंपनी ने 99,973 क्विंटल गेहूं के बीज प्राप्त किए और ₹ 20.49 करोड़ का भुगतान किया (नैफेड ₹ 2.05 करोड़ और एन.सी.सी.एफ. ₹ 18.44 करोड़)।

हमने देखा कि नैफेड ने कंपनी को बीज की आपूर्ति, मैसर्ज यूनाइटेड एग्री सीड कारपोरेशन, दिल्ली (कंपनी का सह-उत्पादक), से क्रय करके की थी। जिसने स्वयं भी इन्हें चार विभिन्न प्राइवेट पार्टियों से लिया था, कंपनी को पता था कि नैफेड और एन.सी.सी.एफ. बीज की आपूर्ति प्राइवेट पार्टियों से प्राप्त करने के पश्चात् करेगी और इस प्रकार उनकी दरें उच्चतर होंगी क्योंकि इनमें एजेसियों का लाभ भी शामिल होगा। अतः कंपनी को या तो अपने सह-उत्पादक को प्रस्ताव करना चाहिए था या खुली निविदाओं का आश्रय लेना चाहिए था। हमने आगे देखा कि 2010-11 के दौरान गेहूं बीज की बाजार दरें¹⁴ ₹ 1,755 प्रति क्विंटल थीं जबकि कंपनी द्वारा गेहूं बीज ₹ 2050 प्रति क्विंटल की दर पर क्रय किया गया था। इस प्रकार, नैफेड और एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से बीज क्रय करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.95 करोड़¹⁵ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

एगजिट कांफ्रेंस के दौरान ए.सी.एस. ने बताया कि 2010-11 के दौरान प्राइवेट बीज उत्पादकों द्वारा बीज स्टॉक को रोक देने से हुई गेहूं बीज की घोर कमी के कारण इसका क्रय किया गया था जो गेहूं के प्रमाणित बीज के 100 प्रतिशत उपचार के लिए रेक्सील फंगीसाईड को प्रयोग करने के सरकार के निर्णय को चुनौती दे चुके थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यदि कंपनी एस.एस.पी.सी. के निर्देशानुसार समय पर बीज की व्यवस्था करती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती।

2.2.8.2 आपूर्तिकर्त्ताओं को अदेय लाभ

ढेंचा बीज हरी खाद को परिवर्धित करता है और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है। विभाग ने फरवरी 2012 में हरी खाद के लिए किसानों को ढेंचा बीज की आपूर्ति हेतु कंपनी को निर्देश दिया (दिसंबर 2011)। आपूर्ति परमिट आधार¹⁶ पर, 50 प्रतिशत की सब्सिडाइज्ड दरों पर, कंपनी के विक्रय काउंटर्स के माध्यम से की जानी थी। विभाग ने 3.37 लाख हैक्टेयर के लिए 40,451 क्विंटल ढेंचा बीज की आवश्यकता 21 मार्च 2012 तक अवश्यभावी रूप से सूचित की (20 जनवरी 2012)। बीज खरीफ मौसम, जो प्रत्येक वर्ष के जून में शुरू होता है, के प्रारंभ होने से पूर्व अपेक्षित था। कंपनी ने अन्य राज्यों के बीज निगमों और सरकारी एजेसियों से बीज के लिए उनकी दरें उद्धृत करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की और प्राप्त चार कोटेशनों में से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (रा.बी.नि.) द्वारा प्रस्तुत ₹ 3495 प्रति क्विंटल की दर को निम्नतम पाया। कंपनी ने रा.बी.नि. को आपूर्ति आदेश दिया (24 जनवरी 2012)। कंपनी को बीज की कोई मात्रा प्राप्त नहीं हुई और रा.बी.नि. को बीज की तुरंत आपूर्ति करने के लिए कहा गया (15 मार्च 2012)। तथापि, रा.बी.नि. ने कंपनी को बाजार में हुई मूल्यों में आकस्मिक वृद्धि के कारण मूल्य में ₹ 3,495 से ₹ 5,850 प्रति क्विंटल का संशोधन करने के लिए अनुरोध किया। क्योंकि उनके सह-उत्पादक अनुबंधित दर पर बीज आपूर्ति करने के लिए तैयार नहीं थे। कंपनी इस अनुरोध के लिए सहमत नहीं हुई (21 मार्च 2012)। रा.बी.नि. ने तब बीज की प्रमात्रा को 40,451 क्विंटल से 22,500 क्विंटल तक घटाने के लिए कंपनी से अनुरोध किया (29 मार्च 2012)। कंपनी ने फिर विभाग से प्रमात्रा घटाने के लिए कहा (3 अप्रैल 2012) और विभाग उससे सहमत हो गया (3 मई 2012)।

¹⁴ दर जिस पर सह-उत्पादक ने हिमाचल प्रदेश को गेहूं बेचा।

¹⁵ $99,973 \text{ क्विंटल} \times (\text{₹ } 2,050 - \text{₹ } 1,755) = \text{₹ } 294.92 \text{ लाख}$

¹⁶ विभाग ने किसानों, जिनको कंपनी द्वारा सब्सिडाइज्ड बीज बेचा जाना था, को परमिट जारी किए।

रा.बी.नि. ने ढैंचा बीज की बुआई का मौसम¹⁷ बीत जाने के बाद, 8 मई 2012 से 21 जून 2012 के दौरान 7,853.52 क्विंटल बीज की आपूर्ति की। तब आगे कोई बीज क्रय न करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार रा.बी.नि. को सूचित कर दिया गया (28 जून 2012)।

हमने अवलोकित किया कि आपूर्ति आदेश की शर्तें एवं निबंधन का प्रारूप ठीक तरह से नहीं बनाया गया था और उसमें जोखिम पर क्रय हेतु कोई क्लॉज नहीं था। यद्यपि आपूर्ति आदेश का मुख्य सार समय पर बीज की आपूर्ति था लेकिन सामग्री की आपूर्ति के लिए कोई समय सूची नहीं बनाई गई थी। जबकि विभाग कंपनी को आदेश दे चुका था कि किसानों को सामग्री का वितरण फरवरी माह में ही किया जाएगा, पुनः विलंबित आपूर्ति के लिए दंड की कोई राशि विनिर्दिष्ट नहीं थी। अधिकारदायक क्लॉज की अनुपस्थिति में विलंबित आपूर्ति/अनापूर्ति के लिए कंपनी जोखिम क्रय या दंडात्मक कार्यवाही आरंभ नहीं कर सकी।

इस प्रकार, दोषपूर्ण शर्तों एवं निबंधनों के साथ आपूर्ति आदेश जारी करके कंपनी ने रा.बी.नि. को लाभ पहुंचाया। इसके अतिरिक्त राज्य के किसान भी स्कीम के अंतर्गत लाभों से वंचित रहे क्योंकि आपूर्ति बीज मात्र 0.65 लाख हैक्टेयर के लिए ही पर्याप्त था और 2.72 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को स्कीम के अंतर्गत नहीं लाया जा सका।

एग्जिट काफ़्रेस के दौरान ए.सी.एस. लेखापरीक्षा कथन से सहमत हुए कि आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंध की शर्तें दोषपूर्ण थीं और कंपनी के प्रबंध निदेशक को आदेश दिया कि भविष्य में इसे ध्यान में रखा जाए। तदन्तर, इसने सूचित किया (नवंबर 2014) कि यह कहना ठीक नहीं था कि कंपनी ने ढैंचा बीज बुआई के सही समय पर आपूर्ति नहीं किया। ढैंचा बीज हरी खाद के लिए प्रयुक्त किया गया था और यह इसकी बुआई के 45 से 50 दिन के बाद मिट्टी में दबा दिया जाता है। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि ढैंचा बीज खरीफ मौसम, जो प्रत्येक वर्ष जून में आरंभ होता है, से पहले उपयोग किया जाना था और बीज फरवरी माह में और अन्ततः 21 मार्च 2012 तक अपेक्षित था। तथापि, बीज की आपूर्ति 8 मई 2012 से शुरू की गई थी।

2.2.8.3 किसानों से अधिक वसूली

कंपनी किसानों को उचित दरों पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराती है जिसके लिए राज्य सरकार कंपनी को सबसिडी प्रदान करती है। विभाग द्वारा अनुमोदित (अप्रैल 2005) प्रमाणित बीजों की मूल्य नीति के अनुसार, कंपनी लागत के विभिन्न तत्वों जैसे - संसाधित करने की लागत, पैकिंग की लागत, इन्वेंट्री कॅरीइंग पर ब्याज, व्यापारी कमीशन, ओवरहेड्स, सेवा प्रभार आदि को बीज के प्रापण लागत में जोड़ती है। कंपनी, सामान्य विक्रय दर विभाग को प्रस्तावित करती है, जो अन्ततः बीज की दर अनुमोदित करता है।

हमने देखा कि:

- कंपनी ने 2009 - 13 के दौरान बीज की लागत पर 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया जबकि इसने कॅश क्रेडिट पर 9 प्रतिशत से 10.85 प्रतिशत के बीच की दर पर ब्याज दिया। इसके परिणामस्वरूप मात्र गेहूँ बीज के मामले में ₹ 2.58 करोड़ के ब्याज की अधिक वसूली हुई।

¹⁷ ढैंचा बीज का उपयोग खरीफ मौसम जो प्रत्येक वर्ष जून में शुरू होता है, से पहले किया जाता है।

- कंपनी ने 2009-13 के दौरान संस्थागत एजेंसियों के कमीशन के लिए लागत में, इन एजेंसियों को दिए गए ₹ 3.13 करोड़ के विरुद्ध, ₹ 8.65 करोड़ वसूल किए क्योंकि इन एजेंसियों के माध्यम से मात्र 0.57 प्रतिशत से 28.92 प्रतिशत तक ही बीज बेचा गया था। इसके परिणामस्वरूप किसानों से ₹ 5.52 करोड़ की अधिक वसूली हुई।

एगजिट काफ़्रेस के दौरान, ए.सी.एस. ने बताया कि कंपनी बीज की दरों को उसके द्वारा लगाई गई लागत के आधार पर प्रस्तावित करती है लेकिन सरकार, राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, हमेशा ही विक्रय दर कम निर्धारित करती है। साथ ही सरकार ने उसके द्वारा की गई मूल्य कटौती पर कंपनी को क्षतिपूर्ति नहीं की। अतः किसानों से कोई अधिक वसूली नहीं हुई थी। उत्तर न्यायसंगत नहीं था क्योंकि अधिक वसूली की राशि की गणना, सरकार द्वारा की गई समस्त कटौतियों पर विचार करने के पश्चात, की गई थी।

2.2.8.4 सब्सिडी का अनुचित उपयोग

खाद्यान्नों की नई विकसित किस्मों के प्रमाणित बीज के उपयोग हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार बीज की नई घोषित किस्मों के विक्रय पर सबसिडी प्रदान करती है। तथापि, कंपनी ने 2009-11 के दौरान कुल लागत में, गेहूँ बीज की पुरानी किस्मों के मूल्य ₹ 2.85 करोड़ तक कम किए और उसी राशि को नई किस्मों की लागत में, बीज की सभी किस्मों के विक्रय मूल्य को समान रखने के तर्क पर, जोड़ दिया। पुरानी किस्मों के इस क्रॉस सब्सिडाइजेशन के फलस्वरूप नई किस्मों को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार का उद्देश्य विफल होने के साथ-साथ नई किस्मों के प्रयोग करने वाले किसानों से ₹ 2.85 करोड़ अधिक प्रभारित किए गए।

एगजिट काफ़्रेस के दौरान, ए.सी.एस. लेखापरीक्षा तथ्य से सहमत हुए और स्पष्ट किया कि कंपनी विभिन्न किस्मों के लिए विभिन्न दरें प्रस्तुत नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि सैद्धांतिक रूप से पुरानी किस्मों के संबंध में सबसिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए। विभिन्न किस्मों के पृथक दरें रखना संभव नहीं है क्योंकि यह किसानों के बीच नाराजगी का कारण हो सकता है। तथापि, यह तथ्य रहा कि सबसिडी प्रदान करके नई किस्मों को प्रोत्साहन देने का भारत सरकार का उद्देश्य विफल रहा था।

2.2.8.5 सह-उत्पादकों के माध्यम से व्यापार

आपूरित बीज की गुणवत्ता कायम रखने और क्रेता से भुगतान की उगाही सहित, बीज के लिए मांग सृजित करने और तदन्तर उसे बेचने के लिए सह-उत्पादक उत्तरदायी हैं। विभिन्न राज्य बीज एजेंसियों/कृषि विभागों में, बीज की विशिष्ट किस्म की आपूर्ति हेतु, मांग प्राप्त होने पर, कंपनी बीज की उपलब्धता और उनकी दरों के संबंध में सह-उत्पादकों से पूछ-ताछ करती थी। ये दरें एवं प्रमात्रा अन्य राज्य बीज एजेंसियों को सूचित की जाती थीं और उनसे आदेश प्राप्त होने पर सह-उत्पादकों को आपूर्ति आदेश दिए जाते थे।

कंपनी ने, दो फर्मों मैसर्स यूनार्डिटड एग्री सीड कारपोरेशन, दिल्ली और मैसर्स ठाकर दास एंड संज, मोरंगंज, सहरानपुर को क्रमशः 14 मई 2009 और 13 अगस्त 2009 को एक वर्ष की अवधि के लिए सह-उत्पादक नियुक्त किया और बाद में, 13 मई 2012 और 12 अगस्त 2012 तक, तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया। 2009-12 के दौरान कंपनी ने सह-उत्पादकों

के माध्यम से ₹ 57.07 करोड़ मूल्य की 1,28,832 विंटल विभिन्न किस्मों के बीज बेचे और ₹ 1.71 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।

प्रधान सचिव के आदेशों (18 सितंबर 2012) के पश्चात् कंपनी ने सह-उत्पादकों के माध्यम से बिक्री बंद कर दी। विभाग का तर्क था कि यदि सह-उत्पादक गुणवत्ता को कायम रखने में विफल रहता है तो कंपनी पर भारी वित्तीय देयताओं का बोझ पड़ेगा। सह-उत्पादकों के माध्यम से बीज बिक्री से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कंपनी ने न तो बाजार दरों के साथ उद्धृत दरों की तुलना के लिए कोई यंत्रावली स्थापित की थी और न ही सह-उत्पादक के साथ अनुबंध में किसी ऐसे क्लॉज, को सम्मिलित किया गया था जिसमें सह-उत्पादकों द्वारा यह आश्वासन दिया जाना चाहिए था कि उनके द्वारा उद्धृत करें, प्रचलित बाजार दरों या उसी मौसम के दौरान अन्य एजेसियों को उनके द्वारा आपूर्ति किए गए बीज की दरों से अधिक नहीं थी। हमने अवलोकित किया कि जहां अभिलेख पर प्रतियोगी दरें उपलब्ध थी, वहां यह देखा गया था कि कंपनी ने सह-उत्पादकों को, कंपनी के नाम से अन्य सरकारी संगठनों पर अधि-प्रभारों को अनुमत करके ₹ 2.84 करोड़¹⁸ का अदेय लाभ पहुंचाया। इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण अनुबंध और दरों की तुलना बाजार दरों से न करने के परिणामस्वरूप सह-उत्पादकों को अदेय लाभ दिया गया क्योंकि उन्होंने कंपनी के नाम से अन्य राज्यों के कृषि विभागों/बीज निगमों को प्रचलित बाजार दरों से उच्चतर दरों पर अपने बीज बेचे।

उत्तर में, प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2014) कि सह-उत्पादकों ने, राज्य से बाहर बीजों की आपूर्ति, संबंधित राज्य की एजेसियों की सहमति प्राप्त करने के बाद ही की थी। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि सह-उत्पादकों ने उच्चतर दरें उद्धृत करके कंपनी के नाम का लाभ लिया जो अन्य राज्य की एजेसियों द्वारा स्वीकृत कर ली गई थी।

2.2.9 बीज ग्राम स्कीम

फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार बीज ग्राम स्कीम क्रियान्वित कर रही है। कंपनी, वर्ष 2008-09 से राज्य में स्कीम को क्रियान्वित कर रही है। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, क्रियान्वयन एजेंसी को बीज उत्पादन तकनीक हेतु किसानों को जागरूक बनाने के लिए उनकी पहचान करनी है और दो वर्षों की परियोजना अवधि के पश्चात् उन्हें अपनी सामान्य गतिविधियों के रूप में बीज उत्पादन कार्यक्रम को स्वतंत्र रूप से अपनाना है। इसके लिए, कंपनी को उत्तम बीज उत्पादन क्षेत्र, अधिमानतः सुसंबद्ध क्षेत्र और उसी फसल के लिए इच्छुक किसानों (न्यूनतम 50 और अधिकतम 150) की पहचान की जानी है। स्कीम के तीन घटक हैं। किसानों को आधे एकड़ के लिए 50 प्रतिशत सबसिडी पर मूल/प्रमाणित बीज की आपूर्ति, तीन प्रशिक्षण (बोने के समय, पुष्पण चरण पर और कटाई चरण के बाद) और सब्सिडाइज्ड दरों पर भंडारण धानियों की आपूर्ति।

यह अवलोकित किया गया था कि 2009-14 के दौरान स्कीम में 11.58 लाख किसानों को आवृत करने के लक्ष्य के विरुद्ध कंपनी मात्र 4.03 लाख किसानों (42.49 प्रतिशत) को ही आवृत कर सकी। 2009-14 की अवधि के दौरान कंपनी कभी भी उपलब्ध निधियों का

¹⁸ ₹ 35.64 करोड़ की कुल बिक्री के छः उदाहरणों में और इन उदाहरणों में 5.77 प्रतिशत और 23.68 प्रतिशत के बीच दिया गया अतिरिक्त लाभ।

उपयोग नहीं कर सकी (सिवाय रबी 2011-12 और खरीफ 2012) और निधियों के उपयोग की प्रतिशतता 0.3 और 51 के बीच रही।

स्कीम के क्रियान्वयन में हमने निम्नलिखित कमियां देखी:

- कंपनी ने स्कीम के क्रियान्वयन हेतु किसानों/ग्रामों की अग्रिम में पहचान नहीं की जैसा कि स्कीम की शर्तों के अंतर्गत अपेक्षित था बल्कि अपने क्षेत्रीय अधिकारियों एवं उनके स्टॉफ के लिए बीज के वितरण का लक्ष्य, निधियों एवं बीज के उपलब्ध होने के बाद निर्धारित किए। इसके परिणामस्वरूप स्कीम के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई।
- कंपनी स्कीम के अंतर्गत दो किसानों को एक एकड़ की पैकिंग में बीज बेच रही थी। यद्यपि कंपनी स्कीम के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी फिर भी इसने कभी भी आधे एकड़ की पैकिंग में बीज बेचने या किसी अन्य माध्यम से स्कीम को प्रोन्नत करने पर विचार नहीं किया। इसने किसानों को भंडारण धानियां भी प्रदान नहीं की जो कि स्कीम के अंतर्गत अपेक्षित थीं।
- स्कीम के अनुसार किसानों को दिए जाने वाले तीन प्रशिक्षणों के बजाय, कंपनी मात्र एक प्रशिक्षण दे रही थी और कभी-कभी कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। हमने देखा कि कंपनी ने, खरीफ 2012 और रबी 2013-14 मौसमों के लिए जब इसने क्रमशः 14,236 किसानों और 28,636 किसानों को बीज बेचा था, कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं किया था। इसने चार¹⁹ आर.ओज में जहां 2011 में 57,145 किसानों को बीज बेचे गए, यमुनानगर आर.ओ. में जहां रबी 2012-13 में 2,124 किसानों को बीज बेचे गए और पांच²⁰ आर.ओज में खरीफ 2013 में जहां 6,570 किसानों को बीज बेचे गए थे, कोई भी प्रशिक्षण संचालित नहीं किया था। किसानों को प्रशिक्षण न देने से बीज उत्पादन तकनीक के लिए किसानों को जागरूक करने और उनकी सामान्य गतिविधियों में बीज उत्पादन कार्यक्रम को स्वतंत्र रूप से अपनाने के योग्य बनाने का, स्कीम का उद्देश्य विफल हुआ।
- फसल मौसम रबी 2010-11, ग्रीष्म 2011 और रबी 2011-12 के लिए कंपनी ने किसानों के प्रशिक्षण की लागत हेतु भारत सरकार से क्रमशः ₹ 10.96 लाख, ₹ 64.95 लाख और ₹ 2.37 करोड़ का दावा किया जबकि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कंपनी ने इन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण पर मात्र ₹ 4.81 लाख, ₹ 1.50 लाख और ₹ 33.91 लाख व्यय किए थे। इस प्रकार, कंपनी ने इन तीनों मौसमों में हुए वास्तविक व्यय से ₹ 2.72 करोड़ का अधिक दावा किया।
- राज्य बीज उत्पादन समिति ने नोट किया (8 जून 2010) कि धान की किस्म पी.ए.यू. 201 में टूट-फूट की प्रतिशतता अनुमत मात्रा से अधिक थी और इसके उत्पादन को हतोत्साहित करने हेतु यह निर्णय लिया गया कि इसकी खेती न करने के लिए किसानों को एक परामर्श जारी किया जाएगा तथा कंपनी पी.ए.यू. 201 किस्म बीज

¹⁹ भिवानी, पटौदी, टोहाना और उमरी।

²⁰ भिवानी, हिसार, पटौदी, सिरसा और उमरी।

की बिक्री बंद करेगी। कंपनी ने पी.ए.यू. 201 की बिक्री बंद कर दी। तथापि, इसने सरकार की नीति की अवहेलना में, ग्राम बीज स्कीम के अंतर्गत अगले मौसम के लिए बीज उत्पादन करने हेतु, 362 एकड़ के लिए 724 किसानों को बिक्री (36.20 किंवांटल) के माध्यम से बीज के इस किस्म को प्रोत्साहित किया (जुलाई 2010)।

- भारत सरकार ने स्कीम के अंतर्गत ₹ 5.61 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया (28 फरवरी 2012) जो कि राज्य के अनुसूचित जाति (अ.ज.) के किसानों के लाभ हेतु उपयोग किया जाना था। इन निधियों में से कंपनी ने 2013-14 तक, अ.ज. किसानों के लाभ के लिए ₹ 1.36 करोड़ उपयोग किए और ₹ 1.13 करोड़ सामान्य किसानों के लाभ के लिए विपश्चित किए।

इस प्रकार, किसानों की पहचान करके स्कीम के कार्यान्वयन की योजना, कंपनी ने सच्ची भावना से नहीं बनाई और स्कीम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकी। पुनः, कंपनी ने किसानों को प्रशिक्षण नहीं दिया जैसा कि स्कीम में विचार किया गया है और प्रशिक्षण के लिए ₹ 2.72 करोड़ की अधिक राशि का दावा किया।

एग्जिट कॉफ्रेंस के दौरान, ए.सी.एस. ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण बीज ग्राम स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसार सख्ती से प्रशिक्षण का संचालन करना संभव नहीं था। आमतौर पर किसानों को प्रशिक्षण बीज की आपूर्ति तथा उनके बुआई के समय प्रदान की जाती है।

2.2.10 आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा

2.2.10.1 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण एक उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक प्रबंधन साधन है कि प्रबंधन के उद्देश्य एक दक्ष, प्रभावी और नियमित विधि में प्राप्त किए जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां प्रकट की:

- उन किसान शेयर होल्डरों, जो कंपनी के बीज उत्पादन कार्यक्रम को नहीं अपना रहे थे, की पहचान करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी जिससे उनके शेयरों को इच्छुक किसानों को हस्तांतरित किया जा सके।
- इसने उन किसानों की जिन्होंने बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग लिया किंतु कंपनी को बीज सुपुर्द नहीं किया, पहचान करने/बहिष्कृत करने की कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी।

2.2.10.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

कंपनी का एक आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग था लेकिन अक्टूबर 2010 से इसने इस कार्य को चाटई एकाऊंटेंट की एक फर्म को दे दिया था। कंपनी ने आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य क्षेत्र को परिभाषित किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, लागत कम करने के क्षेत्र में सुझाव देना, विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आदि में सुधार के लिए सुझाव देना आदि शामिल हैं,

लेकिन यह देखा गया कि उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सामान्य प्रकृति की थीं जैसे किया गया व्यय जिनके संबंध में संस्वीकृति प्रतीक्षित थी, विक्रय काउंटों के संबंध में 'किराया-अनुबंध' की अनुपलब्धता, भंडार में पड़े कंडम स्पेयर पार्टों का निपटान न करना आदि और उनमें आंतरिक नियंत्रण विधि में सुधार के लिए सुझाव शामिल नहीं थे।

निष्कर्ष

बीजों के उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। किसी प्रभावी मानीटरिंग की अनुपस्थिति में, प्रजनक तथा मूल बीज से हुई वास्तविक उपज, प्रत्याशित उपज से निरपवाद रूप से कम थी। बीज संसाधन संयंत्र की उपयोगिता क्षमता 2009-14 रबी सीजन के दौरान 48.69 प्रतिशत से 93.84 प्रतिशत के बीच तथा 2009-14 खरीफ सीजन के दौरान 1.75 प्रतिशत से 3.71 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी। फिर भी, कंपनी ने इन संयंत्रों का इनकी क्षमता तक प्रयोग करने हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। पुनः, ओवरहेड प्रभागों का अधिक उदग्रहण तथा किसानों को सबसिडी का समग्र लाभ न देने से, उचित मूल्यों पर किसानों को बीज प्रदान करने का कंपनी का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, कंपनी बीज ग्राम स्कीम के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी जिसका लक्ष्य बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी में किसानों को प्रशिक्षण देना था ताकि वे अपनी सामान्य गतिविधियों के अंतर्गत बीज उत्पादन कार्यक्रम को स्वतंत्र रूप से अपना सकें।

सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- i. कंपनी के बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इच्छुक किसानों की पहचान करना तथा प्रमाणित बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों से कच्चे बीज की प्राप्ति सुनिश्चित करना;
- ii. बीज संसाधन संयंत्रों का उनकी सर्वोत्तम क्षमता तक उपयोग करने हेतु कदम उठाना;
- iii. वास्तविक ओवरहेड प्रभागों के आधार पर बीजों का मूल्य निर्धारण के लिए एक यंत्रावली बनाना तथा किसानों को सबसिडीज का लाभ देना; तथा
- iv. बीज ग्राम स्कीम के अंतर्गत बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी में किसानों को प्रशिक्षण देना ताकि वे, अपनी सामान्य गतिविधियों में बीज उत्पादन कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से अपना सकें।

अध्याय 3

लेन - देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

राज्य सरकारी कंपनियों के संपादनों की नमूना-जांच में पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में शामिल हैं।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3.1 अधिक व्यय

कार्य की पुनः निविदा के कारण ₹ 1.61 करोड़ राशि का अधिक व्यय किया गया था।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम (कंपनी) के पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) की यूनिट-II के हॉपर्स तथा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपीटेटर (ई.एस.पी.)¹ का एक पार्ट (पास-बी) 8 नवंबर 2011 को क्षतिग्रस्त हो गया था। यूनिट तीन दिनों तक पूरी तरह से बंद रही। ई.एस.पी. के केवल एक पार्ट (पास-ए) पर निर्भर होने के कारण इसको केवल आंशिक भार पर ही चालू किया जा सका। क्योंकि कंपनी भारी उत्पादन हानि से गुजर रही थी, कंपनी ने ₹ 10 करोड़ की अनुमानित लागत पर क्षतिग्रस्त ई.एस.पी. की मरम्मत करने के लिए एक अल्पावधि का निविदा आमंत्रण नोटिस जारी (6 दिसंबर 2011) किया। कंपनी को 2 जनवरी 2012 तक दो निवेदन प्राप्त हुए थे। तकनीकी बोलियां 2 जनवरी 2012 को खोली गई थी तथा वित्तीय बोलियां 3 जनवरी 2012 को खोली गई थी। ₹ 7.32 करोड़ (₹ 6.97 करोड़ + कर) उद्धृत दर पर एल.-1 का प्रस्ताव 2 मई 2012 तक वैध था। स्टोर क्रेता कमेटी (एस.पी.सी.)/पी.टी.पी.एस-I से मोल-भाव के दौरान 6 जनवरी 2012 को फर्म ने अपने पूर्ववर्ती उद्धृत दर को संशोधित कर के ₹ 7.11 करोड़ (₹ 6.77 करोड़ + कर) उद्धृत किया। एस.पी.सी. ने कार्य सौंपने के अनुमोदन के लिए इस मामले को निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.जी) को अनुशसित (9 जनवरी 2012) कर दिया। तथापि, पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यू.टी.डी.जी) ने निर्णय (20 जनवरी 2012) लिया कि भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड (भेल) से प्रस्ताव लेने के बाद ही दरों का सही जस्टिफिकेशन के साथ प्राक्कलन किया जाए तथा नई एन.आई.टी. जारी की जाए।

तदनुसार, एक नई लघु अवधि एन.आई.टी. (4 फरवरी 2012) जारी की गई थी। चार बोलीकर्त्ताओं ने कार्य करने का प्रस्ताव रखा। भेल द्वारा प्रस्तावित कुछ नियम एवं शर्तें एन.आई.टी. के अनुसार नहीं थी। दो योग्य बोलीकर्त्ताओं में से, जो फर्म दिसंबर 2011 की निविदा-जांच में एल.-1 थी पुनः ₹ 10.13 करोड़ (₹ 9.54 करोड़ + कर) की अपनी उद्धृत दरों के साथ एल.-1 के तौर पर उभरी।

¹ ये अत्यन्त प्रभावशाली छन्नक उपकरण होते हैं जो उपकरण में गैस-प्रवाह को बाधित नहीं करते हैं तथा धूल और धुएँ जैसे सूक्ष्म तत्व-कणों को वायु-प्रवाह से आसानी से पृथक कर देते हैं।

कंपनी ने ₹ 7.11 करोड़ पर दिसंबर 2011 के लिए उद्धृत पूर्ववर्ती प्रस्ताव के आधार पर इस एल.-1 फर्म को एक मांग-पत्र (एल.ओ.आई.) जारी (22 मार्च 2012) किया। फर्म ने कंपनी को सूचित (22 मार्च 2012) किया कि इसके दिसंबर 2011 के पूर्ववर्ती प्रस्ताव की वैधता निरर्थक हो गई थी क्योंकि उसी कार्य के लिए दोबारा से निविदाएं आमंत्रित की गई थी तथा 22 मार्च 2012 को दिए गए मांग-पत्र को वापस लेने के लिए कंपनी को प्रार्थना की। तथापि, कंपनी ने फर्म को कार्य आदेश जारी (23 मार्च 2012) किए। कंपनी ने मांग-पत्र वापस लेने के लिए पुनः अनुरोध किया (24 मार्च 2012) क्योंकि मांग-पत्र पर इसकी सहमति के बिना कार्य आदेश जारी करने की कोई वैधता नहीं थी। कंपनी ने फर्म को उसके जोखिम तथा लागत पर काम करवाने के लिए अधिसूचना जारी (अप्रैल 2012) की तथा दिसंबर 2011 और फरवरी 2012 के एन.आई.टीज में जो फर्म एल.-2 थी, उसको दिसंबर 2011 की निविदा जांच में इसके द्वारा उद्धृत (₹ 8.43 करोड़ + कर) दरों पर कार्य-आदेश जारी कर दिए (अप्रैल 2012)। ई.एस.पी. 10 अक्टूबर 2013 को चालू कर दिया गया।

आडिट ने अवलोकित (जनवरी 2014) किया कि विस्तृत एस्टीमेट (फरवरी 2012) के आधार पर कंपनी ने ₹ 7.75 करोड़ की लागत का अनुमान किया था। क्योंकि विस्तृत अनुमान (₹ 7.75 करोड़) की तुलना में पूर्ववर्ती टी.ई. (दिसंबर 2011) में प्राप्त दर (₹ 7.11 करोड़) कम्पीटीटिव थी, कंपनी को पुनः निविदा आमंत्रित नहीं करनी चाहिए थी। इस प्रकार, कंपनी के पुनः निविदा आमंत्रित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप 13 महीनों की कार्य के क्रियान्वयन में देरी के अतिरिक्त करों को निकाल कर ₹ 1.61 करोड़ (₹ 8.38 करोड़² - ₹ 6.77 करोड़) की उपकरणों की मरम्मत में उच्च लागत लगी।

प्रबंधन ने बताया (मई 2014) कि दिसंबर 2011 तथा फरवरी 2012 की निविदा जांच में उभरी एल.-1 फर्म, द्वारा कांट्रैक्ट के उल्लंघन के परिणामस्वरूप सभी दावे, कानून के अनुसार उठाए जाने थे। उत्तर सुसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी ने जब यह देखा (4 फरवरी 2012) कि उपलब्ध प्रस्ताव कम्पीटीटिव था तथा अनुमानों से काफी कम था तो उसे पुनः निविदा नहीं करनी चाहिए थी।

मामला सरकार (जुलाई 2014) को भेज दिया गया था किंतु उनका उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2015) था।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.2 ब्याज की हानि

हिसार में कंपनी के मुख्य खाते में फील्ड शाखाओं द्वारा निधियों के विलंबित ट्रांसफर के कारण ₹ 82.86 लाख के ब्याज की हानि थी।

वर्ष 2000 से ही कंपनी की क्लैक्शन व्यवस्थाएं स्टेट बैंक आफ पटियाला (एस.बी.ओ.पी.) के साथ थी। व्यवस्था के अंतर्गत, टैलीग्राफिक ट्रांसफरों (टी.टीज) द्वारा मैनुअली रूप से नियमित

² फर्म ने ₹ 8.43 करोड़ की अनुबधित राशि के विरुद्ध ₹ 8.38 करोड़ के बिल प्रस्तुत किए थे (मई 2014)।

अंतराल पर फील्ड बैंक शाखाएं अपने पास जमा निधियों को हिसार की मुख्य शाखा पर ट्रांसफर कर रही थी। कंपनी ने एस.बी.ओ.पी. की विभिन्न शाखाओं में जमा राशि तथा हिसार में एस.बी.ओ.पी. की मुख्य शाखा में ट्रांसफर हुई राशि के मिलान के लिए एक एजेंट नियुक्त (27 अक्टूबर 2003) किया।

जुलाई 2003 से सितंबर 2005 के दौरान एस.बी.ओ.पी. की पांच शाखाओं³ में कंपनी की विभिन्न यूनिटों द्वारा जमा राशि का ₹ 1.24 करोड़ ट्रांसफर नहीं हुआ था। मिलान के लिए नियुक्त एजेंट ने यह इंगित नहीं किया था। कंपनी ने इसे अप्रैल 2010 में अवलोकित किया तथा अंततः यह राशि हिसार में एस.बी.ओ.पी. की मुख्य शाखा के कंपनी के अकाउंट में मार्च 2011 से जून 2012 के दौरान जमा कराई गई थी। इस प्रकार, कंपनी 65 से 102 महीनों के रेंज की अवधि के लिए ये निधियां प्रयोग नहीं कर पाई।

कंपनी ने बैंकिंग लोकपाल के पास बैंक द्वारा निधियों के विलंबित ट्रांसफर के लिए एक ब्याज दावा प्रस्तुत (मई 2012) किया जिसने इस मामले को 'टाइम-बाई' बताते हुए स्वारिज कर दिया (मई 2012)। कंपनी ने बैंक के हैड आफिस के साथ भी मामलों को (जून 2012) उठाया जिसने बताया (जुलाई 2012) कि जैसे ही प्रार्थना प्राप्त हुई थी, डुप्लीकेट डी.डीज जारी कर दिए गए थे।

आडिट ने अवलोकित (मार्च 2012) किया कि कंपनी में आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की कमी थी। इसने न तो नियमित रूप से रिकानसिलिएशन एजेंट के कार्य और उसके रिपोर्ट मानीटर किए थे न ही हिसार की मुख्य शाखा तथा फील्ड शाखाओं के बैंक खातों की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की थी कि फील्ड शाखाओं में जमा राशि इसके मुख्य खाते में जमा कर दी गई थी। कंपनी बैंकिंग लोकपाल के पास देरी से पहुंची जिसके फलस्वरूप उसने दावा स्वीकार नहीं किया। परिणामस्वरूप निधियों के विलंबित ट्रांसफर के कारण बैंक से ₹ 82.86 लाख का ब्याज वसूलने का अवसर कंपनी ने खो दिया।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि भारी मात्रा में काम होने के कारण तथा स्टाफ की भारी कमी होने के कारण प्रत्येक एंट्री की चैकिंग संभव नहीं थी और शुरुआत से ही रिकानसिलिएशन एजेंसी की रिपोर्टों की चैकिंग तथा बैंक खातों की मानीटरिंग के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी अपने वित्तीय हितों के लिए रिकानसिलिएशन एजेंट के आउटसोर्सड कार्य की मानीटरिंग के लिए भी जिम्मेदार थी।

सामला सरकार (मई 2014) को भेज दिया गया था किंतु उनके उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2015) थे।

³ जुई, भिवानी, नेकीपुर - धिगावा, नारनौल तथा होडला।

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र

3.3 हरियाणा में विद्युत का क्रय और विक्रय

एच.पी.पी.सी. ने एच.पी.जी.सी.एल. को ₹ 755.91 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया तथा साफ्ट पेनल्टी नार्मस, विद्युत क्रय अनुबंधों में दोषपूर्ण क्लॉजिज तथा लघु अवधि विद्युत क्रय के अंतिमकरण में देरी के कारण ₹ 165.26 करोड़ की हानि हुई। विद्युत की उपलब्धता में कमियां एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से ऊंची दरों पर लघु अवधि तथा यू.आई. विद्युत खरीद कर पूरी की गई जिसने डिस्कोमस पर ₹ 2,095.27 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला।

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र (एच.पी.पी.सी.) को डिस्कोमस (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) के लिए थोक में विद्युत क्रय करने (राज्य के भीतर तथा अंतर्राज्यीय⁴ दोनों) तथा थोक में आपूर्ति क्रियाओं के प्रबंधन हेतु स्थापित किया गया (अप्रैल 2008) था। वर्तमान लेखापरीक्षा 2008-09 से 2013-14 तक की अवधि के लिए है। 2008-14 के दौरान एच.पी.पी.सी. द्वारा उपलब्ध करवाई गई स्रोतवार विद्युत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई हैं:

तालिका 3.1

स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
	यूनिट्स (एम.यूज)					
एच.पी.जी.सी.एल.	12,446	13,723	14,323	17,139	13,813	12,168
सी.पी.एस.यू.	9,799	10,979	11,283	11,005	10,413	9,158
शेयरड (बी.बी.एम.बी., आई.जी.एस.टी.पी.एस.)	3,388	2,799	3,212	4,624	5,083	4,543
गैर - पारंपरिक	0	0	0	93	111	175
स्वतंत्र विद्युत उत्पादक	0	0	0	1,394	7,707	19,130
लघु अवधि विद्युत	1,460	3,812	2,420	1,948	1,613	1,840
अन-अनुसूचित अंतः प्रभार	1,436	2,246	3,306	2,192	1,374	293
खरीदी गई कुल विद्युत	28,529	33,559	34,544	38,395	40,114	47,307

i. एच.ई.आर.सी. विनियमन 2008 की अनुपालना न करने के कारण नियत लागत का अधिक भुगतान

एच.ई.आर.सी. (उत्पादन टैरिफ निश्चित करने हेतु शर्तें एवं निबंधन) विनियमन-2008 दो भागों में टैरिफ को निश्चित करने हेतु प्रावधान करता है (i) क्षमता/नियत प्रभार तथा (ii) ऊर्जा/परिवर्तनशील प्रभार। वार्षिक क्षमता प्रभार (नियत लागत) की वसूली, संबंधित जैनेरेटिंग स्टेशन के लिए अनुमोदित प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) के मानदंड से संबंधित है अर्थात् संपूर्ण नियत लागत सामान्य पी.एल.एफ. पर वसूली जाती है। अनुमोदित पी.एल.एफ. से कम क्षमता (नियत)-प्रभारों की वसूली प्रो-रेटा आधार पर होगी। शून्य उपलब्धता पर कोई

⁴ हरियाणा में स्थित उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की खरीद।

⁵ हरियाणा से बाहर स्थित उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की खरीद।

क्षमता प्रभार देय नहीं होंगे। एच.पी.पी.सी., टैरिफ के नियत दर पर हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) से, नियत और परिवर्तनशील लागत दोनों से गठित सिंगल पार्ट टैरिफ पर ही विद्युत खरीद रहा था। जो इस तथ्य से असंबंधित था कि उत्पादन सामान्य पी.एल.एफ. से कम था या इससे अधिक था। इस कारण नियत लागत, सामान्य पी.एल.एफ. से अधिक उत्पादन के लिए वसूली जा रही थी।

हमने देखा कि पानीपत थर्मल विद्युत स्टेशन (पी.टी.पी.एस.), पानीपत के यूनिट V से VIII तक में 2008-09 से 2010-11 (2009-10 में यूनिट V के अतिरिक्त) के दौरान तथा दीनबंधु छोटु राम थर्मल विद्युत प्लांट (डी.सी.आर.टी.पी.पी.), यमुनानगर के यूनिट I तथा II में 2009-10 और 2010-11 के दौरान वास्तविक पी.एल.एफ. एच.ई.आर.सी. से अनुमोदित सामान्य पी.एल.एफ. से अधिक थे। इससे एच.पी.जी.सी.एल. को ₹ 265.14 करोड़ की नियत लागत का अधिक भुगतान परिणामित हुआ।

प्रबंधन ने कहा कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए एच.पी.पी.सी. ने एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों पर ही एच.पी.जी.सी.एल. को विद्युत हेतु भुगतान किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विनियमन-2008 यद्यपि दो भागों में टैरिफ की प्रयुक्तता निर्धारित करती है परंतु एच.पी.पी.सी./डिस्कोमज ने सिंगल पार्ट टैरिफ के अंतर्गत एच.पी.जी.सी.एल. से विद्युत प्राप्त करना जारी रखा, जिससे नियत लागत का भुगतान सामान्य पी.एल.एफ. से अधिक उत्पादन पर भी होता रहा। इस प्रकार यद्यपि डिस्कोमज तथा तदनुसार उपभोक्ता नुकसान में रख दिए गए थे, फिर भी उन्होंने एपटेल में इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील दर्ज नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि सिंगल पार्ट टैरिफ के अंतर्गत डिस्कोमज को और इस कारण उपभोक्ताओं को ₹ 265.14 करोड़ का अधिक भुगतान करना पड़ा था।

एच.पी.जी.सी.एल. के विभिन्न उत्पादन करने वाले यूनिटों के संबंध में पी.एल.एफ. के संशोधन हेतु, वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लिए एच.पी.जी.सी.एल., एच.ई.आर.सी. टैरिफ आदेशों के विरुद्ध एपलिट ट्रिब्यूनल फोर इलैक्ट्रीसिटी (एपटेल) के पास गई। एपटेल ने वर्ष 2011-12 के लिए एच.पी.जी.सी.एल. की अपील रद्द कर दी (मई 2012)। तथापि, एपटेल ने वर्ष 2012-13 के लिए पी.एल.एफ. संशोधित कर दी (दिसंबर 2012) जैसा कि **परिशिष्ट-5** में विवरण दिया गया है।

हमने पुनः देखा (मई 2014) कि 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान उस मामले में जहां वास्तविक पी.एल.एफ., एच.ई.आर.सी./एपटेल द्वारा अनुमोदित सामान्य पी.एल.एफ. की अपेक्षा कम थी, क्षमता प्रभार/नियत लागत यथानुपात आधार पर कम नहीं की गई थी तथा जहां पर यह मानकों से अधिक थी, इसे एच.ई.आर.सी./एपटेल द्वारा अनुमोदित पी.एल.एफ. तक प्रतिबंधित नहीं किया गया था। इससे ₹ 331.21 करोड़ का अधिक भुगतान परिगणित हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-5** में दर्शाया गया है।

प्रबंधन ने बताया कि यदि वास्तविक उत्पादन सामान्य उत्पादन से अधिक हो तो एच.ई.आर.सी. विनियमन में नियत प्रभारों के भुगतान, के बारे में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं था और इसलिए नियत प्रभारों/क्षमता प्रभारों का भुगतान एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा आपूरित वास्तविक ऊर्जा के आधार पर किया गया। जहां वास्तविक उत्पादन सामान्य उत्पादन से कम था, वहां भुगतान स्वयं यथानुपात आधार पर कम हो जाना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एच.ई.आर.सी. विनियमन-2008, 80 प्रतिशत पर विद्युत प्लांट की लक्ष्य उपलब्धता निर्धारित करती है क्योंकि नियत लागत इस अनुमोदित सामान्य उपलब्धता पर पूर्ण रूप से वसूल हो जाती है। सामान्य उपलब्धता/पी.एल.एफ. से अधिक नियत प्रभारों की वसूली न्याय संगत नहीं है। यह तर्क कि नियत प्रभारों/क्षमता प्रभारों का भुगतान उस मामले में जहां वास्तविक उत्पादन सामान्य उत्पादन से कम था, यथानुपात आधार पर स्वयं कम हो गया था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एच.पी.पी.सी. ने एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा बिल किए गए यूनिटों हेतु भुगतान किया था, आपूरित वास्तविक यूनिटों पर नहीं। 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान, एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा बिलों के यूनिट आपूरित किए गए वास्तविक यूनिटों से अधिक थे। इस प्रकार, नियत लागत अधिक भुगतान किया गया।

ii ईंधन मूल्य समायोजन का अतिरिक्त भुगतान

एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा एच.पी.पी.सी. से वसूल की जाने वाली टैरिफ एच.ई.आर.सी. द्वारा वर्ष के आरंभ में निश्चित की जाती है। तथापि, वर्ष के दौरान ईंधन के वास्तविक लागत में भिन्नता एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा ईंधन मूल्य समायोजन (एफ.पी.ए.) बिलों के द्वारा अलग से एच.पी.पी.सी. से वसूल की जाती है। एपटेल ने अपने आदेश (दिसंबर 2012) में निर्णय लिया कि एफ.पी.ए. वास्तविक उत्पादन आधार पर की जानी है।

हमने अवलोकित किया कि एच.पी.जी.सी.एल. ने क्रमशः 15,853 एम.यूज तथा 20,353 एम.यूज के सामान्य उत्पादन पर वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 हेतु ₹ 545.82 करोड़ के एफ.पी.ए. बिल जारी किए (1 अप्रैल 2013) जबकि वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों हेतु क्रमशः 12,209.22 एम.यूज तथा 15,598.54 एम.यूज के वास्तविक उत्पादन के अनुसार ₹ 386.26 करोड़ एफ.पी.ए. की गणना की गई। इस प्रकार, एच.पी.पी.सी. ने एच.पी.जी.सी.एल. को ₹ 159.56 करोड़ (₹ 545.82 करोड़ - ₹ 386.26 करोड़) का अधिक भुगतान किया।

प्रबंधन ने कहा कि वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 हेतु ₹ 545.82 करोड़ के ईंधन मूल्य समायोजन (एफ.पी.ए.) बिल एपटेल निर्णय के अनुवर्ती एच.ई.आर.सी. आदेश के अनुसार एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा जारी किए गए। एच.पी.जी.सी.एल. ने विस्तृत गणना किए बिना बिल बनाए थे।

उत्तर विनिर्दिष्ट नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने वास्तविक उत्पादन के स्थान पर सामान्य उत्पादन हेतु अंतर की राशि के भुगतान के संबंध में टिप्पणी उठाई थी तथा एच.पी.पी.सी. को भुगतान करने से पहले विस्तार में गणना की जांच करनी चाहिए थी। वास्तविक उत्पादन सामान्य उत्पादन से कहीं कम था, अतः अंतर की राशि का अधिक भुगतान किया गया था।

iii. साफ्ट पेनल्टी नार्मस के कारण ठेकेदारों का पक्षपात

भारत सरकार (जी.ओ.आई.), विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) द्वारा टैरिफ को निश्चित करने हेतु जारी दिशा निर्देशों के तहत जनवरी 2005 में जारी वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत के प्रापण हेतु बोली की प्रक्रिया यह निर्धारित करती है कि सामान्य उपलब्धता, बोली प्रक्रिया के समय पर लागू केंद्रीय विद्युत नियामक कमीशन (सी.ई.आर.सी.) के टैरिफ विनियमनों में विनिर्दिष्ट स्तर के अधिकतम पांच प्रतिशत तक उच्चतर होगी। यदि उपलब्धता पूर्व-निर्धारित

स्तर (सामान्य उपलब्धता से पांच प्रतिशत कम हो सकती है) से कम होती है तो उपलब्धता में जितनी कमी है उस पर, क्षमता प्रभार के 20 प्रतिशत की दर पर पेनल्टी लागू होगी।

सी.ई.आर.सी. विनियमन-2004 ने 80 प्रतिशत की लक्ष्य उपलब्धता निर्धारित की थी। इसलिए, सामान्य उपलब्धता 85 प्रतिशत तक नियत की जानी चाहिए थी और पेनल्टी लगाने हेतु आधार 80 प्रतिशत पर नियत किया जाना चाहिए था। परंतु एच.पी.पी.सी. ने, केस-1 तथा केस-2 में बोली के लिए न्यूनतम सामान्य उपलब्धता 80 प्रतिशत पर नियत की थी। तदनुसार, पेनल्टी लगाने हेतु आधार स्तर भी 75 प्रतिशत पर नियत किया गया जोकि स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आई.पी.पी.) के जोखिम को नीचे लाने हेतु कमतर था। विद्युत क्रय अनुबंध (पी.पी.ए.) प्रतियोगात्मक बोली के माध्यम से मैसर्ज ब्रज्जर विद्युत लिमिटेड (जे.पी.एल.) तथा एच.पी.पी.सी. के बीच हस्ताक्षरित किया गया (7 अगस्त 2008)।

हमने अवलोकित किया कि 2012-13 के दौरान, एच.पी.पी.सी. ने 75 प्रतिशत मूल स्तर के अनुसार उत्पादन में कमी (44.95 प्रतिशत) के कारण ₹ 55.80 करोड़ की पेनल्टी लगाई। यदि मूल स्तर 80 प्रतिशत रखा होता तो पेनल्टी ₹ 62.01 करोड़ हो गई होती। इस प्रकार, पेनल्टी लगाने हेतु कम उपलब्धता स्तर नियत करने से मैसर्ज जे.पी.एल. को ₹ 6.21 करोड़ (₹ 62.01 करोड़ - ₹ 55.80 करोड़) का लाभ हुआ।

इसी प्रकार, जैसा कि ऊपर कहा गया है, पी.पी.ए. में पेनल्टी लगाने हेतु मैसर्ज अदानी पावर लिमिटेड (ए.पी.एल.) के साथ हस्ताक्षरित (7 अगस्त 2008) मूल स्तर भी 75 प्रतिशत पर नियत किया गया था। हमने आगे अवलोकित किया कि वर्ष 2012-13 के दौरान, एच.पी.पी.सी. ने 75 प्रतिशत के मूल स्तर के अनुसार उत्पादन में कमी (5.49 प्रतिशत) के कारण ₹ 4.95 करोड़ की पेनल्टी लगाई (जुलाई 2013)। यदि मूल स्तर 80 प्रतिशत लगाया होता तो पेनल्टी ₹ 9.46 करोड़ होती। इस प्रकार, पेनल्टी लगाने हेतु कम स्तर नियत करने के परिणामस्वरूप मैसर्ज ए.पी.एल. को ₹ 4.51 करोड़ (₹ 9.46 करोड़ - ₹ 4.95 करोड़) का लाभ हुआ।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2014) कि बोली प्रक्रिया, बोली दिशानिर्देश-2005 के अनुसार थी तथा एम.ओ.पी. द्वारा स्टैंडर्ड बोली दस्तावेज अधिसूचित किए गए थे। 80 प्रतिशत पर सामान्य उपलब्धता को नियत करना एच.पी.पी.सी. के पक्ष में था क्योंकि 80 से 85 प्रतिशत के बीच विद्युत उपलब्धता होने पर क्षमता प्रभार भुगतान नहीं किए जाएंगे, जो टैरिफ के 40 से 50 प्रतिशत तक हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशानिर्देश-2006 के संशोधन के अनुसार, सामान्य उपलब्धता सी.ई.आर.सी. टैरिफ विनियमन-2004 में विशेष रूप से उल्लिखित स्तर (80 प्रतिशत) से 5 प्रतिशत उच्चतर पर नियत की जानी चाहिए थी। अतः, सामान्य उपलब्धता 85 प्रतिशत पर नियत की जानी चाहिए थी तथा पेनल्टी 80 प्रतिशत उपलब्धता से नीचे के लिए वसूल की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, सामान्य उपलब्धता को 85 प्रतिशत तक संशोधन करने के दौरान सी.ई.आर.सी. ने अवलोकित किया (जनवरी 2009) कि 200 मैगावाट तथा अधिक सैटस वाले एन.टी.पी.सी. थर्मल पावर स्टेशन की औसत उपलब्धता लगभग 86 से 97 प्रतिशत तक के बीच थी। अतः, 85 प्रतिशत पर सामान्य उपलब्धता नियत करने तथा 80 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत पर पेनल्टी लगाने हेतु आधार न्याय संगत नहीं था क्योंकि इसने

80 से 75 प्रतिशत के बीच उपलब्धता हेतु पेनल्टी देने के आई.पी.पी. के जोखिम को कम किया था।

यह मानना कि, 80 से 85 प्रतिशत के बीच उपलब्धता के उत्पादन हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं देना था तथा यह विद्युत केवल ऊर्जा/परिवर्ती प्रभारों पर उपलब्ध थी जोकि टैरिफ की 40 से 50 प्रतिशत है, ठीक नहीं है क्योंकि 85 प्रतिशत पर, प्रति यूनिट क्षमता/नियत प्रभार, 80 प्रतिशत की तुलना में कम थे।

iv. पी.पी.ए. के दोषपूर्ण क्लाजिज के कारण हानि

एच.पी.पी.सी. ने दो पी.पी.एज 7 अगस्त 2008 को हस्ताक्षरित किए, एक मैसर्ज जे.पी.एल. के साथ तथा दूसरा मैसर्ज ए.पी.एल. के साथ। मैसर्ज जे.पी.एल. के साथ पी.पी.ए. ने प्राणकर्ता एच.पी.पी.सी. को वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सी.ओ.डी.) के दिन से विद्युत प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किया था तथा सी.ओ.डी. को तब परिभाषित किया गया, जब यूनिट ने 95 प्रतिशत या इससे अधिक की क्षमता पर लगातार 72 घंटों के लिए सफलता पूर्वक टेस्ट रन पूर्ण किए हों, पुनः विक्रेता, विद्युत को केवल एच.पी.पी.सी. की अनुमति के पश्चात् ही तृतीय पार्टी को बेच सकता था। तथापि, मैसर्ज ए.पी.एल. के मामले में, एच.पी.पी.सी. केवल निर्धारित सी.ओ.डी. की तिथि से विद्युत प्राप्ति हेतु प्राधिकृत थी तथा मैसर्ज ए.पी.एल. बिना अनुमति के, वास्तविक सी.ओ.डी. तथा निर्धारित सी.ओ.डी. (अगस्त 2012) के बीच उत्पादित विद्युत को तृतीय पार्टी को बेच सकती थी। इस प्रकार, एक ही तिथि को हस्ताक्षरित पी.पी.एज में विद्युत प्राप्त करने के, तथा तृतीय पार्टी को विक्रय के अधिकार के बारे में अलग-अलग क्लाजिज शामिल की गई थीं।

हमने अवलोकित किया कि मैसर्ज ए.पी.एल. ने अपने तीनों यूनिटों से क्रमशः अप्रैल, जुलाई और सितंबर 2011 में विद्युत उत्पादन आरंभ कर दिया था तथा विद्युत को मार्केट में बेच दिया था। परंतु पी.पी.ए. में क्लाजिज न होने के कारण, एच.पी.पी.सी. वास्तविक सी.ओ.डी. (अप्रैल 2011) से निर्धारित सी.ओ.डी. (जुलाई 2012) तक मैसर्ज ए.पी.एल. से न तो विद्युत प्राप्त कर सका और न ही राजस्व के हिस्से को ही शेयर कर सका। इस प्रकार, निर्धारित सी.ओ.डी. से पहले मैसर्ज ए.पी.एल. द्वारा तृतीय पार्टियों को विद्युत बेचने से अर्जित किए ₹ 2,828.27 करोड़⁶ न शेयर किया जा सका, न ही विद्युत प्राप्त हुआ।

अप्रैल 2011 से जुलाई 2012 के दौरान, एच.पी.पी.सी. ने अल्प अवधि क्रय के द्वारा ₹ 314.64 करोड़ की राशि के 806.07 एम.यू. खरीदे। दोषपूर्ण पी.पी.ए. क्लाजिज के कारण ए.पी.एल. विद्युत की अनुपलब्धता से ₹ 143.06 करोड़ की हानि हुई जैसा कि परिशिष्ट-6 में विवरण दिया गया है।

प्रबंधन ने कहा कि मैसर्ज अदानी पावर लिमिटेड से विद्युत की निकासी नहीं की जा सकी क्योंकि एच.वी.पी.एन.एल. की निकास प्रणाली पूर्ण नहीं थी। पुनः, एक बार पी.पी.ए. के वाणिज्यिक रूप से परिचालित हो जाने पर, डिस्कोमज 80 प्रतिशत पी.एल.एफ. पर नियत प्रभार देने हेतु बाध्य थे क्योंकि विद्युत दूसरे रूटों से नहीं लाई जा सकती थी। इसके अतिरिक्त,

⁶ राजस्व 85 प्रतिशत पी.एल.एफ. (पी.पी.ए. में अनुमोदित) उत्पादित विद्युत की यूनिटों तथा इस अवधि में अनिर्धारित आपसी परिवर्तन दर की औसत के साथ गुणा करने के आधार पर गणना की जाती है।

पी.पी.ए. भारत सरकार द्वारा प्रसारित दिशानिर्देशों का भाग था तथा डिस्कोमज ने इसे अपनाया मात्र था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एच.पी.पी.सी. इस विद्युत को प्राप्त करने में इच्छुक था। भारत के अटार्नी जनरल की कानूनी राय के अनुसार पी.पी.ए. खराब तौर पर ड्रॉफ्ट किया गया था तथा इसने एच.पी.पी.सी. को एस.सी.ओ.डी. से पहले विद्युत प्रापण हेतु प्राधिकृत नहीं किया था। इस प्रकार, दोषपूर्ण पी.पी.ए. के कारण, एच.पी.पी.सी., एस.सी.ओ.डी. से पहले विद्युत प्राप्त न कर सका और न ही यह उपरोक्त विद्युत को मार्किट में बेचने से ए.पी.एल. द्वारा अर्जित राजस्व को प्राप्त कर सका। यह मानना कि पी.पी.ए. भारत सरकार द्वारा प्रसारित दिशानिर्देशों का भाग था ठीक नहीं है क्योंकि यह दिशानिर्देश कोई फारमेट निर्धारित नहीं करते हैं तथा सी.ओ.डी. भी उस तरीके से परिभाषित नहीं किया गया जिस तरीके से पी.पी.ए. में किया गया था और यह भी कि इन दिशानिर्देशों ने प्रापणकर्ता को एस.सी.ओ.डी. से ही विद्युत प्राप्त करने हेतु बाध्य नहीं किया था।

v. सी.जी.पी.एल. का अधिक भुगतान

एच.पी.जी.सी.एल. ने 380 मैगावाट विद्युत की खरीद हेतु मैसर्ज कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड (सी.जी.पी.एल.) के साथ पी.पी.ए. किया (22 अप्रैल 2007)। पी.पी.ए. के क्लॉज 9 के अनुसार, ऊर्जा प्रभार, बोली की अंतिम तिथि (22 दिसंबर 2006) से एक माह पश्चात् सी.ई.आर.सी. द्वारा विशेष रूप से उल्लेखित वार्षिक इनफ्लेशन दर को लागू करके बढ़ाए जाने थे। पुनः पी.पी.ए. का आर्टिकल संख्या 11.1 प्रापण राज्य⁷ को ऊर्जा प्रभार (परिवर्ती लागत) भुगतान करने पर, सी.ओ.डी. से पहले, विक्रेता से विद्युतीय आऊटपुट (विद्युत) प्राप्त करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। पी.पी.ए. का आर्टिकल संख्या 13, कानून में कोई परिवर्तन होने के मामले में प्रापणकर्ताओं को मुआवजा देने के बारे में अधिकार प्रदान करता है। 1,805 एम.डब्ल्यू. पावर के पी.पी.ए. के साथ अग्रणी प्रापणकर्ता के रूप में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जी.यू.वी.एन.एल.) को सभी प्रापणकर्ताओं के पी.पी.ए. के अंतर्गत अधिकारों तथा बाध्यताओं को निभाने हेतु प्राधिकृत किया गया था। इसके निर्णय दूसरे प्रापणकर्ताओं पर बाध्य थे। हमने निम्नानुसार अवलोकित किया (अप्रैल 2014):

- एच.पी.पी.सी. ने 21 जनवरी 2007 की बजाय 22 दिसंबर 2006 से ही ऊर्जा प्रभार बढ़ाए थे। उत्थान इन्डैक्स को गलत लागू करने के कारण, ₹ 7.58 करोड़ (मार्च 2012 से दिसंबर 2013 तक) की अधिक राशि मैसर्ज सी.जी.पी.एल. को भुगतान की गई थी।
- मैसर्ज सी.जी.पी.एल. द्वारा उत्पादित इनफर्म विद्युत, ग्रिड में डाली गई तथा प्रापणकर्ता इस इनफर्म विद्युत को प्राप्त न कर सके। मैसर्ज सी.जी.पी.एल. ने ग्रिड में डाले गए अपने इस इनफर्म विद्युत हेतु यू.आई.⁸ प्रभार प्राप्त किए। पी.पी.ए. के आर्टिकल संख्या 13 के विचार से, इनफर्म विद्युत की बिक्री से सी.जी.पी.एल. द्वारा प्राप्त यू.आई. प्रभारों की राशि प्रापणकर्ताओं तक पहुंचाई जानी चाहिए थी। पी.पी.ए. के उपरोक्त शर्तों एवं

⁷ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा।

⁸ भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में परिभाषित अनिर्धारित आपसी परिवर्तन के अनुसार।

निबंधनों के आधार पर, अग्रणी प्रापणकर्ता जी.यू.वी.एन.एल. ने ₹ 3.76 करोड़ की राशि समायोजित की थी (मार्च 2012) तथा जनवरी 2012 से मार्च 2012 की अवधि हेतु इनफर्म विद्युत के हिस्से हेतु ₹ 10.78 करोड़ की मांग की थी (अप्रैल 2012)। तथापि, एच.पी.पी.सी. ने न तो ₹ 3.06⁹ करोड़ के अपने हिस्से हेतु मांग उठाई न ही बिलों में इस राशि को समायोजित किया (जून 2014)।

उत्तर में प्रबंधन ने बताया कि एच.पी.पी.सी. ने जनवरी 2014 तक सी.जी.पी.एल. को पूरा भुगतान कर दिया था तथा फरवरी 2014 के मास हेतु एच.पी.पी.सी. ने जी.यू.वी.एन.एल. द्वारा प्रयोग किए जा रहे उत्थान इंडैक्स के अनुसार ऊर्जा बिलों का भुगतान किया और अंतर राशि को घटा दिया था। पुनः एच.पी.पी.सी. भविष्य में इनफर्म विद्युत के विरुद्ध यू.आई. प्रभारों के क्रेडिट तथा क्षमता प्रभारों के साथ-साथ ऊर्जा प्रभारों का जी.यू.वी.एन.एल. उत्थान इंडैक्स के अनुसार भुगतान करेगा तथा पहले से ही भुगतान किए गए बिलों में देय ब्याज सहित समायोजन करेगा।

यह तथ्य रहा कि राशि अभी तक (मार्च 2015) वसूल/समायोजित नहीं की गई थी।

vi. अल्प अवधि तथा यू.आई. विद्युत के कारण हानि

अपनी परियोजनाओं, शेयर्ड परियोजनाओं तथा केंद्रीय परियोजनाओं से 2008-09 से 2013-14 तक सभी वर्षों के दौरान विद्युत की उपलब्धता एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित मात्रा से कम थी। इस कमी को ₹ 2.96 से ₹ 12.25 के बीच श्रृंखलित प्रति यूनिट दरों पर मंहगी अल्प अवधि विद्युत की खरीद से तथा ₹ 2.69 से ₹ 11.72 तक के मध्य श्रृंखलित प्रति यूनिट दरों पर अनिर्धारित ऊर्जा के निकास द्वारा पूरा किया गया। जिसने दर्शाया कि विद्युत की अधिक मात्रा 50 हटर्ज की आदर्श फ्रिक्वेंसी के विरुद्ध निम्नतर ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर निकाली गई, जो ग्रिड में उच्च-भारित स्थितियों को तथा गंभीर ग्रिड अननुशासन का द्योतक था।

इस कमी को एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से उच्च दरों पर खरीद कर पूरा किया गया। जिससे डिस्कोम्ज पर ₹ 2,095.27 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा जैसा कि परिशिष्ट-7 में विवरणित है।

vii. लघु अवधि विद्युत क्रय के अतिमकरण में देरी के कारण हानि

एच.पी.पी.सी. ने जून, जुलाई व अगस्त 2010 के महीनों में धान के मौसम हेतु क्रमशः 300 एम.डब्ल्यू, (जून 2010), 500 एम.डब्ल्यू (जुलाई 2010) व 600 एम.डब्ल्यू (अगस्त 2010), 24 घंटे लघु अवधि विद्युत की खरीद हेतु टैंडर फ्लोट किए (19 मार्च 2010)। आठ फर्मों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की जो 2 अप्रैल 2010 को खोली गई। पावर ट्रेडिंग कांफ़ोरेशन (पी.टी.सी.) जून 2010 मास हेतु, अपने 200 एम.डब्ल्यू के लिए ₹ 6.08 प्रति यूनिट (स्रोत-हिमाचल प्रदेश) तथा 150 एम.डब्ल्यू के लिए ₹ 6.09 प्रति यूनिट (स्रोत-पश्चिमी क्षेत्र) के उद्धृत भू-दर के साथ न्यूनतम फर्म थी। फिर भी पी.टी.सी. ने यह

⁹ इनफर्म विद्युत आय में एच.पी.सी. का हिस्सा: ₹ 14.54 करोड़ (₹ 3.76 करोड़ + ₹ 10.78 करोड़)
इनफर्म विद्युत आय में जी.यू.वी.एन.एल. का हिस्सा x 380 एम.डब्ल्यू. (विद्युत में एच.पी.पी.सी. हिस्सा)/1,805 एम.डब्ल्यू. (विद्युत में जी.यू.वी.एन.एल. का हिस्सा) = ₹ 3.06 करोड़।

स्पष्ट कर दिया था (29 मार्च 2010) कि विद्युत कई भावी क्रेताओं को प्रस्तावित की जा रही थी तथा पी.टी.सी. 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर कारीडोर बुक करेगा। कारीडोर बुक करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2010 थी।

हमने अवलोकित किया कि एच.पी.पी.सी. द्वारा पी.टी.सी. को लैटर आफ इन्टेट (एल.ओ.आई.) जारी (23 अप्रैल 2010) करने में 21 दिन (2 अप्रैल 2010 से 23 अप्रैल 2010) लगे क्योंकि कारीडोर बुक करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2010 थी इसलिए पी.टी.सी. ने इस तर्क पर विद्युत बेचने हेतु मना कर (23 अप्रैल 2010) दिया कि नोटिस इनवाइटिंग टैंडर (एन.आई.टी.) में प्रस्तावित की गई विद्युत इसने पहले ही बेच दी थी। तथापि, पी.टी.सी. ने फिर से जून 2010 मास हेतु ₹ 7.62 प्रति यूनिट उच्च भू-दर पर विद्युत प्रस्तावित की (28 अप्रैल 2010) तथा एच.पी.पी.सी. उससे सहमत हो गया। मास जून 2010 के दौरान, एच.पी.पी.सी. को पी.टी.सी. से कुल 75.05 एम.यूज (स्रोत: हिमाचल प्रदेश) खरीदने के परिणामस्वरूप ₹ 11.56 करोड़¹⁰ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने कहा कि जी.ओ.एच.पी. ने यह विद्युत पहले ही बेच दी थी। मामला सी.एम. के द्वारा सी.एम., जी.ओ.एच.पी. के ध्यान में लाया गया था परंतु जी.ओ.एच.पी. ने कोई उत्तर नहीं दिया।

यह कहना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.टी.सी. से सूचना के बावजूद कि विद्युत कई भावी क्रेताओं को 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर प्रस्तावित की जा रही थी, एच.पी.पी.सी. ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तथा इस प्रकार किफायती दरों पर लघु अवधि विद्युत प्राप्त करने के अवसर को खो दिया।

viii. अल्प अवधि विद्युत की खरीद

एच.ई.आर.सी. की विद्युत प्रापण (जुलाई 1999) हेतु दिशानिर्देश यह प्रावधान करते हैं कि अल्प अवधि विद्युत की खरीद, उपभोक्ताओं को लागत कम करने हेतु, आपातकालीन स्थिति में ही की जानी चाहिए। एच.ई.आर.सी. ने, विद्युत अधिनियम-2003 के सैक्शन 62 (1) के अनुसार, वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 हेतु अल्प अवधि विद्युत की खरीद हेतु ₹ 4.70 प्रति यूनिट की सीलिंग दर निर्धारित की थी। एच.पी.पी.सी. ने निर्णय लिया (31 मार्च 2009) कि अप्रैल, मई 2009 के दौरान अतिरिक्त विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए जून-सितंबर 2009 की अवधि हेतु जारी की गई निविदाएं (16 फरवरी 2009) ही अंतिम की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि अप्रैल-मई 2009 के दौरान कोई अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता नहीं थी फिर भी अप्रैल-मई 2009 के दौरान ₹ 7.15 से ₹ 12.25 प्रति यूनिट के बीच श्रृंखलित दरों पर एक्सचेंज तथा प्राइवेट उत्पादकों से ₹ 79.15 करोड़ की लागत पर 101.20 एम.यूज खरीदे गए। यह दरें एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित ₹ 4.70 प्रति यूनिट सीलिंग दर की तुलना में उच्चतर थीं।

प्रबंधन ने कहा कि विद्युत की मात्रा केवल 2.01 प्रतिशत थी तथा केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही आने वाले दिन के आधार पर खरीदी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि

¹⁰ (₹ 7.62 प्रति यूनिट - ₹ 6.08 प्रति यूनिट) x 75.05 एम.यूज = ₹ 11.56 करोड़।

लेखापरीक्षा ने प्रबंधन के इस कथन के संबंध में कि अल्पावधि विद्युत एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से उच्चतर दरों पर अति आवश्यक परिस्थितियों में ही खरीदी गई थी, कोई रिपोर्ट अवलोकित नहीं की थी।

इस प्रकार, एच.पी.पी.सी. ने ₹ 755.91 करोड़ का अधिक भुगतान एच.पी.जी.सी.एल. को किया था तथा उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित नहीं किया क्योंकि उन्हें उच्चतर टैरिफ का भुगतान करना पड़ा था। एच.पी.पी.सी. ने साफ्ट पेनल्टी नार्मस, विद्युत क्रय अनुबंध में दोषपूर्ण क्लॉज तथा अल्पावधि विद्युत क्रय को अंतिमकरण करने में देरी के कारण ₹ 165.26 करोड़ की हानि सही। स्व-उत्पादन, शेयर्ड परियोजनाओं तथा केंद्रीय परियोजनाओं द्वारा हुई विद्युत की उपलब्धता में कमियों को एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से उच्चतर दरों पर अल्पावधि तथा यू.आई. विद्युत खरीद करके पूरा किया गया, जिससे डिस्कोम्ज पर ₹ 2,095.27 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2014) और उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मार्च 2015)।

हरियाणा भूमि सुधार तथा विकास निगम लिमिटेड

3.4 अधिक भुगतान

अनुबंधित ट्रक लोडिंग क्षमता पर मूल्य वृद्धि की मात्रा के सही परिकलन न करने से ट्रांसपोर्टर को ₹ 21.29 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

कंपनी राजस्थान से जिप्सम प्राप्त करती है तथा इसे कृषि विभाग द्वारा आबंटन के आधार पर सड़क द्वारा राज्य के सभी सात जोन को सीधे आपूरित करती है। कंपनी ने अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि हेतु जिप्सम के परिवहन के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया (28 मार्च 2012) जो कि उन्हीं निबंधनों एवं शर्तों पर वर्ष 2013-14 के लिए आगे बढ़ाया गया था। अनुबंध में अन्य के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि डीजल के मूल्यों में ₹ एक प्रति लीटर की वृद्धि हुई तो, मूल्यों में वृद्धि ₹ नौ प्रति एम.टी. होगी। कंपनी द्वारा मूल्यों में यह वृद्धि एक ट्रक की धारण क्षमता 10 एम.टी. मानकर 1997 में परिकलित की गई थी।

आडिट ने अवलोकित किया (जनवरी 2014) कि 27 जनवरी 2012 की एन.आई.टी. की शर्तें प्रावधान करती हैं कि निविदाकारों के पास 28 से 35 एम.टी. धारण क्षमता वाले ट्रक होने चाहिए थे। ट्रांसपोर्टरों ने अप्रैल 2012 से नवंबर 2013 के दौरान ढोए गए कुल 1,29,589 एम.टी. में से 30-35 एम.टी. की क्षमता वाले ट्रकों के माध्यम से 77 प्रतिशत (99,287 एम.टी.) जिप्सम उठाया था। तथापि, कंपनी ने ट्रकों की 10 एम.टी. क्षमता के स्थान पर 28-35 एम.टी. की वृद्धित क्षमता को ध्यान में रखते हुए मूल्य वृद्धि क्लॉज में संशोधन नहीं किया तथा अनुबंध में ट्रांसपोर्टर को उच्चतर मूल्य वृद्धि दर अनुमत की।

30 एम.टी. की धारण क्षमता वाले ट्रक की डीजल की प्रति लीटर औसत ईंधन उपभोग 2.5 कि.मी. है तथा इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ₹ एक प्रति लीटर डीजल की मूल्य-वृद्धि हेतु ₹ 4.35 से ₹ 9.49 प्रति एम.टी. (खदान से प्रत्येक जोन तक की दूरी के आधार पर) के मध्य मूल्य-वृद्धि परिकलित की गई। अनुबंध में मूल्य वृद्धि फार्मूला में संशोधन न करने के

कारण कंपनी ने अप्रैल 2012 से नवंबर 2013 के दौरान ट्रांसपोर्टर द्वारा ढोए गए जिप्सम के लिए उसको ₹ 21.29 लाख का अधिक भुगतान किया।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2014) कि इसने लेखापरीक्षा दावे के अनुसार ट्रकों की धारण क्षमता 28 से 35 एम.टी. मानते हुए, डीजल के मूल्यों में वृद्धि हेतु परिवहन लागत में वृद्धि के लिए, फार्मूला को 2014-15 से संशोधित कर दिया था।

मामला सरकार के पास भेजा गया (जून 2014), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

हरियाणा राज्य सड़क तथा पुल विकास निगम लिमिटेड

3.5 राजस्व की हानि

राजस्व के लिकेज को रोकने के लिए टोल कलेक्शन प्वाइंट को शिफ्ट करने हेतु समायोजित कार्रवाई न करने के कारण ₹ 37.45 लाख की संभावित राजस्व की हानि हुई।

राज्य सरकार ने हांसी-तोशाम-सोढीवास सड़क को टोल सड़क घोषित (11 अगस्त 2010) किया। कंपनी ने निविदाएं आमंत्रित करने के बाद नवंबर 2010 से सितंबर 2011 तक ₹ 111.80 लाख के लिए टोल अनुबंध आबटित किया (अक्टूबर 2010)। अनुबंधकर्ता ने कंपनी को सूचित किया (21 अक्टूबर 2010) कि टोल प्वाइंट से 800 मीटर की दूरी पर गांव सोढीवास में एक स्लिप मार्ग था जो टोल टैक्स के भुगतान से बचने के लिए वाहनों द्वारा प्रयोग किया जा रहा था, तथा राजस्व हानि को बचाने के लिए टोल प्वाइंट को तदनुसार शिफ्ट करने की प्रार्थना की। कंपनी ने अधीक्षण अभियंता (भिवानी सर्कल), पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) की प्रतिक्रिया मांगी (27 अक्टूबर 2010) जिसने वर्तमान टोल प्वाइंट को शिफ्ट किए जाने की अनुशंसा की (दिसंबर 2010)। तथापि, कंपनी ने अप्रैल 2012 में टोल प्वाइंट शिफ्ट किया।

टोल प्वाइंट को शिफ्ट न किए जाने के कारण कंपनी को उचित कीमत पर अनुबंध देने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसने 1 जनवरी 2012 से 30 जून 2012 की अवधि के लिए अनुबंधकर्ता से ₹ 45 लाख तथा 1 अक्टूबर 2011 से 31 दिसंबर 2011 और 1 जुलाई 2012 से 31 अगस्त 2012 के बीच जब कोई अनुबंध चालू नहीं था उसके दौरान अपने आप टोल टैक्स (₹ 29.35 लाख) संगृहीत किया। कंपनी ने टोल प्वाइंट शिफ्ट करने के बाद एक सितंबर 2012 से आरंभ होकर एक वर्ष के लिए ₹ 1.31 करोड़ का टोल संग्रहण का अनुबंध किया। यदि कंपनी ने पहले अनुबंध के सितंबर 2011 में पूर्ण होने से पहले ही स्थान को बदल लिया होता तथा इसके तुरंत बाद पहले अनुबंध वाली दर पर भी अक्टूबर 2011 से नया अनुबंध दे दिया होता तो इसको ₹ 37.45 लाख (₹ 111.80 लाख - ₹ 29.35 लाख - ₹ 45 लाख) का लाभ हुआ होता।

कंपनी ने बताया कि (नवंबर 2013) हरियाणा सरकार की टोल नीति के अनुसार टोल प्वाइंट्स, भारी ट्रैफिक वाली सड़कों पर अन्य राज्यों की सीमा पर स्थित होने चाहिए तथा इसीलिए टोल प्वाइंट के स्थान को शिफ्ट करने के मामले पर कभी भी विचार नहीं किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी ने बाद में अंततः टोल प्वाइंट शिफ्ट किया।

मामला सरकार के पास भेज दिया गया था (अप्रैल 2014), उनका उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2015) था।

3.6 अवसूली

अनुबंधकर्ताओं के खाते में पैसों के गलत जमा तथा उनके अमिलान के कारण ₹ 1.34 करोड़ की अवसूली हुई।

कंपनी ने ₹ 5.83 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर 29 अगस्त 2009 से 30 सितंबर 2010 तक कोटपुतली-बुधवाल-नांगल चौधरी-नारनौल सड़क पर टोल प्वाइंट संख्या-30 पर टोल के संग्रहण के लिए अनुबंध किया (अगस्त 2009)। अनुबंध के अनुसार अनुबंधकर्ता को सितंबर 2009 से शुरू कर सितंबर 2010 तक के प्रत्येक महीने की पहली तारीख को डिमांड ड्रफ्ट द्वारा टोल की मासिक किश्त जमा कराना अपेक्षित था। अनुबंधकर्ता ने अनुबंध करने के समय इन किश्तों के लिए 12 पोस्ट डेटिड चैक्स (पी.डी.सीज) जमा किए। ये पी.डी.सीज¹¹ अनुबंधकर्ता द्वारा डिमांड ड्रफ्ट जमा न कराने की स्थिति में एनकैशमेंट के लिए जमा किए जाने थे। अनुबंधकर्ता ने कंपनी को ₹ 87.45 लाख (31 दिसंबर 2010 तक बढ़ाई गई वैधता तक) की बैंक गारंटी (बी.जी.) के रूप में प्रतिभूति जमा भी पेश की।

उपर्युक्त टोल प्वाइंट 1 मार्च से 28 अगस्त 2009 तक विभागीय तौर पर चलाया गया था। कार्यकारी अभियंता, प्रान्तीय मंडल, नारनौल ने अनुबंधकर्ता के बैंक खाते में गलत ढंग से ₹ 2.20 करोड़, अर्थात् उपर्युक्त टोल प्वाइंट से संबंधित ₹ 20 लाख का विभागीय संग्रहण तथा टोल प्वाइंट नं. 18 के ₹ 2 करोड़, जमा किए। इसके कारण अनुबंध (1 अक्टूबर 2010) खत्म होने तक कंपनी की बुक्स में अनुबंधकर्ता का ₹ 85.90 लाख का क्रेडिट बैलेंस था। यदि गलत जमा न होती तो अनुबंधकर्ता के खातों में ₹ 1.34 करोड़ (कंपनी द्वारा वसूलनीय) का डेबिट बैलेंस होना था। कंपनी ने अनुबंधकर्ता को किश्तों की मासिक जमाओं के विवरण सूचित करने को कहा (अक्टूबर/नवंबर 2010 तथा जनवरी 2011)। इसी बीच, 31 दिसंबर 2010 को अनुबंधकर्ता के पी.डी.सीज तथा बी.जी लैप्स हो चुके थे।

आडिट ने अवलोकित (जुलाई 2013) किया कि फरवरी से जुलाई 2010 के दौरान प्रत्येक महीने में अनुबंधकर्ता के क्रेडिट में पड़ी राशि, भुगतान सूची के अनुसार देय राशि से बहुत ज्यादा थी तथा अनुबंध की समाप्ति पर यानि 30 सितंबर 2010 को अनुबंधकर्ता के खाते में ₹ 85.90 लाख का क्रेडिट बैलेंस दिखाया गया था। जबकि, वास्तव में अनुबंधकर्ता के खाते में ₹ 1.34 करोड़ (कंपनी द्वारा वसूलनीय) का डेबिट बैलेंस था। कंपनी ने, इस तथ्य के बावजूद कि अनुबंधकर्ता से ₹ 1.34 करोड़ वसूलनीय थे, पी.डी.सीज तथा बी.जी. एनकैश नहीं किए। यदि कंपनी ने प्रत्येक महीने अनुबंधकर्ता के खाते में पड़े क्रेडिट को उसकी देय राशि से मिलान कर लिया होता तो, गलत जमा का पता लगाया जा सकता था।

तथ्यों को स्वीकारते हुए कंपनी ने बताया (नवंबर 2013) कि मामले के निपटान के लिए कंपनी द्वारा एक आर्बीट्रेटर नियुक्त (सितंबर 2013) किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि गलती कार्यकारी अभियंता, प्रान्तीय मंडल, नारनौल के हिस्से पर थी जिसने अनुबंधकर्ता के खाते में विभागीय संग्रहण द्वारा जमा पैसे को गलत ढंग से जमा किया तथा इसके अतिरिक्त

¹¹ एक चैक की वैधता तीन महीनों की है।

उसने खातों का सही ढंग से रख-रखाव तथा मिलान नहीं किया था। कार्यकारी अभियंता, प्रान्तीय मंडल, नारनौल की स्पष्ट लापरवाही के बावजूद कंपनी ने विचाराधीन राशि को वसूलने तथा जिम्मेदारी तय करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।

मामला सरकार के पास भेज दिया गया था (मई 2014), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

हरियाणा एगो उद्योग निगम लिमिटेड

3.7 ब्याज का परिहार्य भुगतान

निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण एफ.सी.आई. से किसानों को दिए गए ₹ 10.46 करोड़ के बोनस की अदायगी अभी तक नहीं हुई है तथा बोनस भुगतान करने के लिए प्राप्त ऐसी सी.सी. लिमिट पर ₹ 4.79 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया था।

कंपनी भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की ओर से केंद्रीय पूल के लिए मंडियों से गेहूं प्राप्त करती है तथा इसे एफ.सी.आई. को डिलीवर करती है। भारत सरकार (जी.ओ.आई.) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.), साविधिक प्रभार तथा गेहूं के अन्य प्रासंगिक शुल्क निश्चित करती है। इन मूल्यों के आधार पर कंपनी गेहूं की प्राप्ति के बाद एफ.सी.आई. से खाद्यान्नों की कीमत तथा अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा करती है।

खाद्यान्नों के सरल प्रापण को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने, समेकित बिलों को तैयार करने तथा किसानों से प्राप्त गेहूं से संबंधित मंडी के सभी आढ़तियों¹² से बिलों/लेखांकनों के संग्रहण की सेवा हेतु बिलिंग-कम-पेमेंट एजेंटों (बी.सी.पी.एज) के साथ समझौता किया।

जी.ओ.आई. ने रबी फसल 2011 के लिए एम.एस.पी. के अतिरिक्त, गेहूं पर ₹ 50 प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस यानि ₹ 500 प्रति एम.टी. की घोषणा की (अप्रैल 2011)। राज्य सरकार द्वारा जारी (अप्रैल तथा नवंबर 2011) निर्देशों के अनुसार, बोनस वास्तव में संबंधित किसानों को दिया गया है, यह सुनिश्चित करने वाले निश्चित विवरणों¹³ को दर्शाते हुए एक निर्धारित प्रपत्र के रूप में एक सर्टिफिकेट के प्रस्तुत करने पर ही एफ.सी.आई. द्वारा कंपनी को बोनस की प्रतिपूर्ति की जानी थी।

कंपनी ने 2011-12 के दौरान 7 लाख एम.टी. गेहूं प्राप्त किया तथा मई 2014 तक एफ.सी.आई. को 6.77 लाख एम.टी. गेहूं डिलीवर किया। ₹ 33.85 करोड़ (6.77 लाख एम.टी. x ₹ 500), के बोनस के विरुद्ध कंपनी ने, मार्च 2013 से अक्टूबर 2014 के दौरान, एफ.सी.आई. से ₹ 23.39 करोड़ प्राप्त किए। ₹ 10.46 करोड़ बोनस की बैलेंस राशि एफ.सी.आई. से वसूल नहीं की जा सकी क्योंकि कंपनी वी.सी.पी.एज द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों के प्रस्तुत न करने के कारण एफ.सी.आई. को निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित विवरणों को प्रस्तुत करने में विफल रही।

¹² आढ़ती, खाद्यान-बाजार में कार्यरत एक बिचौलिया होता है।

¹³ किसान का नाम, खरीद की तारीख, भुगतान की तारीख तथा चेक/कैश वाउचर नंबर आदि।

आडिट ने अवलोकित (नवंबर 2013) किया कि कंपनी की ₹ 10.46 करोड़ की यह राशि एफ.सी.आई. से अवसूलनीय रही तथा इसने गेहूं की डिलीवरी की अवधि के दौरान 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की न्यूनतम ब्याज दर पर कैंश क्रेडिट (सी.सी.) लिमिट प्राप्त करके किसानों को बोनस दिया। इसने प्राप्त सी.सी. लिमिट पर अक्टूबर 2014 तक ₹ 4.79 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। यदि कंपनी ने निर्धारित प्रपत्र में दावे पेश किए होते, तो दिसंबर 2011 से यह दावे प्राप्त कर चुकी होती तथा ₹ 4.79 करोड़ के ब्याज के भुगतान बचाए जा सकते थे।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि संबंधित जिला प्रबंधकों को यह बताने के लिए कहा गया कि क्यों वे समय पर एफ.सी.आई. से प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सके तथा उन्हें अनुबंध के अनुसार बी.सी.पी.एज द्वारा ड्यूटी न करने पर उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की सलाह भी दी।

मामला सरकार के पास भेज दिया गया था (जून 2014), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड

3.8 निधियों का प्रबंधन

अनुसूचित जाति लाभग्राहियों को सहायता अनुदान के 20 प्रतिशत का सवितरण सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। अधिशेष निधियों/साम्या का प्रबंधन अनुचित था। ब्याज सबसिडी का संदेहास्पद गबन देखा गया जिसमें 47 भिन्न-भिन्न मामलों से संबंधित ₹ 10.90 लाख एक बैंक खाते में जमा करवाए गए थे।

‘हरियाणा आर्थिकतः कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड’ 1982 में स्थापित किया गया था। उसे 1987 में ‘हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड’ (कंपनी) के रूप में पुनः नामकृत किया गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य, महिलाओं का कल्याण एवं उनकी शैक्षिक योग्यता बढ़ाना तथा स्वरोजगार के अवसर सृजित करने हेतु स्कीम बनाना था। कंपनी, बैंक के माध्यम से हरियाणा सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में से, व्यक्तिगत ऋण योजना तथा शिक्षा ऋण स्कीम में महिलाओं को क्रमशः सबसिडी तथा ब्याज सबसिडी प्रदान करती है।

हमने लेखापरीक्षा के दौरान अप्रैल 2009 से मार्च 2014 तक की अवधि की जांच की थी तथा 21 जिला कार्यालयों (सवितरित राशि ₹ 11.40 करोड़) में से अधिकतम सवितरण राशि के आधार पर चयन किए गए पांच¹⁴ जिला कार्यालयों (सवितरित राशि: ₹ 4.19 करोड़¹⁵) के अभिलेखों सहित कंपनी के मुख्यालय के अभिलेखों की भी जांच की।

¹⁴ अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत तथा रोहतक।

¹⁵ इसमें पानीपत जिला कार्यालय द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक सवितरित राशि सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह अभी भी प्रतीक्षित है।

3.8.1 अनुसूचित जातियों से संबंधित लाभग्राहियों को समाविष्ट न करना

कंपनी ने राज्य सरकार से ₹ 10 करोड़ (2009-10 से 2013-14) का सहायता अनुदान प्राप्त किया। इसमें से ₹ दो करोड़ विशेष रूप से अनुसूचित जातियों से संबंधित लाभग्राहियों के संवितरण के लिए था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने अनुसूचित जाति लाभग्राहियों के लिए प्राप्त सहायता अनुदान को उनको संवितरित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए न तो कोई प्रणाली विकसित की थी और न ही अनुसूचित लाभग्राहियों को किए गए संवितरण के लिए पृथक लेखा अनुरक्षित किया था।

कंपनी तथा सरकार ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई तथा नवंबर 2014) कि अनुसूचित लाभग्राहियों को 20 प्रतिशत सहायता अनुदान का लाभ प्रदान करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं तथा नई स्कीमें प्रस्तावित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

3.8.2 अधिशेष निधियों/साम्या का अनुचित प्रबंधन

निधियां, राज्य सरकार के संस्थागत वित्त एवं जमा नियंत्रण विभाग (स.वि.ज.नि.वि.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों (1997) के अनुसार निवेश की जानी चाहिए। स.वि.ज.नि.वि. के दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार निकायों की अप्रयुक्त निधियां, अनुमत संस्थाओं अर्थात् राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा तीन प्राइवेट बैंकों तात्पर्य आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई. तथा एच.डी.एफ.सी. में निवेश की जानी चाहिए।

हमने अवलोकित किया कि कंपनी ने अधिशेष निधियों के निवेश से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन किया तथा ₹ 3.30 करोड़, आई.सी.आई.सी.आई. गृह वित्त कंपनी, जो स.वि.ज.नि.वि. के अनुसार अनुमत संस्था नहीं थी, में 7 से 7.61 प्रतिशत के बीच ब्याज देने वाली चार सावधि जमाओं में निवेश किए (अगस्त 2009 से दिसंबर 2009)। कंपनी तथा सरकार ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई तथा नवंबर 2014) कि ब्याज की उच्चतर दर अर्जित करने के विचार से आई.सी.आई.सी.आई. गृह वित्त कंपनी में राशि निवेश करने हेतु निर्णय लिया गया था। कंपनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आई.सी.आई.सी.आई. गृह वित्त कंपनी, स.वि.ज.नि.वि. के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत संस्था नहीं थी।

3.8.3 निधियों के विलंबित पुनर्निवेश के कारण ब्याज की हानि तथा सावधि जमाओं का समय पूर्व नकदीकरण

निधियां किसी भी क्षण निरर्थक न रहें तथा सावधि जमाओं का समयपूर्व नकदीकरण केवल निधियों की अत्यधिक आकस्मिकता/आवश्यकता के दौरान किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए किसी निधि प्रबंधक को निवेशों की परिपक्वता की जांच सूक्ष्मता से करना अनिवार्य है। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि:

- कंपनी ने आई.सी.आई.सी.आई. गृह वित्त लिमिटेड में एक वर्ष की अवधि के लिए सात प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज दर वाली दो सावधि जमाओं में ₹ 1.80 करोड़ निवेश किए (12 नवंबर 2009 तथा 9 दिसंबर 2009)। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कंपनी ने सावधि जमाओं की परिपक्वता पर इनकी राशि कंपनी के खातों में अन्तरित करने के लिए आई.सी.आई.सी.आई. गृह वित्त को पहुंच नहीं की। तथापि,

₹ 1.91 करोड़ की राशि (उपर्युक्त दो सावधि जमाओं की परिपक्वता पर ब्याज सहित) 73 दिनों (9 दिसंबर 2009 से 21 फरवरी 2011) से 100 दिनों (12 नवंबर से 21 फरवरी 2011) तक के विलंब के पश्चात् कंपनी के बैंक खाते में जमा की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 3.08 लाख ब्याज की हानि हुई (सात प्रतिशत की ब्याज दर पर परिकलित)। कंपनी तथा सरकार ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई तथा नवंबर 2014) कि आई.सी.आई.सी.आई. गृह वित्त लिमिटेड से राशि वसूल करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन तथ्य रहता है कि परिपक्वता के तुरंत बाद ब्याज के साथ सावधि जमा की राशि जमा न करवाने के कारण कंपनी ने ₹ 3.08 लाख के ब्याज की हानि उठाई।

- कंपनी ने, आई.सी.आई.सी.आई. गृह वित्त लिमिटेड में एक वर्ष के लिए 7.61 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर दो सावधि जमाओं में ₹ 1.50 करोड़ निवेश किए (अगस्त 2009)। कंपनी ने निधियों की कमी की दलील पर, ₹ 1.50 करोड़ राशि की एक सावधि जमा समयपूर्व नकदीकृत करवाई (15 मार्च 2010)। सावधि जमा के समयपूर्व नकदीकरण के कारण, बैंक ने देय ब्याज की दर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम कर दी।

कंपनी तथा सरकार ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई तथा नवंबर 2014) कि स्थापना का वेतन अनिवार्य था और निधियों की कमी थी इसलिए सावधि जमाओं का मार्च 2010 में समयपूर्व नकदीकरण किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मार्च 2010 में निधियों की कोई कमी नहीं थी जिसकी इस तथ्य से पुष्टि होती है कि सावधि जमा के नकदीकरण के बाद इस माह के दौरान कोई भारी भुगतान नहीं किए गए तथा कंपनी ने ₹ दो करोड़ अन्य बैंक की सावधि जमा में निवेश किए (मार्च 2010)।

3.8.4 अधिशेष निधियों का सावधि जमाओं में निवेश न करने के कारण ब्याज की हानि

कंपनी ने 2011-12 के दौरान ₹ छः करोड़ (26 अप्रैल 2011 से 13 जुलाई 2011 के दौरान पी.एन.बी. पंचकुला में ₹ पांच करोड़ की राशि की चार सावधि जमाएं, प्रत्येक ₹ 1.25 करोड़ की तथा 23 फरवरी 2012 को यूको बैंक में ₹ एक करोड़) पांच सावधि जमाओं में एक वर्ष की अवधि के लिए निवेश किए। सावधि जमाओं की परिपक्वता के पश्चात् कंपनी ने, ₹ 6.31 करोड़ (ब्याज सहित) पी.एन.बी., सैक्टर-5, पंचकुला में सेविंग सह स्वीप खाते¹⁶ में अन्तरित कर दिए (अप्रैल 2012 से जून 2012)। हमने देखा कि सावधि जमाओं में निवेश करने की बजाए कंपनी ने संपूर्ण राशि सेविंग-सह-स्वीप खाते में स्थानांतरित कर दी। लेखे की बैंक विवरणियों के अवलोकन ने प्रकट किया कि कंपनी ने, खाते में कुल शेष राशि पर ₹ 29.57 लाख (₹ 13.83 लाख अप्रैल से सितंबर 2012 तथा ₹ 15.74 लाख अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक) ब्याज के रूप में अर्जित किए। यदि कंपनी ₹ 6.31 करोड़ की निधियां

¹⁶ एक बैंक खाता जो राशियों, जो एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाती है (अथवा कम हो जाती है), को एक उच्चतर ब्याज अर्जित करने वाले निवेश-विकल्प में, प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति पर, स्वतः अन्तरित करता है।

सावधि जमाओं में निवेश करती तो यह जुलाई 2012 से मार्च 2013 के दौरान ₹ 40.23¹⁷ लाख अर्जित कर सकती थी। इस प्रकार, सावधि जमाओं में निवेश न करने के कारण कंपनी ने ₹ 10.66 लाख के ब्याज की हानि उठाई (₹ 40.23 लाख-₹ 29.57 लाख)।

कंपनी तथा सरकार ने बताया (जुलाई तथा नवंबर 2014) कि सैनीटरी नैपकिन बनाने वाली एक हजार इकाइयों, जिनके लिए ₹ सात करोड़ (लगभग) अपेक्षित थे, की स्थापना के लिए यह निर्णय लिया गया था तथा सावधि जमाओं के अंतर्गत राशि को रखना इसके अपने हित में नहीं था क्योंकि सावधि जमाओं के समय-पूर्व नकदीकरण की अवस्था में, कंपनी को एक प्रतिशत के ब्याज की हानि उठानी पड़ती।

कंपनी तथा सरकार के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि सैनीटरी नैपकिन यूनिट स्थापित करने हेतु निर्णय जून 2011 में लिया गया था। कंपनी ने फिर भी, अप्रैल-जून 2012 तक ₹ छः करोड़ सावधि जमा में रखे और लेखापरीक्षा टिप्पणी जुलाई 2012 से मार्च 2013 की अवधि से संबंधित हैं।

3.8.5 निधि के गबन के सदेहास्पद मामले

कंपनी, 1 अप्रैल 2007 से राज्य के महिला विद्यार्थियों को बैंक द्वारा दिए गए शिक्षा ऋण पर ब्याज सबसिडी प्रदान कर रही है। प्रक्रिया के अनुसार, कंपनी ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक के नाम पर चैक के माध्यम से लाभग्राही की ओर से पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज का भुगतान करती है।

पानीपत के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान एक विशिष्ट मामला देखा गया जिसमें 47 भिन्न लाभग्राहियों की ₹ 10.90 लाख की ब्याज सबसिडी राशि एक बैंक के एक ही खाते में जमा करवाई गई जो सदेहास्पद हो सकता था।

कंपनी तथा सरकार ने बताया (जुलाई, नवंबर 2014 तथा मार्च 2015) कि जिला प्रबंधक को चार्ज शीट कर दिया गया था। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

इस प्रकार, कंपनी अनुसूचित जाति लाभग्राहियों के लिए प्राप्त निधियां संवितरित करने में विफल रही। इसने फालतू निधियों के निवेश के लिए राज्य सरकार दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया। निधियों के अनुचित प्रबंधन के कारण, कंपनी को ₹ 13.74 लाख के ब्याज की हानि उठानी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त वहां ₹ 10.90 लाख का सदेहास्पद गबन था।

मामला, कंपनी तथा सरकार को जून 2014 में सूचित किया गया; उनका उत्तर जुलाई 2014 तथा नवंबर 2014 में प्राप्त किया गया था। उत्तर उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए थे।

¹⁷ ₹ 6.31 करोड़ x 8.5 प्रतिशत ब्याज की दर x 9 माह।

हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड

3.9 कंपनी द्वारा ऋणों की संस्वीकृति, सवितरण तथा वसूली

पांच जिलों में, अपात्र लाभग्राहियों को ₹ 50 लाख की ऋण राशि संस्वीकृत तथा सवितरित की गई। पिछड़े वर्गों के मामले में वसूली की प्रतिशतता 21 एवं 39 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के मामले में 14 एवं 25 प्रतिशत तथा विकलांग व्यक्तियों के मामले में 29 और 35 प्रतिशत के बीच रही थी।

कंपनी 1980 में स्थापित की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य, राज्य में पिछड़े वर्गों (पि.व.), अल्पसंख्यकों (अ.स.) तथा विकलांग व्यक्तियों (वि.व्य.) का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान करना था। कंपनी, सावधिक ऋण, शिक्षा ऋण तथा आवास ऋण (आ.ऋ.) स्कीमों के अंतर्गत ऋण प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा ने, अप्रैल 2009 से मार्च 2014 तक की अवधि की जांच करते हुए 21 जिला कार्यालयों¹⁸ में से पांच तथा मुख्यालय (मुख्या.) पर कंपनी के अभिलेखों की नमूना-जांच की। चयन किए गए पांच जिलों में लेखापरीक्षा आवृत्ति में 2,563 लाभग्राही शामिल थे (सवितरित राशि ₹ 16.67 करोड़)।

3.9.1 लाभग्राहियों की पहचान तथा चयन

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्र स्तरीय वित्तीय सहायता निगमों¹⁹ (रा.वि.नि.) ने लाभग्राहियों के चयन के लिए आय एवं जाति को मूल मापदंड के रूप में निर्धारित किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने, लाभग्राहियों की पहचान करने तथा चयन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश नहीं बनाए थे। अभिलेखों की समीक्षा ने प्रकट किया:

- कंपनी ने पि.व. अ.स. तथा वि.व्य. में लक्षित समूहों की पहचान करने के लिए केवल 2009 में एक सर्वेक्षण किया था। इसने कोई जिला स्तरीय डाटा/लक्षित परिवारों की सर्वेक्षण रिपोर्टें अनुरक्षित नहीं की थी; तथा
- प्राप्त परंतु अस्वीकृत आवेदनों से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे तथा आवेदनों के प्रस्तुतिकरण तथा ऋण संस्वीकृति की तिथियां आवेदन फार्मों में दर्ज नहीं की गई थीं। इस प्रकार, आवेदन की तिथि से ऋण की संस्वीकृति तक लिया गया समय लेखापरीक्षा में विश्लेषित नहीं किया जा सका।

कंपनी तथा सरकार ने बताया (अगस्त 2014 तथा जनवरी 2015) कि इसने जून 2008 में दिशानिर्देश बना दिए थे परंतु ये, स्टाफ तथा निधियों की कमी के कारण लागू नहीं किए जा सके।

¹⁸ अंबाला, करनाल, हिसार, सोनीपत तथा गुड़गांव।

¹⁹ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम।

3.9.2 राज्य सरकार से ब्याज छूट सबसिडी का अधिक दावा

राज्य सरकार ने कंपनी को, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के उन लाभग्राहियों के मामले में, जोकि अपने ऋण के भुगतान में रोगुलर थे, उनके ऋण पर ब्याज दर छः प्रतिशत से घटा कर पांच प्रतिशत करने के निर्देश दिए (दिसंबर 2005)। यह लाभ अंतिम किश्त के भुगतान के समय पर दिया जाना था तथा कंपनी को सबसिडी के रूप में प्रतिपूरित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने ब्याज की कम की गई दर का लाभ सभी लाभग्राहियों को, उनकी पात्रता को ध्यान में न रखते हुए, दे दिया तथा चूककर्तों के लिए भी ब्याज सबसिडी का दावा किया। इस कारण इसने राज्य सरकार से 2005 से 2014 के दौरान ₹ 75.91 लाख सबसिडी के रूप में प्राप्त किए।

कंपनी तथा सरकार ने बताया (अगस्त 2014 तथा जनवरी 2015) कि आवश्यक संशोधित निर्देश फील्ड कार्यालयों को जारी कर दिए गए थे।

3.9.3 अपात्र लाभग्राहियों को सावधिक ऋण की संस्वीकृति तथा संवितरण

सावधि तथा शिक्षा ऋण स्वीकृत करने के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, एक परिवार में केवल एक सदस्य ऋण संस्वीकृति का पात्र है तथा ऋण की अधिकतम सीमा ₹ 10 लाख है। नए ऋण की संस्वीकृति पिछले ऋण की वसूली के बाद ही की जा सकती है। लेखापरीक्षा ने, चयन किए गए पांच जिलों के 378 लाभग्राहियों में से चयन किए गए दो जिलों के 139 लाभग्राहियों के ब्यौरे की नमूना-जांच की तथा निम्नवत् अवलोकित किया:

- i. परिवारों के एक से अधिक सदस्य को ऋण दिए गए; (₹ 20 लाख की राशि से आवेष्टित एक मामला); तथा
 - ii. ऋण उनको भी संस्वीकृत किए गए जिनके पहले से विद्यमान ऋणों का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया गया था (₹ 30 लाख की राशि से आवेष्टित एक मामला)।
- ### 3.9.4 वित्तीय सहायता की संवितरण पश्चात् मानीटरिंग
- एन.एफ.सी. के दिशानिर्देश, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदान की गई निधियां केवल अभीष्ट प्रयोजनों हेतु प्रयोग की जाए, स्कीमों की मानीटरिंग की अपेक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा ने स्कीमों के लिए मानीटरिंग प्रणाली की कभी अवलोकित की तथा देखा कि:
- संवितरण - पूर्व तथा संवितरण पश्चात् निरीक्षण से संबंधित अपर्याप्त दस्तावेज बनाए गए थे;
 - सावधि ऋण के मामले में लाभग्राहियों द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र न तो इनवायसिस द्वारा समर्थित थे और न ही ऋण की उपयोगिता के संबंध में कर्मचारियों द्वारा कोई सत्यापन किया गया था; तथा
 - लाभग्राहियों से क्रय की गई परिसंपत्तियों के लिए बीमा कवर केवल प्रथम वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया था। गुडगांव तथा अंबाला जिलों में परिसंपत्ति के क्रय के प्रथम वर्ष में भी बीमा कवर प्राप्त नहीं किया गया था।

कंपनी तथा सरकार ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2014 तथा जनवरी 2015) कि संवितरण-पूर्व तथा संवितरण-पश्चात् निरीक्षण किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फील्ड कार्यालय कोई भी ऐसे निरीक्षण प्रतिवेदन प्रदान करने में विफल रहे।

3.9.5 वसूली निष्पादन

सावधि ऋण तथा शिक्षा ऋण के मामले में पांच वर्षों तथा आवास ऋण के मामले में 10 वर्षों के मासिक किश्तों में ऋण वसूल किया जाना अपेक्षित था। मार्च 2014 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान देय राशि की वसूली की प्रतिशतता पि.व. के मामले में 21 और 39 प्रतिशत, अ.स. के मामले में 14 और 25 तथा वि.व्य. के मामले में 29 तथा 35 प्रतिशत के बीच रही थी।

कंपनी को ₹ 37.90 लाख की राशि (पि.व.- ₹ 16.02 लाख, अ.स.- ₹ 12.78 लाख तथा वि.व्य. ₹ 9.10 लाख) से आवेष्टित 68 लाभग्राहियों से (पि.व.-30, अ.स.-24 तथा वि.व्य.-14) से एक भी किश्त प्राप्त नहीं हुई थी। पुनः, ₹ 222.68 लाख की राशि (पि.व.- ₹ 104.53 लाख, अ.स.- ₹ 44.26 लाख तथा वि.व्य.- ₹ 73.89 लाख) से आवेष्टित 583 लाभग्राहियों (पि.व.-193, अ.स.-103 तथा वि.व्य.-287) ने अंतिम एक से चार वर्षों के दौरान कोई किश्त जमा नहीं करवाई थी। कंपनी ने इन 651 (68+583) लाभग्राहियों के जमानतियों (सरकारी कर्मचारी सहित) के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी। कंपनी ने नमूना-जांच किए गए चार²⁰ जिलों में 2,283 ऋणियों से, ऋणों के संवितरण के समय, बाद की तिथि वाले चैक प्राप्त किए थे परंतु चूक के मामले में भुगतान के लिए ये चैक कभी प्रस्तुत नहीं किए।

कंपनी तथा सरकार ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2014 तथा जनवरी 2015) कि स्टाफ की कमी के कारण चूककर्ताओं के विरुद्ध (गुड़गांव को छोड़कर) वसूली नोटिस/अनुस्मारक/कानूनी कार्रवाई, जारी/आरंभ नहीं किए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की अनुपस्थिति में वसूली की आशा नहीं की जा सकती।

3.9.6 आंतरिक नियंत्रण

मुख्यालय द्वारा फील्ड कार्यालय के अभिलेखों तथा ऋणों के संवितरण की जांच के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। इसलिए जिला कार्यालयों द्वारा ऋण की अनियमित संस्वीकृति तथा निर्मुक्ति की संभावना का पता नहीं लगाया जा सका। फील्ड कार्यालयों में कर्तव्यों का कोई पृथक्करण नहीं था तथा एक ही व्यक्ति लेखाकार, कैशियर तथा फील्ड अधिकारी के कर्तव्य निष्पादित कर रहा था जिसमें गबन/दुरुपयोग का जोखिम था। अभिलेख उचित ढंग से अनुरक्षित नहीं किए गए थे। कंपनी के फील्ड कार्यालय तथा मुख्यालय के बीच लेखाओं का मिलान करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

इस प्रकार, कंपनी ने एक प्रतिशत ब्याज सबसिडी का लाभ अपात्र लाभग्राहियों को भी दे दिया। कंपनी ने उन परिवारों को तथा लाभग्राहियों को भी बहुगुणा ऋण संवितरित किए जिन्होंने मौजूदा ऋणों का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया था। वसूली की प्रतिशतता कम थी क्योंकि यह 14 से 39 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी।

मामला कंपनी तथा सरकार को जून 2014 में भेजा गया था तथा उनके उत्तर अगस्त 2014 और जनवरी 2015 में प्राप्त हुए थे। उत्तर उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए थे।

चण्डीगढ़
दिनांक:

8 जून 2015
JUN




(महुआ पाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

8 जून 2015
JUN



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट -1

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संबंध में 31 मार्च 2014 को तब तक प्रदत्त पूंजी, बकाया ऋणों तथा मानव शक्ति के विवरण दर्शाने वाली विवरणी
(अनुच्छेद 1.3 में संदर्भित)

(कालम 5 (क) से 6 (घ) तक के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमीकरण का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी				2013-14 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2012-13 के लिए ऋण इक्विटी अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषि	30 मार्च 1967	2.54	1.60	-	4.14	-	-	13.49	13.49	3.26:1 (0.22:1)	137
2.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड		27 मार्च 1974	1.37	-	0.20	1.57	-	-	-	-	-	118
3.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड		12 सितम्बर 1974	2.76	1.11	1.13	5.00	0.46	-	-	0.46	0.09:1 (0.14:1)	277
4.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	वन	7 दिसंबर 1989	0.20	-	-	0.20	-	-	-	-	-	80
क्षेत्रवार योग				6.87	2.71	1.33	10.91	0.46	-	13.49	13.95	1.28:1 (0.15:1)	612
वित्त													
5.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अनुसूचित जाति	2 जनवरी 1971	25.14	22.96	-	48.10	-	-	10.42	10.42	0.22:1 (0.19:1)	111
6.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	10 दिसंबर 1980	22.77 (1.25)	-	-	22.77 (1.25)	8.64	-	59.66	68.30	2.99:1 (3.32:1)	38
7.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	महिला एवं बाल विकास	31 मार्च 1982	15.51	1.10	-	16.61	-	-	-	-	-	52
क्षेत्रवार योग				63.42 (1.25)	24.06	-	87.48 (1.25)	8.64	-	70.08	78.72	0.90:1 (0.93:1)	201

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमीकरण का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी				2013-14 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2012-13 के लिए ऋण इक्विटी अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
मूलभूत संरचना													
8.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड #	उद्योग	8 मार्च 1967	48.82	-	-	48.82	-	-	2334.07	2334.07	47.81:1 (41.17:1)	580
9.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	29 दिसंबर 1989	25.00	-	-	25.00	-	-	211.63	211.63	8.47:1 (8.03:1)	194
10.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर)	13 मई 1999	122.04	-	-	122.04	-	-	-	-	-	82
क्षेत्रवार योग				195.86	-	-	195.86	-	-	2545.70	2545.70	13:1 (11.29:1)	856
विद्युत													
11.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	विद्युत	17 मार्च 1997	2735.24	-	145.00	2880.24	-	4.00	4389.63	4393.63	1.53:1 (1.72:1)	3644
12.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	विद्युत	19 अगस्त 1997	2111.84 (100.00)	-	-	2111.84 (100.00)	0.10	-	5380.19	5380.29	2.55:1 (2.38:1)	4507
13.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		15 मार्च 1999	1083.30	-	546.98	1630.28	25.48	-	16472.63	16498.11	10.12:1 (8.29:1)	10027
14.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		15 मार्च 1999	1001.84	-	437.27	1439.11	103.27	-	1531.88	1635.15	1.14:1 (1.04:1)	10005
15.	यमुना कोयला कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड ¹		15 जनवरी 2009	-	-	1.24	1.24	-	-	-	-	-	-
16.	हरियाणा कोल कम्पनी लिमिटेड ⁰⁰		24 जनवरी 2013	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				6932.23 (100.00)	-	1130.49	8062.72 (100.00)	128.85	4.00	27774.33	27907.18	3.46:1 (3.11:1)	28183
सेवाएं													
17.	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	पर्यटन एवं जन सम्पर्क	1 मई 1974	22.46 (1.00)	-	-	22.46 (1.00)	-	-	-	-	-	1542
18.	हरियाणा रोडवेज अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड	परिवहन	27 नवंबर 1987	6.60	-	-	6.60	-	-	-	-	-	120

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमीकरण का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी				2013-14 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2012-13 के लिए ऋण इक्विटी अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
19	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड	इलेक्ट्रोनिक्स	15 मई 1982	9.88	-	-	9.88	-	-	-	-	-	219
20	हारट्रोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड ^(a)		8 मार्च 1995	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-
21	गुडगांव प्रौद्योगिकी पार्क लि0	नगर तथा ग्राम आयोजना	14 फरवरी 1996	-	-	14.72	14.72	-	-	-	-	-	2
22	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	24 मार्च 2012	0.51	-	0.31	0.82	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				39.45	-	15.53	54.98	-	-	-	-	-	1883
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियां)				7237.83 (102.25)	26.77	1147.35	8411.95 (102.25)	137.95	4.00	30403.60	30545.55	3.63:1 (3.25:1)	31735
ख. कार्यरत साविधिक निगम													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम	कृषि	1 नवंबर 1967	2.92	2.92	-	5.84	-	-	30.86	30.86	5.28:1 (2.15:1)	713
क्षेत्रवार योग				2.92	2.92	-	5.84	-	-	30.86	30.86	5.28:1 (2.15:1)	713
वित्त													
2.	हरियाणा वित्तीय निगम	उद्योग	1 अप्रैल 1967	202.01	-	5.65	207.66	-	-	62.01	62.01	0.30:1 (0.39:1)	130
क्षेत्रवार योग				202.01	-	5.65	207.66	-	-	62.01	62.01	0.30:1 (0.39:1)	130
योग ख. (सभी क्षेत्रवार कार्यरत साविधिक निगम)				204.93	2.92	5.65	213.50	-	-	92.87	92.87	0.43:1 (0.43:1)	843
सकल योग (क+ख)				7442.76 (102.25)	29.69	1153.00	8625.45 (102.25)	137.95	4.00	30496.47	30638.42	3.55:1 (3.18:1)	32578

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमीकरण का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी				2013-14 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2012-13 के लिए ऋण इक्विटी अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
गं. अकार्यरत सरकारी कम्पनियां													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	कृषि	9 जनवरी 1970	10.89	-	-	10.89	97.64	-	-	97.64	8.97:1 (8.97:1)	20
क्षेत्रवार योग				10.89	-	-	10.89	97.64	-	-	97.64	8.97:1 (8.97:1)	-
वित्त													
2.	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	उद्योग	19 जून 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूलभूत संरचना													
3.	हरियाणा कंक्रीट लिमिटेड @	उद्योग	29 नवंबर 1973	2.90	-	3.95	6.85	1.39	-	2.30	3.69	0.54:1 (0.54:1)	-
क्षेत्रवार योग				2.90	-	3.95	6.85	1.39	-	2.30	3.69	0.54:1 (0.54:1)	-
विविध													
4.	हरियाणा खनिज लिमिटेड @	खदान एवं भू-विज्ञान	2 दिसंबर 1972	-	-	0.24	0.24	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				-	-	0.24	0.24	-	-	-	-	-	-
योग ग. (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियां)				13.79	-	4.19	17.98	99.03	-	2.30	101.33	5.63:1	20
कुल योग (क+ख+ग)				7456.55 (102.25)	29.69	1157.19	8643.43 (102.25)	236.98	4.00	30498.77	30739.75	3.56:1 (3.19:1)	32598

टिप्पणी: कम्पनियों/निगमों, जिन्होंने 2013-14 हेतु अपने लेखे अन्तिम कर दिये थे, को छोड़कर, आंकड़े अनन्तिम हैं तथा कम्पनियों तथा निगमों द्वारा दिए गए अनुसार हैं।

कालम 5 (क) से 5(घ.) में कोष्ठकों में आंकड़े शेयर आवेदन धन इंगित करते हैं।

\$ प्रदत्त पूंजी में शेयर आवेदन राशि शामिल है।

** 2013-14 की समाप्ति पर बकाया ऋण केवल दीर्घवधि ऋणों को निरूपित करते हैं।

क्रम संख्या क-15 पर कम्पनी 619 ख कम्पनी है।

@ सहायक कंपनी।

परिशिष्ट-2

अन्ततम वर्ष, जिसके लिए लेखे फाईनल किए गए थे, के लिए सरकारी कम्पनियों तथा साविधिक निगमों के संक्षेपित वित्तीय परिणाम

(अनुच्छेद 16 में संदर्भित)

(कालम 5 (क) से 11 तक के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवल लाभ (+)/हानि(-)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/हानि(-)	नियोजित पूंजी [@]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ⁵	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याज तथा मूल्यहास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियां														
कृषि एवं सहायक														
1.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	(+)186.44	230.13	0.44	(-)44.13	1978.70	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	4.14	(+)4.83	(+)16.72	(+)186.00	1112.44
2.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	(+)4.08	-	0.27	(+)3.81	78.05	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	1.56	(+)5.90	(+) 7.50	(+)3.81	50.80
3.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	(+)7.08	3.80	1.52	(+)1.76	126.99	(-)0.23	5.00	(+)10.31	(+)28.33	(+)5.56	19.63
4.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2013-14	(+)4.48	-	0.26	(+)4.22	36.09	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	0.20	(+)27.75	(+)27.96	(+)4.22	15.09
		2011-12	2014-15	(+)4.55	0.01	0.31	(+)4.23	46.69	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	0.20	(+)31.93	(+)32.13	(+)4.24	13.20
क्षेत्रवार योग				(+) 202.15	233.94	2.54	(-)34.33	2230.43	(-)0.23	10.90	(+)52.97	(+)84.68	(+)199.61	235.72
वित्त														
5.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2013-14	(+)1.59	0.64	0.07	(+)0.88	1.33	(-)3.70	42.62	(+) 1.63	(+)58.55	(+)1.52	2.60
6.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2009-10	2013-14	(+) 3.21	1.24	0.02	(+)1.95	0.82	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	18.52	(-) 7.38	(+) 73.27	(+)3.19	4.35

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवल लाभ (+)/हानि(-)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/हानि(-)	नियोजित पूंजी [@]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ^S	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याज तथा मूल्यहास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2014-15	(+) 0.68	-	0.02	(+) 0.66	3.53	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	16.61	(+) 0.77	(+) 18.25	(+) 0.66	3.62
क्षेत्रवार योग				(+)5.48	1.88	0.11	3.49	5.68	(-)3.70	77.75	(-) 4.98	(+) 150.07	(+) 5.37	3.58
मूलभूत संरचना														
8.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	(+) 93.44	8.94	1.31	(+) 83.19	129.57	(-)2.66	48.82	(+) 391.72	(+) 3378.70	(+) 92.13	2.73
9.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	(+) 17.78	17.51	0.21	(+) 0.06	62.57	-	25.00	(+) 0.29	(+) 229.91	(+) 17.57	7.64
10.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2013-14	(+) 109.41	38.13	43.01	(+) 28.27	97.22	(-)7.23	122.04	(-) 25.28	(+) 96.76	(+) 66.40	68.62
		2012-13	2013-14	140.45	97.44	43.01	0.00	126.16	-	122.04	(-)25.28	(+)96.76	(+)97.44	100.70
क्षेत्रवार योग				(+) 251.67	123.88	44.53	83.25	318.30	(-)9.89	195.86	(+) 366.73	(+) 3705.37	(+) 207.14	5.59
विद्युत														
11.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	(+)1482.56	1129.85	499.52	(-) 146.81	6154.64	-	2500.00	(-) 412.14	(+) 6956.04	(+) 983.04	14.13
		2013-14	2014-15	(+)1362.92	921.72	466.70	(-)25.50	5931.88	अन्तिमकरण अधीन	2880.24	(-)438.45	(+)6718.18	(+)896.22	13.34
12.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	(+)569.63	387.80	219.52	(-)37.69	913.21	(-)984.25	2011.84	(+)191.22	(+)7368.95	(+)350.11	4.75
		2013-14	2014-15	(+)541.27	448.31	268.10	(-)175.14	1056.52	अन्तिमकरण अधीन	2111.84	(+)16.08	(+)8093.57	(+)273.17	3.38
13.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 479.53	1672.65	144.67	(-) 2296.85	8456.43	(-)97.22	1630.28	(-) 14720.46	(+) 650.64	(-) 624.20	-
14.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 317.84	934.32	100.25	(-) 1352.41	6811.29	-	1439.12	(-) 8637.94	(+) 1097.83	(-) 418.09	-

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवल लाभ (+)/हानि(-)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/हानि(-)	नियोजित पूंजी [@]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ^S	नियोजित पूंजी पर प्रतिशतता
				ब्याज तथा मूल्यहास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15.	यमुना कोयला कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	2014-15	(+) 0.01	-	-	(+) 0.01	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	1.24	(-)0.06	(+)1.18	(+) 0.01	0.85
16.	हरियाणा कोयला कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	-	-	-	-	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	0.01	-	0.01	-	-
क्षेत्रवार योग				(+)1106.83	3977.00	979.72	(-)3849.89	22256.12	(-)1081.47	8062.72	(-)23780.83	(+)16561.41	(+)127.11	0.77
सेवाएं														
17.	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2010-11	2014-15	(+)7.80	-	2.97	(+)4.83	224.45	-	23.00	(+)29.99	(+)192.18	(+)4.83	2.51
18.	हरियाणा रोडवेज अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड	2011-12	2014-15	(+) 8.75	6.31	0.19	(+) 2.25	94.82	अन्तिमकरण अधीन	6.60	(+) 12.45	(+) 19.92	(+) 8.56	42.97
19.	हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	(+)8.55	1.44	0.51	(+)6.60	23.47	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	9.86	(+)45.32	(+)60.07	(+)8.04	13.38
20.	हारटून इन्फोमेटिक्स लिमिटेड	2012-13	2013-14	(+)0.16	-	-	(+)0.16	0.30	(-)0.01	0.50	(+)2.77	(+)3.27	(+)0.16	4.89
21.	गुडगांव प्रौद्योगिकी पार्क लि.	2010-11	2011-12	(+)5.89	-	1.04	(+)4.85	1.09	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	14.72	(+)8.99	(+)36.94	(+)4.85	13.13
22.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	2013-14	-	-	-	-	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	0.05	-	0.05	-	-
क्षेत्रवार योग				(+)31.15	7.75	4.71	(+)18.69	344.13	(-)0.01	54.73	(+)99.52	(+)312.43	26.44	8.46
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियां)				(+)1597.28	4344.45	1031.61	(-)3778.79	25154.65	(-)1095.30	8401.97	(-)23266.59	(+)20813.96	(+)565.66	2.72

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवल लाभ (+)/हानि(-)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/हानि(-)	नियोजित पूंजी [@]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ⁵	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याज तथा मूल्यहास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ख. कार्यरत साविधिक निगम														
कृषि एवं सहायक														
1	हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम	2012-13	2013-14	(-)129.80	2.12	6.59	(-)138.51	100.77	(-)4.55	5.84	-	(+)271.98	(-)136.89	-
क्षेत्रवार योग				(-)129.80	2.12	6.59	(-)138.51	100.77	(-)4.55	5.84	-	(+)271.98	(-)136.89	-
वित्त														
2.	हरियाणा वित्तीय निगम	2012-13	2013-14	(+) 1.11	0.87	0.55	(-) 0.31	7.35	(+)0.10	207.51	(-) 163.57	(+) 155.51	(+) 0.56	0.18
		2013-14	2014-15	(+)3.48	0.01	0.50	(+)2.97	7.26	अन्तिमकरण अधीन	207.66	(-)160.60	(+)125.65	(+)2.98	2.37
क्षेत्रवार योग				(+)3.48	0.01	0.50	(+)2.97	7.26		207.66	(-)160.60	(+)125.65	(+)2.98	2.37
योग ख. (सभी क्षेत्रवार कार्यरत साविधिक निगम)				(-)126.32	2.13	7.09	(-)135.54	108.03	(-)4.45	213.50	(-) 160.60	(+)397.63	(-)133.42	-
कुल योग (क+ख)				(+)1470.96	4346.58	1038.70	(-)3914.33	25262.69	(-)1099.75	8615.47	(-)23427.19	(+)21211.59	(+)432.24	2.03
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियां														
कृषि एवं सहायक														
1	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	(-) 6.07	10.16	-	(-) 16.23	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	10.89	(-) 349.91	(-) 339.02	(-) 6.07	-
क्षेत्रवार योग				(-) 6.07	10.16	-	(-) 16.23	-	-	10.89	(-) 349.91	(-) 339.02	(-) 6.07	-
वित्त														
2	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड #	31 अगस्त 2001 को समाप्त	2003-04	-	-	-	-	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवल लाभ (+)/हानि(-)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/हानि(-)	नियोजित पूंजी [@]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ [§]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याज तथा मूल्यहास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
मूलभूत संरचना														
3	हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड	1997-98	1998-99	(-) 2.85	4.40	0.72	(-) 7.97	-	-	6.85	(-) 27.18	(+) 9.40	(-) 3.57	-
क्षेत्रवार योग				(-) 2.85	4.40	0.72	(-) 7.97	-	-	6.85	(-) 27.18	(+) 9.40	(-) 3.57	-
विविध														
4	हरियाणा खनिज लिमिटेड	2011-12	2013-14	(-)1.07	0.10	0.07	(-)1.24	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	0.24	(-)9.20	(-)3.93	(-)1.14	-
क्षेत्रवार योग				(-)1.07	0.10	0.07	(-)1.24	-	-	0.24	(-)9.20	(-)3.93	(-)1.14	-
योग ग. (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियां)				(-)9.99	14.66	0.79	(-)25.44			17.98	(-)386.29	(-)333.55	(-)10.78	
कुल योग (क+ख+ग)				(+)1460.97	4361.24	1039.49	(-)3939.77	25262.69	(-)1099.75	8633.45	(-)23813.48	(+)20878.04	(+)421.48	2.01

@ नियोजित पूंजी, शेयर होल्डर फंड तथा दीर्घावधि उधारों को निरूपित करती है।

§ नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, लाभ तथा हानि लेखा को प्रभारित ब्याज तथा लाभ जोड़कर, परिकलित किया गया है।

ये कंपनियां समापनाधीन हैं।

परिशिष्ट-3

वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य ग्रांटस एवं सबसिडीज, प्राप्त गारंटियों, देयों की माफी, बट्टे खाते डाले गए ऋणों तथा इक्विटी में परिवर्तित ऋणों तथा मार्च 2014 की समाप्ति पर बकाया गारंटियों को दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 1.4 में संदर्भित)

(कालम 3 (क) से 6 (घ) तक के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान* एवं सबसिडी				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियां एवं वर्ष की समाप्ति पर वचनबद्धता@		वर्ष के दौरान देयों की माफी			
		इक्विटी	ऋण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्ध	बट्टे खाते डाले गए पुनर्भुगतान ऋण	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	ब्याज / शास्ति ब्याज माफी	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियां													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	10.06	2.12	-	12.18	-	-	-	-	-	-
2.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	-	-	2.81	0.35	27.67	30.83	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	12.87	2.47	27.67	43.01	-	-	-	-	-	-
वित्त													
3.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	8.66	6.50	-	15.16	2.53	10.42	-	-	-	-
4.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	1.25	-	-	3.55	-	3.55	-	60.00	-	-	-	-
5.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	(5.00)	-	(5.00)	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		1.25	-	8.66	10.05	-	18.71	2.53	70.42	-	-	-	-
					(5.00)		(5.00)						

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान* एवं सबसिडी				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियां एवं वर्ष की समाप्ति पर वचनबद्धता@		वर्ष के दौरान देयों की माफी			
		इक्विटी	ऋण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्ध	बटटे खाते डाले गए पुनर्भुगतान ऋण	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	ब्याज/ शास्ति ब्याज माफी	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
मूलभूत संरचना													
6.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	-	-	-	(47.76)	-	(47.76)	-	300.00	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	-	(47.76)	-	(47.76)	-	300.00	-	-	-	-
विद्युत													
7.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-	-	-	-	0.08	0.08	-	153.89	-	-	-	-
8.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	100.00	-	-	5200.00	-	5200.00	400.00	2164.28	-	-	-	-
9.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	-	-	-	3883.88	-	3883.88	5325.35	14205.86	-	-	-	-
10.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	-	6.48	-	1460.34	-	1460.34	3415.27	8053.04	-	-	-	-
11.	हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		100.00	6.48	-	10544.22	0.08	10544.30	9140.62	24577.07	-	-	-	-
सेवाएँ													
12.	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	1.00	-	(9.17)	(20.29)	(8.00)	(37.46)	-	-	-	-	-	-
13.	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		1.52	-	(9.17)	(20.29)	(8.00)	(37.46)	-	-	-	-	-	-
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियों)		102.77	6.48	21.53 (9.17)	10556.74 (73.05)	27.75 (8.00)	10606.02 (90.22)	9143.15	24947.49	-	-	-	-

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान* एवं सबसिडी				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियां एवं वर्ष की समाप्ति पर वचनबद्धता@		वर्ष के दौरान देयों की माफी			
		इक्विटी	ऋण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्ध	बट्टे खाते डाले गए पुनर्भुगतान ऋण	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	ब्याज / शास्ति ब्याज माफी	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
साविधिक निगम													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम	-	-	0.37	9.31	-	9.68	1281.89	21.96	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	0.37	9.31	-	9.68	1281.89	21.96	-	-	-	-
वित्त													
2.	हरियाणा वित्तीय निगम	0.15	-	-	-	-	-	-	105.00	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		0.15	-	-	-	-	-	-	105.00	-	-	-	-
योग ख.		0.15	-	0.37	9.31	-	9.68	1281.89	126.96	-	-	-	-
कुल योग (क+ख)		102.92	6.48	21.90 (9.17)	10566.05 (73.05)	27.75 (8.00)	10615.70 (90.22)	10425.04	25074.45	-	-	-	-

टिप्पणी: कम्पनियों/निगमों, जिन्होंने अपने लेखे 2012-13 के लिए अन्तिमकृत किए, के संबंध में छोड़कर, आंकड़े अनन्तिम हैं तथा जैसा कि कम्पनियों/निगमों के द्वारा दिए गए हैं।

@ आंकड़े वर्ष के अन्त में बकाया कुल गारंटियों को इंगित करते हैं।

* कोष्ठकों में आंकड़े अनुदानों को निरूपित करते हैं।

परिशिष्ट - 4
सा.क्षे.उ., जिनके लेखे बकाया में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किए गए
निवेशों को दर्शाने वाली विवरणी
(अनुच्छेद 17 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. का नाम	वर्ष, जहां तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	अन्ततम अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार प्रवृत्त पूंजी	वर्ष, जिनके लिए लेखे बकाया में है, के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश					विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य (परिदान)
			वर्ष	इक्विटी	ऋण	अनुदान		
कार्यरत कम्पनियां								
हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2012-13	1.57	2013-14	-	-	-	-	2.12
हरियाणा वीज विकास निगम लिमिटेड	2012-13	5.00	2013-14	-	-	-	-	0.35
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2009-10	42.62	2010-11	5.49	-	-	-	4.10
			2011-12	-	-	-	-	4.00
			2012-13	-	-	-	-	4.35
			2013-14	-	-	-	-	6.50
हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2009-10	18.52	2010-11	1.95	-	-	-	2.37
			2011-12	1.00	-	-	-	1.06
			2012-13	1.00	-	-	-	1.25
			2013-14	1.25	-	-	-	3.55
हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2009-10	16.61	2010-11	-	-	-	-	1.50
			2011-12	-	-	-	-	3.35
			2012-13	-	-	-	-	3.91
			2013-14	-	-	5.00	-	-
हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2012-13	25.00	2013-14	-	-	47.76	-	-
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2012-13	1630.28	2013-14	-	-	-	-	3883.88
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2012-13	1439.12	2013-14	-	6.48	-	-	1460.34
हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2010-11	23.00	2011-12	0.06	-	20.00	-	-
			2012-13	-	-	23.92	-	-
			2013-14	1.00	-	20.29	-	-
हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	2010-11	6.60	2011-12	0.20	-	-	-	-
			2012-13	-	-	-	-	-
			2013-14	-	-	-	-	-
हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2011-12	9.86	2013-14	0.01	-	-	-	-
हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम	2012-13	5.84	2013-14	-	-	-	-	9.31
कुल				11.96	6.48	116.97		5391.94

परिशिष्ट - 5

नियत लागत के अधिक भुगतान के कारण हानि दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 3.3.i में संदर्भित)

विवरण	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत		दीनबंदू छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर		राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, हिसार		कुल
	यूनिट 7	यूनिट 8	यूनिट-I	यूनिट-II	यूनिट-I	यूनिट-II	
2011-12							
ए.पी.टी.ई.एल. द्वारा अनुमोदित पी.एल.एफ. (प्रतिशत में)	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	
वास्तविक पी.एल.एफ. (प्रतिशत में)	96.09	95.12	91.99	30.91	54.46	51.1	
अनुमोदित नियत लागत (₹ करोड़ में)	167.70	167.70	253.62	253.62	404.28	404.28	
कम पी.एल.एफ. पर नियत लागत की यथानुपात कटौती	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	92.23	259.02	243.04	
पर प्रदत्त नियत लागत (यूनिट करोड़ में)	169.40	169.40	203.30	203.30	419.95	419.95	
नियत लागत (₹ प्रति यूनिट)	0.99	0.99	1.25	1.25	0.96	0.96	
बेची गई यूनिट (यूनिट करोड़ में)	191.87	189.77	294.52	0.00	269.32	251.09	
बैकड डाऊन यूनिट (यूनिट करोड़ में)	0.394	4.5741	3.618	3.35	9.82	2.587	
कूल यूनिट (यूनिट करोड़ में)	192.26	194.34	298.14	3.35	279.15	253.68	
प्रदत्त नियत लागत (₹ करोड़ में)	190.33	192.40	371.94	4.18	268.73	244.21	
अधिक भुगतान (₹ करोड़ में)	22.63	24.70	118.32	-88.05	9.71	1.17	88.48

विवरण	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत					दीनबंदू छोदू राम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर		राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, हिसार		कुल
	यूनिट 1 से 4	यूनिट 5	यूनिट 6	कुल	यूनिट 8	यूनिट -I	यूनिट -II	यूनिट -I	यूनिट -II	
2012-13										
ए.पी.टी.ई.एल. द्वारा अनुमोदित पी.एल.एफ. (प्रतिशत में)	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
वास्तविक पी.एल.एफ. (प्रतिशत में)	50.82	63.05	100.05	88.61	91.19	9.39	27.26	34.48	60.51	
अनुमोदित नियत लागत (₹ करोड़ में)	215.73	75.82	141.99	167.92	167.92	243.10	243.10	479.88	479.88	
कम पी.एल.एफ. पर नियत लागत की यथानुपात कटौती	156.62	59.76	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	28.53	82.83	206.83	362.97	
पर प्रदत्त नियत लागत (यूनिट करोड़ में)	244.40	133.90	133.90	160.30	160.30	192.35	192.35	395.25	395.25	
नियत लागत (₹ प्रति यूनिट)	0.88	0.57	1.06	1.05	1.05	1.26	1.26	1.21	1.21	
बेची गई यूनिट (यूनिट करोड़ में)	173.62	102.63	166.17	175.65	180.56	87.52	0.00	170.92	299.14	
बैकड डाऊन यूनिट (यूनिट करोड़ में)	63.20	24.42	2.95	11.72	7.88	12.39	7.54	30.72	18.27	
कूल यूनिट (यूनिट करोड़ में)	236.81	127.05	169.12	187.37	188.43	99.91	7.54	201.65	317.41	
प्रदत्त नियत लागत (₹ करोड़ में)	208.40	72.42	179.27	196.74	197.85	125.88	9.50	243.99	384.06	
अधिक भुगतान (₹ करोड़ में)	51.78	12.66	37.28	28.81	29.93	97.35	-73.34	37.16	21.10	242.73

(₹ करोड़ में)

अधिक वसूली 2011-12 में	88.48
अधिक वसूली 2012-13 में	242.73
नियत लागत का कुल अधिक भुगतान	331.21

परिशिष्ट - 6


अनुसूचित वाणिज्यिक परिचालन तारीख से पहले मैसर्ज अदानी पावर द्वारा उत्पादित विद्युत का लाभ न उठाने के कारण हानि दर्शाने वाली विवरणी
(अनुच्छेद 3.3.iv में संदर्भित)

वर्ष	अदानी की एक यूनिट द्वारा उत्पादित विद्युत (एम.यू.) (474x24x1000x365x85 प्रतिशत)	क्रय की गई लघु अवधि विद्युत (एम.यू.)	राशि (₹ करोड़ में)	क्रय की गई लघु अवधि विद्युत की दर (₹ में)	ऊर्जा प्रभारों की दर पर एच.पी.पी.सी. को उपलब्ध करवाई गई विद्युत	ए.पी.एल. विद्युत का लाभ न उठाने के कारण हानि (₹ करोड़ में)
2011-12	3529.40	13.94	6.47	4.64	1.19	4.81
2012-13	3529.40	792.13	308.16	3.89	2.15	138.25
कुल		806.07	314.63	3.90	1.67	143.06

यूनिट	वाणिज्यिक परिचालन की तिथि	उत्पादन (एम.यू.)	औसत यू.आई. दर (₹ में)	ए.पी.एल. द्वारा अर्जित राजस्व (₹ करोड़ में)	ऊर्जा प्रभार (₹ में)	नियत लागत (₹ में)	बांटा जाने वाला राजस्व (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = {3x(4-7)}
2011-12							
यूनिट I	अप्रैल 2011	3239.32	3.02	978.27	1.19	1.155	604.13
यूनिट II	जुलाई 2011	2349.71	3.02	709.61	1.19	1.155	438.22
यूनिट III	सितंबर 2011	1759.87	3.02	531.48	1.19	1.155	328.22
कुल (क)		7348.90		2219.37			1370.57
2012-13 (2013-जुलाई तक)							
यूनिट I		1759.87	3.88	682.83	2.145	1.119	485.90
यूनिट II		1759.87	3.88	682.83	2.145	1.119	485.90
यूनिट III		1759.87	3.88	682.83	2.145	1.119	485.90
कुल (ख)		5279.60		2,048.49			1,457.70
कुल योग(क+ख)							2828.27

परिशिष्ट - 7
विद्युत के लघु अवधि क्रय तथा यू.आई. विद्युत के आहरण के कारण हानि
(अनुच्छेद 3.3.vi में संदर्भित)

वर्ष	यूनिट्स (एम.यू. में)	राशि (₹ करोड़ में)	दर (₹ प्रति यूनिट)	एच.ई.आर.सी. अनुमोदित दरें (₹ प्रति यूनिट)	एच.ई.आर.सी. दर के अनुसार राशि (₹ करोड़ में)	हानि (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)x10	(5)	(6)=(2)x(5)/10	(7)=(3)-(6)
लघु अवधि विद्युत						
2008-09	1043.30	773.30	7.41	4.70	490.35	282.95
2009-10	2954.69	1904.06	6.44	4.70	1388.71	515.35
2010-11	2420.12	1044.49	4.32	2.60	629.23	415.26
2011-12	1947.36	578.76	2.97	2.76	537.47	41.29
2012-13	884.44	342.75	3.88	3.20	283.02	59.73
2013-14	327.43	117.32	3.58	3.36	110.02	7.30
कुल (क)	9577.34	4760.68			3438.80	1321.88
अन-अनुसूचित अंतः परिवर्तन विद्युत						
2008-09	993.61	550.83	5.54	4.70	467.00	83.83
2009-10	552.75	314.56	5.69	4.70	259.79	54.77
2010-11	2525.93	959.85	3.80	2.60	656.74	303.11
2011-12	2192.12	806.32	3.68	2.76	605.03	201.29
2012-13	1055.91	463.59	4.39	3.20	337.89	125.70
2013-14	53.52	22.67	4.24	3.36	17.98	4.69
कुल (ख)	7373.84	3117.82			2344.43	773.39
कुल योग (क+ख)	16951.18	7878.50			5783.23	2095.27



शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली	
ए.सी.एस.	आपूर्ति की औसत लागत
ए.सी.एस.	अपर मुख्य सचिव (अ.मु.स.)
ए.पी.	कृषि उत्पाद
ए.पी.एल.	अदानी पावर लिमिटेड
ए.आर.आर.	औसत राजस्व वसूली
ए.आर.आर.	कुल राजस्व आवश्यकता
ए.एस.	लेखांकन मानक (ले.मा.)
ए.टी. एंड सी.	एकीकृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक
बी.सी.पी.ए.	बिलिंग - कम - पेमेंट एजेंट
बी.सी.	पिछड़े वर्ग
बी.जी.	बैंक गारंटी
बी.एच.ई.एल.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लिमिटेड
बी.ओ.डी.	निदेशक मंडल (नि.मं.)
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.)
सी.ए.पी.ई.एक्स.	पूँजीगत व्यय
सी.ई.ए.	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सी.ई.आर.सी.	केंद्रीय विद्युत नियामक कमीशन
सी.जी.पी.एल.	कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड
सी.आई.बी.आर.सी.	सैंट्रल इनसैक्टिसाईड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी
सी.एल.एम.सी.	केंद्र स्तरीय मानीटरिंग कमेटी (के.स्त.मा.क.)
सी.ओ.डी.	वाणिज्यिक परिचालन तिथि
सी.ओ.पी.यू.	लोक उपक्रम समिति (कोपु)
डी.सी.आर.टी.पी.पी.	दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट
डी.डी.	डिमांड ड्राफ्ट
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.)
डी.आई.एस.सी.ओ.एम.	संवितरण कंपनियां (डिस्कोम्ज)
ई.ओ.आई.	एक्सप्रेसन ऑफ इन्ट्रस्ट
ई.एस.पी.	इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपीटेटर
एफ.सी.आई.	भारतीय खाद्य निगम
एफ.डी.ए.एस.	फीडर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएट स्कीम
एफ.डी.आर.ज	सावधि जमा प्राप्तियां (सा.ज.प्रा.)
एफ.आर.पी.	वित्तीय पुनर्गठन योजना (वि.पु.यो.)
एफ.एस.ए.	ईंधन अधिभार समायोजन (ई.अ.स.)
जी.ओ.एच.	हरियाणा सरकार
जी.ओ.आई.	भारत सरकार (भा.स.)
जी.यू.वी.एन.एल.	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
एच.ई.आर.सी.	हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (ह.वि.नि.आ.)
एच.एफ.सी.	हरियाणा वित्तीय निगम
एच.एल.	आवास ऋण

संकेताक्षरों की शब्दावली	
एच.ओ.	प्रधान कार्यालय
एच.पी.जी.सी.एल.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
एच.पी.पी.सी.	उच्च अधिकार प्राप्त क्रय कमेटी
एच.पी.पी.सी.	हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र
एच.पी.ज.	विकलांग व्यक्ति
एच.एस.एस.सी.ए.	हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी
आई.आर.ज	निरीक्षण प्रतिवेदन
जे.पी.एल.	झज्जर विद्युत लिमिटेड
के.एम.एस.	खरीफ विपणन सीजन
एल.ओ.आई.	मांग - पत्र
एम.सी.	अल्प संख्यक समुदाय
एम.डी.	प्रबंध निदेशक (प्र.नि.),
एम.ओ.पी.	विद्युत मंत्रालय (वि.मं.)
एम.एस.पी.	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एन.ए.एफ.ई.डी.	राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ इंडिया लिमिटेड (नेफेड)
एन.सी.सी.एफ.	राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ इंडिया लिमिटेड
एन.एफ.सी.	राष्ट्रीय वित्तीय निगम
एन.आई.टी.	निविदा आमंत्रण सूचना
एन.एस.सी.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (रा.बी.नि.)
पी.डी.सी.ज	पोस्ट डेटिड चैक्स
पी.एफ.सी.	पावर वित्त निगम
पी.एल.एफ.	प्लांट लोड फैक्टर
पी.एन.बी.	पंजाब नैशनल बैंक
पी.पी.ए.	विद्युत क्रय अनुबंध
पी.एस.	प्रधान सचिव
पी.एस.बी.	पंजाब एंड सिंध बैंक
पी.टी.सी.	पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन
पी.टी.पी.एस.	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन
आर - ए.पी.डी.आर.पी.	पुनर्गठित - त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (पु.त्व.वि.वि.सु.का.)
आर.ई.सी.	ग्रामीण विद्युतिकरण निगम (ग्रा.वि.नि.)
आर.आई.बी.	बैंक को प्रेषण
आर.ओ.	रिलीज आर्डर
आर.ओ.	क्षेत्रीय कार्यालय
आर.टी.सी.	राऊंड दा क्लाक
एस.ए.आर.ज	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प.)
एस.बी.ओ.पी.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
एस.ई.	अधीक्षण अभियंता
एस.ई.बी.	राज्य बिजली बोर्डज (एस.ई.बी.)
एस.एल.एम.सी.	राज्य स्तरीय मानीटरिंग कमेटी (रा.स्त.मा.क.)

संकेताक्षरों की शब्दावली	
एस.पी.सी.	स्टोर क्रेता कमेटी
एस.एस.पी.सी.	राज्य बीज उत्पादन कमेटी
एस.टी.एलज	लघु अवधि देयताएं
टी.ए.सी.	टेंडर अप्रूवल कमेटी
टी.एफ.एम.	ट्रांजिशनल फाईनैस मकेनिज्म (परिवर्ती वित्तीय यंत्रावली)
टी.टीज	टैलीग्राफिक ट्रांसफर
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.)
डब्ल्यू.टी.डीज	पूर्णकालिक निदेशक

12

13

14

15